बुधवार,
२८ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11/11/89
Parliament Library

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

अंक ४३—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०,
१९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से
१९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४,
२०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८,
१९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३,
१९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९,
२०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१,
२०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६,
२०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से
२०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५,
२०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३,
२०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९. २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

आतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ — बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, ३४२०—३४४८

१२५४ से १२६६

अंक ४९ — गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक-सभा वाद विवाद

भाग १—प्रश्नोत्तर

लोक-सभा

बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेडियो गवेषणा समिति

***२२६६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो गवेषणा समिति की जो उप-समिति रेडियो उद्योग के लिए कच्चे पदार्थों का पर्यवेक्षण करने के लिए बनाई गई थी उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली): (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३७]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अभी तक मुझे विवरण प्राप्त नहीं हुआ है । मैं लगभग पन्द्रह मिनट तक प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु मुझे कोई विवरण नहीं मिल सका ।

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे खेद है । विवरण वहां होना चाहिए था । श्रीमान्, यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि विवरणों के बारे में गड़बड़ क्यों होती है । प्रथा यह है कि विवरण कम से कम आधा घंटा पूर्व नोटिस आफिस (सूचना कार्यालय) में रख दिये जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं भी पूछने के लिए गया था । परन्तु विवरण सम्बन्धी सूचना नोटिस बोर्ड पर न थी ।

अध्यक्ष महोदय : सारे सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । कार्य संचालन के लिए भी यह प्रक्रिया अनुचित है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं ११ बजने में ५ मिनट टक नोटिस आफिस में था परन्तु मुझे यह न मिल सका ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाये । सचिव पूछताछ कर रहे हैं, और हम यह देखेंगे कि क्या होता है । परन्तु यह बात उन सारे प्रश्नों पर लागू होगी जिन के उत्तरों में विवरण दिए जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : अब वे रख दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यदि माननीय सदस्य चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं—या चाहे वह न जायें ।

अतः यह केवल इस प्रश्न तक सीमित है, और यह कुछ समय तक *स्थगित किया जाता है ।

---

*स्तम्भ संख्या.......पर जारी

हैदराबाद से प्राप्त राजस्व

*२२६७. **श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को हैदराबाद राज्य में १९५४–५५ में प्रत्येक साधन से अलग अलग कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : केन्द्रीय सरकार को हैदराबाद राज्य में वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में प्रत्येक साधन से निम्न राजस्व प्राप्त हुआ :—

केन्द्रीय उत्पादन	आयकर	योग
रु०	रु०	रु०
(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
२,४३	१,९१	४,३४

राइफल चलाना

*२२७०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५४ में लोक-सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में जनता को राइफल चलाना सिखाने के लिये राज्य सरकारों को क्या वास्तविक सहायता दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : असैनिकों को राइफल चलाने की शिक्षा देने के लिए एक स्कीम राज्य सरकारों के पास भेजी गई थी और जिन राज्य सरकारों ने इस स्कीम को मान लिया है, उनको ·२२ वाली राइफलें दी गई हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से दरख्वास्त की है ?

सरदार मजीठिया : जिन्होंने इस स्कीम को स्वीकार किया है उनकी लिस्ट मेरे पास है । वे ये हैं : पेप्सू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, बम्बई, भोपाल, त्रिपुरा, मनीपुर, आसाम, सौराष्ट्र, विन्ध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, बिहार और दिल्ली ।

श्री भक्त दर्शन : जिन राज्य सरकारों ने अभी तक कोई हथियार नहीं लिया है या अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्या उन्होंने इस योजना को न स्वीकार कर सकने के कोई कारण दिये हैं ?

सरदार मजीठिया : वे देख रहे हैं । उनको फिर चिट्ठी लिखी गयी है और जैसे जैसे वे स्वीकार करेंगे वैसे वैसे उनको राइफलें दी जायेंगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या राज्य व्यवस्थाओं को ·२२ बोर की राइफलें जो कि उन्हें दी जाने वाली थीं, दे दी गई हैं ?

सरदार मजीठिया : हां, वे दे दी गई हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन राज्य सरकारों ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया है या जो इस कार्य को नहीं कर सकती हैं, ऐसे राज्यों में क्या यह काम ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा, जैसे नेशनल राइफल ऐसोसियेशन आफ इंडिया ?

सरदार मजीठिया : जो राज्य सरकारें यह काम नहीं कर रही हैं उनको कहा जा रहा है कि वे इसे करें । जब तक वे हमारे साथ कोआपरेट नहीं करतीं हम आगे नहीं चल सकते ।

अंडमान व निकोबार द्वीप

*२२७२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५४ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अंडमान व निकोबार द्वीपों में स्कूलों के लिए हिन्दी अध्यापक भरती करने के लिए सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : विगत कुछ मासों में शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए लगभग ५० प्रार्थनापत्रों को अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन को भेज दिया है। इन में से और सीधे उन्हें प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों में से, पांच प्रशिक्षित अध्यापकों को द्वीप प्रशासन ने अस्थायी रूप से चुन लिया है।

माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिए मैं यह और कह सकता हूं कि उनके मूल प्रश्न के उत्तर में, जिसका उत्तर इस सभा में पिछली बार ३ दिसम्बर को दिया गया था, सरकार ने कहा था कि थका देने वाले प्रयत्नों के होने पर भी अंडमान में हिन्दी अध्यापकों की उपलब्धता के बारे में सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त-नहीं हुए हैं। अब, माननीय सदस्य के प्रश्न और सरकार के उत्तर का देश में बड़ा प्रचार हुआ और इस प्रश्न के फलस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में ५३ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और कुछ प्रार्थनापत्र सीधे द्वीप प्रशासन को प्राप्त हुए।

श्री एस० सी० सामन्त: अंडमान में कितने स्कूल हैं और उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं और शिक्षा का माध्यम क्या है ?

डा० एम० एम० दास : इन द्वीपों में आजकल केवल एक हाई स्कूल और २४ प्राइमरी स्कूल हैं और उनमें लगभग दो हज़ार विद्यार्थी हैं। जहां तक माध्यम का प्रश्न है, वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी है।

श्री एस० सी० सामन्त: वहां अध्यापकों की उपलब्धियां क्या है और क्या वहां के अध्यापकों तथा भारत के अध्यापकों के वेतन में कोई अन्तर है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक वेतन-क्रम का सम्बन्ध है, वे वही हैं जो केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किये हैं और अधिक महंगाई भत्ता भी केन्द्रीय सरकार की दरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त भारत से भरती किये गये अध्यापकों को चालू दरों पर अंडमान विशेष वेतन दिया जाता है। फिर, मुफ्त असुसज्जित आवास स्थान तथा स्वयं व परिवार के लिए वर्ष में एक बार छुट्टी पर जाते समय या वापस लौटते समय समुद्र यात्रा का व्यय दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : हाल में जो शिक्षा समिति अंडमान व निकोबार द्वीप गई थी क्या उसने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और क्या सरकार उन प्रतिवेदनों पर विचार कर चुकी है ?

डा० एम० एम० दास : समिति अप्रैल मई १९५५ में अंडमान गई थी। अभी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

नाहर कटिया में तेल की खोज

*२२७३. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नाहर कटिया में तेल की खोज करने के लिए आसाम आयल-कम्पनी के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस उपक्रम में सरकार का प्रस्तावित अंश कितना होगा ; और

(ग) क्या खोज कार्यों में भारतीयों को सम्मिलित किया जायेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) इस उपक्रम में सरकार का कोई अंश नहीं है, परन्तु करार में यह उपबन्ध है कि आसाम आयल कम्पनी खनन पट्टा करने के लिए जो बाद में स्वीकृत हो सकता है एक रुपया समवाय बनायेगी। रुपया समवाय में उसकी अंशपूंजी के २५ प्रतिशत अंश भारतीय होंगे।

(ग) जी हां, उतने जितने का समवाय और सरकार के बीच करार हुआ है।

श्री गिडवानी : कितने का करार हुआ है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारतीय नागरिकों को नौकर रखने सम्बन्धी खंड यह है कि अनुज्ञाकारी अपने संगठन में सारी श्रेणियों में भारतीय नागरिकों को नौकर रखेगा और उनकी संख्या केन्द्रीय सरकार की मन्त्रणा से उसके तथा आसाम सरकार के बीच निर्धारित हुई संख्या होगी। वह इन व्यक्तियों को इन पदों पर काम करने योग्य बनाने के लिए भारत तथा विदेशों में उनके प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करेगा।

श्री गिडवानी : समवाय की कुल पूंजी कितनी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इसके लिए में पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने पचास प्रतिशत पूंजी लगाने का दावा किया था, और वह दावा समवाय ने स्वीकार किया या अस्वीकार ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सरकार का उस क्रम पर उस उपक्रम के अंश लेने का कोई विचार नहीं था।

श्री एस० सी० देव : क्या सरकार को विश्वास है कि भारतीय कर्मचारियों को, जो उसमें कार्य करेंगे, तेल खोजने और तेल साफ़ करने आदि प्रौद्योगिक कार्य के प्रशिक्षण की उचित सुविधायें दी जायेंगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां। करार में उल्लेख है कि संघ में प्रत्येक श्रेणी में भारतीयों को सम्मिलित किया जायेगा और प्रौद्योगिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया जायेगा।

रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया

***२२७५. श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के बैंक व्यापार विभाग को इसका एक स्थायी अंग बनाने पर कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) क्या इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या और इसके कार्य में वृद्धि हो गई है?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी, हां। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का बैंक व्यापार विकास विभाग हाल में ही स्थायी बनाया गया है।

(ख) इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा इसके कार्य में वृद्धि हो रही है।

श्री एस० एन० दास : ग्रामीण उधार संघो और भारत का राज्य बैंक की अनेकों शाखाओं के कार्य के बारे में इस विभाग का क्या कार्य होगा ?

श्री ए० सी० गुह : इस विभाग के बढ़ाने की ग्रामीण उधार परिमाप की सिफ़ारिश का मूलाधार राज्य बैंक का प्रत्याशित कार्य और ग्रामीण उधार कार्य का संचालन है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण उधार कार्य में और राज्य बैंक को, ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों को बैंक व्यापार की सुविधायें देने में सहायता करना होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में निकट भविष्य में राज्य बैंक की शाखायें खोलने के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया है या इसके तैयार किए जाने की कोई सम्भावना है, और यदि हां, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुह : कार्यक्रम का उल्लेख इस सभा में पहिले ही किया जा चुका है। आगामी पांच वर्षों में ४०० शाखायें खुलनी हैं।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य और कैसा कार्यक्रम चाहते हैं। स्थानों का चुनना और यह निश्चय करना कि शाखायें कब खोली जायेंगी, राज्य बैंक का मुख्य कार्य होगा । रिज़र्व बैंक सदैव ही राज्य बैंक से सम्पर्क रखेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या राज्य बैंक और देश में ग्रामीण उधार संस्थाओं की कार्यवाहियों को सूत्रबद्ध करना इस विभाग का एक कार्य होगा ?

श्री ए० सी० गुह : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं सिफ़ारिश में वर्णित कार्यों को पढ़ दूंगा । मेरा ख्याल है कि कार्य होगा, यदि प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में । इसका मुख्य कार्य राज्य बैंक को अपना कार्य बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक व्यापार की सुविधायें देने में और ग्रामीण वित्त के मामले में भी सहायता देना होगा । यह मुख्य कार्य होगा । अतः सूत्रबंधन यदि प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो कम से कम उपरोक्ष रूप में होगा ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री और सरकार इस विभाग का अध्यक्ष प्रायः की भांति केवल कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को न बना कर बैंक व्यापार का वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्ति को बनायेगी ।

श्री ए० सी० गुह : यह कार्यवाही के लिए, एक सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रकार से यह सुझाव ही है ।

क्रोमाइट अयस्क संचय

*२२७६. **श्री आर० एन० एस० देव** : **क्या प्राकृतिक संसाधन और बैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा व्यापार मंडल ने देश में २००० लाख टन क्रोमाइट अयस्क संचय का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्रोमाइट अयस्क संचयों का अनुमान लगाने के लिए अन्य क्षेत्रों का मानचित्र बनाने और खोदने के लिए प्रथम पंच-वर्षीय योजना की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अधीन जांच पड़ताल नहीं की जा सकी है । परन्तु, द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उपबन्ध किया गया है और परिमाप को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या यह सच है कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने अब तक १००० वर्ग मील के अनुमानित क्षेत्र में से केवल ८०० एकड़ क्षेत्र का परिमाप किया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं यह नहीं कह सकता कि इस सूचना में कहां तक सचाई है । परन्तु, उड़ीसा व्यापार मंडल ने हमें जो प्राक्कलन दिये थे वे २००० लाख टन के प्रतीत होते हैं जबकि हमारा प्राक्कलन केवल १३ लाख टन का था । आजकल प्राप्त सूचना के अनुसार यह विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है कि वे २००० लाख टन के हैं ।

श्री आर० एन० एस० देव : अभी माननीय मंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का प्राक्कलन १३ लाख टन का था जबकि परसों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यह १५ लाख टन है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६,०२,००० टन के आंकड़े

दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से आंकड़े ठीक हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मेरी सूचना अनुसार मैंने जो आंकड़े बताये हैं, अर्थात्, १३ लाख टन, ठीक हैं।

बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र

*२२७८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले वस्तु कला के प्रमाणपत्रों को मान्यता देती है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) कितने उपरोक्त प्रमाणपत्रधारियों को सरकार ने नियुक्त किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३८]**

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि होम मिनिस्ट्री ने आर्किटेक्चर डिग्रीज़ में केवल ए० आई० आई० ए० और आर० आई० बी० ए० डिप्लोमाज़ को ही रेंकमेंड किया है और क्या यह सही नहीं है कि एज्यूकेशन मिनिस्ट्री को ही आर्किटेक्चर इत्यादि में डिप्लोमा और डिग्री रेकगनाइज़ करने का अधिकार है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयों के बारे में अर्हता का सम्बन्ध है ; इस विशेष विषय का सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है। मैं नहीं जानता कि अर्हतायें गृह मंत्रालय ने निर्धारित की हैं। १९४९ से पूर्व, इन अर्हताओं के सम्बन्ध में, विभिन्न मंत्रालयों की अपनी विशिष्टतायें थीं। १९४९ के पश्चात् सरकारी नियुक्ति की क्या अर्हतायें होनी चाहियें, इसका उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है। १९५३ से यह विषय निर्धारण बोर्ड को सौंप दिया गया है जो कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में संघ लोक सेवा आयोग की सहकारिता से शिक्षा मंत्रालय में स्थापित किया गया है।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन को भी अधिकार है कि वह डिप्लोमा या डिग्री को रेकगनाइज कर सके ?

डा० एम० एम० दास : संघ लोक सेवा आयोग अर्हताओं के निर्धारण के लिये उत्तरदायी नहीं है। यह उत्तरादायित्व शिक्षा मंत्रालय का है। संघ लोक सेवा आयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये फैसलों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। कार्य सुविधा के लिये हमने एक निर्धारण बोर्ड बनाया है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधित्व होगा।

श्री आर० एन० सिंह : क्या एज्यूकेशन मिनिस्ट्री ने कला भवन डिप्लोमा को रेकगनाइज़ कर दिया है ?

डा० एम० एम० दास : विवरण में इसका ब्यौरेवार उत्तर दिया जा चुका है। हमने केवल कला भवन के 'डिप्लोमा' को ही मान्यता नहीं दी है, अपितु इस डिप्लोमा को पाने वाले बहुत से व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये हैं।

श्री आर० एस० दीवान : दिल्ली पोलिटैक्निक की स्थापना से पूर्व, संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये जे० जे० स्कूल आफ आर्टस, बम्बई के डिप्लोमा को मान्यता थी। परन्तु जबसे दिल्ली पोलिटैक्निक की स्थापना हुई है तबसे पाठ्यक्रम

तथा विद्यार्थी के ज्ञान के समान होने पर भी उस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त नहीं है।

डा० एम० एम० दास : हमें इसकी कोई सूचना नहीं हैं। जितना हम जानते हैं उसके अनुसार जे० जे० स्कूल आफ आर्ट्स को मान्यता है।

श्रीमती जयश्री : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि कला भवन श्री महा राजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा का एक अंग है?

डा० एम० एम० दास : पहले यह कला भवन बड़ौदा राज्य की एक सरकारी संस्था थी। जब बड़ौदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तब इस संस्था को सम्बद्ध कर लिया गया था तथा यह अब बड़ौदा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

सैनिक शिविर

*२२८०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत युद्ध में, बिहार में कितने अस्थायी सैनिक शिविर, बनाये गये थे;

(ख) कितने शिविर अब भी व्यवहार में लाये जा रहे हैं;

(ग) कितने शिविर, सेना ने स्थानों से हटा दिये हैं; और

(घ) इन हटाये गये शिविरों का क्या किया गया है अथवा किया जा रहा है अथवा उन्हें किस प्रकार के प्रयोग में लाया जा रहा है?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) १९२.

(ख) २०.

(ग) और (घ). सेना ने १७२ शिविर ये हैं। उनके स्थान सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिखाये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३९**]

शिविरों को किस प्रकार बेचा गया अथवा किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है यह भी विवरण में दिखाया गया है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि उन कैम्पों के बनाने में कितना ख़र्चा हुआ था?

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से कैम्पों के बारे में जानना चाहते हैं?

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जितने भी कैम्प बिहार में बने थे, उन सब पर कितना खर्च आया?

सरदार मजीठिया : इन १९२ शिविरों पर क्या व्यय हुआ था इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। युद्ध में बनाये गये वह अधिकांशतः अस्थाई भवन थे।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वह भूमि जिस पर शिविर बनाये गये थे, मूल स्वामियों को लौटा दी गई है?

सरदार मजीठिया : यदि माननीय सदस्य, प्रश्न के उत्तर का विवरण देखें तो जो वह चाहते हैं उसमें उनको मिल जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जानता हूं.............

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या बिहार सरकार ने इनमें से कुछ शिविरों को जनता के कार्य के लिये मांगा है?

सरदार मजीठिया : जैसा कि विवरण में दिया है, इन शिविरों में से बहुत से बिहार सरकार ने ले लिये हैं तथा उनको दे दिये हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं... .... .

अध्यक्ष महोदय : विवरण को पढ़ना उचित होगा ।

छावनी क्षेत्रों की भूमि

***२२८१. श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों में, दीर्घकाल मे कृषि योग्य भूमि पर, ज़मींदारों के स्वामित्व सम्बन्धी किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं ; और

(ख) क्या विभिन्न छावनियों में यह अधिकार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जहां कहीं ज़मींदार का छावनी क्षेत्र में किसी भूमि पर स्वामित्व है, उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व अधिकार है ।

(ख) इन अधिकारों पर उन सम्बन्धित राज्यों की विधियां ही लागू हैं, जिनमें वे छावनियां हैं ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कुछ छावनियों में इन स्वामियों को काश्तकार बना दिया गया है तथा उनके अधिकार कम कर दिये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने बताया उन पर राज्य की विधियां लागू हैं ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या इस सम्बन्ध में कुछ मुक़दमेबाजी भी हुई है तथा जनता लड़ रही है तथा रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधान भेजा गया है कि स्वामित्वाधिकारों को काश्तकारी में परिवर्तित नहीं करना चाहिये ?

सरदार मजीठिया : जब दशा परिवर्तित होती है तो जनता झगड़ती है परन्तु उनको राज्य की विधियां को मानना पड़ता क्योंकि वह समाजवाद के आधार पर हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इन भूमियों के जो नियम हैं उनके संशोधन के बारे में कई महीनों से विचार किया जा रहा है, और क्या मैं जान सकता हूं कि आखिरी फैसला होने में अभी और कितने महीने लगेंगे ?

सरदार मजीठिया : जहां तक कृषि भूमि का सम्बन्ध है यह नहीं है । संभवतया माननीय सदस्य अन्य भूमि की ओर इंगित कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है ।

जल को मृदु बनाने के लिये संयंत्र

***२२८२. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल को मृदु बनाने के लिये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में लगाये गये संयंत्र का आविष्कार उस प्रयोगशाला में किया गया है ;

(ख) उस संयंत्र का निर्माण करने और स्थापित करने में कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या ऐसा संयंत्र विदेशों से मंगाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस संयंत्र पर क्या लागत लगेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी नहीं । इसकी रूपरेखा इंधन गवेषणा संस्था जोलगोढ़ा में बनाई गई थी तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में यह बनाया गया था ।

(ख) लगभग ५,००० रुपये ।

(ग) और (घ). जी, हां । इतनी कार्य शक्ति का तथा इसी प्रकार के सिद्धान्तों का, परन्तु जल को मृदु बनाने के लिये अन्य सामग्री को व्यवहार में लाने वाला संयन्त्र विदेशी सार्थों से प्रत्येक लगभग २०,००० रुपये में मगाया जा सकता है ।

श्री के० सी० सोधिया : इन संयंत्रों की आवश्यकता किस उद्योग में पड़ती है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस में से एक पदार्थ निकलता है जिससे पानी को हल्का किया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन संयंत्रों की आवश्यकता देश के और उद्योगों में भी पड़ती है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी, हां । कई इंडस्ट्रीज़ में इस की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री पी० सी० बोस : जल को हल्का बनाने वाले इस संयंत्र पर प्रतिवर्ष क्या आवर्त्तक व्यय है ।

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे खेद है कि मैं यह सूचना नहीं दे सकता हूं । मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि इंधन गवेषणा संस्था ने एक रासायिनिक मिश्रण बनाया है जिससे लागत कम हो जायेगी और इस संयंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : उन्होंने 'कारबियों' के एक पदार्थ को तैयार किया है तथा इसका जल को हल्का करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है ।

सेना में सेवा

*२२८३. **श्री पी० एल० कुरील :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में सेवा के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें उपयुक्त जीवन वृत्ति नहीं मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो जीवन वृत्ति वाले उपयुक्त कर्मचारियों को सेना में सेवा के लिए आकर्षित करने के सम्बन्ध में किस कार्यवाही के करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने 'वोम्बल समिति प्रतिवेदन' देखा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही के करने का विचार किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे सरकार यह सोचे कि सेना में सेवा के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल सकते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है ।

श्री पी० एल० कुरील : क्या मैं जान सकता हूं कि विभाजन के पश्चात् सशस्त्र बलों में जवानों तथा पदाधिकारियों के वेतनक्रम तथा भत्तों में पर्याप्त कमी हो जाने के कारण, पदाधिकारी एक बड़ी प्रतिशतता में बुरी तरह ऋणग्रस्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं समझा हूं ।

श्री पी० एल० कुरील : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से पदाधिकारी बुरी तरह ऋणग्रस्त है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : मैं ऐसा नहीं समझता हूं । मेरा विचार है कि मेरे मित्र को ग़लत सूचना मिली है ?

श्री पी० एल० कुरील : क्या सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच के लिये आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

डा० काटजू : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता हूं ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार अन्य श्रेणी के कर्मचारी के वेतनक्रम, जो कि इस समय बड़े कम समझे जाते हैं बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डा० काटजू : प्रश्न प्रस्तुत किया गया । इस समय मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

कल्याण विस्तार परियोजना

***२२८६. श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने योजना आयोग से कल्याण विस्तार परियोजना की कार्य प्रणाली का अनुमान लगाने के लिये एक स्वतन्त्र संगठन स्थापित करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थति पर है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रस्थापना स्वीकार कर ली है और उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री संगण्णा : क्या समाज कल्याण बोर्ड ने यह सुझाव इसलिये रखा है क्योंकि वह समाज कल्याण क्षेत्र में बढ़े हुये कार्य को पूरा करने म समर्थ नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की नवीं बैठक में सभापति ने पहले से ही चालू कल्याण विस्तार परियोजनाओं के स्वतन्त्र रूप से अनुमान लगाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था जिससे अब तक हुई सफलता का पता लगाया जा सके । अत : सर्वसम्मति से योजना आयोग से इस बात की प्रार्थना करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि वह एक संगठन अथवा समिति जैसी कोई चीज़ की स्थापना करे जो यह कार्य कर सके ।

श्री संगण्णा : क्या हाल ही में बनी आदर्श ग्रामीण महिला संघ में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, समाज कल्याण बोर्ड की कार्य-प्रणाली में सुधार करने का कोई सुधाव दिया है ?

डा० एम० एम० दास : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस संगठन की स्थापना से पूर्व, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दी गई निधि से देश के विभिन्न भागों में जो कार्य किया जा रहा है उसकी जांच करने के लिये इस समय क्या प्रबन्ध है ?

डा० एम० एम० दास : इन विस्तार परियोजनाओं को समितियां बना कर कार्यान्वित किया जाता है । इसके पश्चात् राज्य बोर्ड इसके कार्यान्वित किये जाने पर निगाह रखते हैं, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बोर्ड भी होता है । निरीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं जो यदाकदा मौक़े पर जाकर जांच करते हैं ।

आयुध पदाधिकारी (असैनिक)

***२२८७. श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आयुध डिपों में काम करने वाले बहुत से आयुध पदाधिकारियों (असैनिक) की या तो छंटनी कर दी गई है अथवा १९५५–५६ में उनकी छटनी की जाने वाली है ;

(ख) क्या आयुध कारखानों के विस्तार और पुनर्संगठन को ध्यान में रखकर उनकी छंटनी के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया है ; और

(ग) आयुध पदाधिकारियों (असैनिक) में छंटनी के लिये चार श्रेणियां बनाने के कारण क्या हैं जबकि गृह-कार्य मत्रालय द्वारा और १९५० के सेना अनुदेश १०७ में छंटनी के लिये केवल तीन श्रेणियों की व्यवस्था की गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५५ में अब तक किसी भी आयुध पदाधिकारी (असैनिक) की छंटनी नहीं की गई है और आशा यह की जाती है कि १९५५-५६ में किसी की छंटनी नहीं की जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चार श्रेणियां ये हैं :

"विशिष्ट', "औसत से ऊपर", "औसत" और "औसत से नीचे (स्थायी रूप से रखे जाने के लिये अयोग्य)" । "औसत से ऊपर" और "औसत" की श्रेणी वाले लोग छंटनी अनुदेशों में उपबन्धित "विशिष्ट नहीं किन्तु स्थायी रूप से रखे जाने के लिये योग्य" श्रेणी में आते हैं । ऐसे पदाधिकारियों की संख्या अधिक थी जो "विशिष्ट नहीं किन्तु स्थायी रूप से रखे जाने के लिये योग्य" थे इस कारण स्थायी किये जाने के प्रयोजन से प्रतिभा के आधार पर दो विस्तृत श्रेणियों में उपविभाजित कर दिया गया है ।

गोले बारूद आदि का मूल्य

*२२८९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता में बिक्री के लिये उपलब्ध किये जाने वाले गोले बारूद आदि का मूल्य घटाने का प्रयत्न किया जा रहा है; और

(ख) ऐसे गोले बारूदों के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). आयुध कारखानों में इस समय बनाये जाने वाले गोले, बारूद आदि जनता में बिक्री के लिये नहीं दी जा रही हैं । असैनिक बाज़ार के लिये कुछ प्रकार के गोले बारूद के निर्माण का विकास किया जा रहा है और इस प्रकार के गोले बारूद आदि का मूल्य निर्धारण करने में इसी प्रकार के आयात किये गये गोले बारूद के बाज़ार मूल्य तथा निर्माण लागत का यथासम्भव ध्यान रखा जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने भारत में रायफल चलाने के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों की वार्षिक आवश्यकता पूछी है और क्या सरकार उनकी वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति करने का विचार करती है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं, अभी तक हम अपने गोले बारूद आदि को बेचने की स्थिति में नहीं हैं, किन्तु हम उसका विकास कर रहे हैं, और विकास हो जाने पर इसे असैनिक बाज़ार में भेजेंगे और यह प्रश्न केवल उसी समय उत्पन्न होगा जबकि हम गोले बारूद को बेचने की स्थिति में हो जायेंगे ।

श्री भागवत झा आज़ाद : हमारे आयुध कारखानों में बने ·२२ बोर के कारतूसों की आजकल कितनी लागत आती है और क्या यह सच नहीं कि ऐसे गोले बारूद आदि का मूल्य विदेश से आयात किये गये गोले बारूद के मूल्य से ३०० प्रतिशत अधिक है ?

सरदार मजीठिया : हमारी निर्माण लागत फैलाई जा रही है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि आयात किये गये माल की लागत से हमारे यहां का मूल्य कुछ अधिक है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार हमारे आयुध कारखानों में बने गोले बारूद का मूल्य जो इस समय लगभग ३०० प्रतिशत अधिक है, काफी कम हो जाने तक विदेशों से सस्ते गोले बारूद के आयात पर प्रतिबन्ध न लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : मैं नहीं समझता कि यह बात बिल्कुल सही है । किन्तु आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

भाग 'ग' राज्य

*२२९०. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य मंत्री ने सभी भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों की ओर से भारत सरकार के पास एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भाग 'ग' राज्यों में लागू होने वाली वर्तमान प्रक्रियाओं और नियमों में अधिक शक्ति अथवा परिवर्तन की मांग की गई है ; और

(ग) ज्ञापन की और कौन कौन सी बातें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों की ओर से दिल्ली के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है । इस पत्र में भाग 'ग' राज्यों को बढ़ी हुई वित्तीय तथा अन्य शक्तियों के प्रत्यायोजन की प्रस्थापनाएं हैं । भारत सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

श्री राधा रमण : भूतपूर्व राज्य मंत्रालय अथवा वर्तमान गृह-कार्य मंत्रालय को भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कितने ज्ञापन अथवा पत्र प्राप्त हुये हैं । उन बातों के अतिरिक्त जिनका माननीय मंत्री अभी उल्लेख कर चुके हैं, वे बातें कौन सी हैं जिनका उन्होंने (मुख्य मंत्रियों ने) निदश किया और जो पहले ही मानी जा चुकी हैं ?

श्री दातार : हां, पिछले अवसर पर अर्थात् गत वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रार्थना के उत्तर में भाग ग राज्य अधिनियम में सरकार द्वारा कुछ संशोधन किये गये थे । अन्तिम ज्ञापन जो हमें बाद में मिला उसमें अनेक और बातें भी हैं ।

श्री राधा रमण : मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने पहले ज्ञापन में तथा इस पत्र में जो अब गृह-कार्य मंत्रालय के सम्मुख है बताई गई उचित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इन ज्ञापनों के आधार पर छूटें दी हैं, यदि हां, तो वे किस रूप में हैं ?

श्री दातार : इस समय इस पत्र में जो सुझाव हैं सरकार उन पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है ।

कैन्टीन स्टोर विभाग

*२२९१. **श्री राम दास** : क्या **रक्षा** मंत्री ५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन कैन्टीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों की श्रेणीबद्ध संख्या दी हुई हो जिनके वेतनों में नये वेतनक्रम लागू करने के कारण वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री रामदास : इस स्टेटमेंट से मालूम होता है कि दो किस्म के आफ़िसर्स हैं जिनकी तनख्वाह के अन्दर कमी वाक्या हुई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो कमी पी० ए० टू चेयरमैन और कैशियर के केस में की गई है, उसका क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया : विवरण में बताया गया है कि कैशियरों के मामले में, जो दो हैं, और चेयरमैन के पी० ए० के मामले में, जो एक हैं, वेतनक्रम घटा दिये गये हैं । ऐसा अन्य विभागों के उनके समान स्तर वाले लोगों के वेतन क्रमों पर विचार रखते हुये करना पड़ा था ।

श्री रामदास : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले साल में कितने मैनेजर एप्वाइंट किये गये थे, उनमें से कितने बाहर से लिये गये और कितनों को डिपार्टमेंट में से ही तरक्की दी गई थी ?

सरदार मजीठिया : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री गिडवानी : इन विभागों को चलाने में प्रतिवर्ष कितना औसत लाभ होता है ?

सरदार मजीठिया : तुरन्त आंकड़े देना मेरे लिये कठिन है किन्तु मैं समझता हूं कि यह सूचना जानकारी के किसी प्रश्न के उत्तर में दी जा चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो वेतनों का क्रम बढ़ाया गया है इससे कुल कितना खर्च बढ़ जायेगा और उसके लिये क्या इन्तज़ाम किया जायेगा, कहां से वह रुपया आयेगा ?

सरदार मजीठिया : जी हां, हर साल २,४०,००० रुपया खर्च बढ़ेगा ।

तम्बाकू

*२२९५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदामों में तम्बाकू भेजने के लिये उत्पादकों द्वारा विभिन्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त करने पर भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति की सिफ़ारिश पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में तम्बाकू उत्पादकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) सरकार को भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति से ऐसी कोई सिफारिश नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं यह और बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न में जो बात कही गयी है वह तथ्य की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है । उत्पादकों को इतने प्रमाणपत्र लाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल एक प्रमाणपत्र लाना पड़ता है ।

कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों का वेतन

*२२९६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों के वेतनक्रम क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि एक कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारी को और सामान्य सैनिकों को सम्पूर्ण सेवा काल में क्रमशः तीन और एक वेतन वृद्धि मिलती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) जैसा कि विवरण में बताया जा चुका है, कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारी को या तो निश्चित मूल्य वेतन पर अथवा तीन या पांच वेतन वृद्धियों वाले वेतनक्रम पर रखा जाता है, जबकि सामान्य सैनिकों के कर्मचारियों को सेवा काल में दो वेतन वृद्धियां मिलती हैं और प्रविधिक कुशलता और अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद उच्च वर्ग में चले जाने पर अधिक वेतन भी मिलता है । नायक या हवलदार बन जाने पर वे भी 'गुड सर्विस में' के रूप में अग्रेतर वृद्धियां पाने के पात्र भी हो जाते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सामान्य सैनिकों और असैनिक सेवा के निम्न श्रेणी के क्लर्कों की उपलब्धियों में अथवा कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और असैनिक सेवा के उच्च श्रेणी के क्लर्कों की उपलब्धियों में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण सेना में असन्तोष फैला हुआ है यद्यपि असैनिक सेवा

के लोगों को भी कोई अधिक वेतन नहीं मिल रहा है, और यदि हां, तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करते हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे असन्तोष का पता नहीं है क्योंकि सामान्य सैनिकों को अनेक और लाभ मिलते हैं जो असैनिकों को उनकी सेवा में नहीं मिलते ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जिनमें रक्षा मंत्रालय सेना कर्मसेवियों की अल्प आयों में वृद्धि करने की दृष्टि से उनके कल्याण पर अतिरिक्त व्यय करने के लिये तैयार था किन्तु वित्त मंत्रालय ने रोड़ा अटका दिया ?

सरदार मजीठिया : हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या हाल के निवृत्ति नियम सामान्य सैनिकों पर भी लागू होंगे अथवा वे उनकी पहले की निवृत्ति दरों के विपरीत होंगे ?

सरदार मजीठिया : नहीं । निवृत्ति के नये नियम सामान्यतः इन कर्मचारियों के लिये लाभप्रद हैं । किन्तु उन्हें विकल्प दे दिया गया था ; यदि वे यह समझते कि पुराने नियम उनके लिये लाभप्रद हैं, तो वे उन नियमों के लिये अपना विकल्प दे सकते थे । और उनके मामले में वैसा ही किया गया था ।

श्री नम्बियार : क्या सामान्य सैनिकों के निवृत्ति नियमों पर पुनर्विचार करने के लिये कोई प्रार्थना की गई है ?

सरदार मजीठिया : नहीं ।

कुरुक्षेत्र में खुदाई

***२२६७. श्री राम शंकर लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पुरातत्व विभाग से कुरुक्षेत्र और थानेश्वर में खुदाई करने की प्रार्थना की है, जिससे कि प्राचीन हर्ष राज्य की राजधानी का पता लगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) अभी खुदाई कराने का कोई विचार नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ वहां मिले हैं जिन से यह पता चलता है कि वहां पर खुदाई करने से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होने वाला है ?

डा० एम० एम० दास : कुरुक्षेत्र और थानेश्वर क्षेत्रों में अनेक टीले हैं, जिनको कई बार खोदा जा चुका है । जो पुरातत्वीय आदर्श प्राप्त हुये हैं उनसे पता लगता है कि इस स्थान पर अधिकार (कुशनों द्वारा) दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहले नहीं किया गया था ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जब इस तरह के महत्वपूर्ण स्थान का पता लगा है तो क्या कारण है कि जल्दी से जल्दी कारवाई करने की बात नहीं सोची जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : खुदाई का काम यथासमय आरम्भ किया जायेगा । पंजाब में ही कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्थानों की खुदाई होने को है, जो २००० और ३००० ई० पू० के हैं । चूंकि अनेक अवसरों पर इन क्षेत्रों में खुदाई की जा चुकी है, इन क्षेत्रों में इस समय खुदाई कार्य करने का कोई कार्यक्रम पुरातत्वीय विभाग के सम्मुख नहीं है ।

खजुराहों में संग्रहालय

*२२९८. **श्री मोतीलाल मालवीय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहों में संग्रहालय के लिये भवन बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ; और

(ग) भवन किस तारीख तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचि (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) ४७,८०१ रुपये ।

(ग) अगले माली वर्ष की समाप्ति तक ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रीष्म वर्षा काल के कारण खजुराहों की मूर्तियों में जो धुंधलापन और कालापन आ गया है तो क्या उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : जारडिन संग्रहालय में कई हजार ऐसे नमूने हैं जो खण्डहर मन्दिरों के चारों ओर फैले हुये थे । इस संग्रहालय में छत न होने के कारण मूर्तियां वर्षा और धूप में खुली पड़ी रहती थीं । अब उनमें रसायन का उपयोग किया जा रहा है और परिणाम सन्तोषजनक निकले हैं । अब आधे संग्रहालय पर छत बनाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : खजुराहों तक पहुंचने और मन्दिर के पास ठहरने को कम कठिन बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिये ।

सोने का पकड़ा जाना

*२२९९. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने ७ सितम्बर, १९५५ को डेन्मार्क के एक नाविक और दो मुसलमान यात्रियों से बहुत सा सोना पकड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो कितना सोना पकड़ा गया और उसका मूल्य कितना था ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख) बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने ६ दिसम्बर, १९५५ को डेन्मार्क के एक नाविक और दो मुसलमान यात्रियों से सोना पकड़ा । यह सोना १२५३ तोले और ४४ ग्रेन था और इसका मूल्य १,१६,०६२ रुपये था ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४ से अगस्त, १९५५ तक इस तरह के कितने वाकयात हुए और कितना सोना पकड़ा गया, और उस बारे में क्या कार्यवाई की गयी ?

श्री ए० सी० गुह : वित्तीय वर्ष १९५४-५५ का हिसाब मेरे पास है । इस साल में ६७,७२१ तोला सोना पकड़ा गया जिसकी कीमत ६१ लाख है ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन हालात में गवर्नमेंट इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री ए० सी० गुह : यह बात बहुत दफ़ा बतलायी जा चुकी है । हम बहुत काम कर

रहे हैं। चौर्यानियन के काम में थोड़ी कमी भी हुई है।

श्री एस० एन० दास : ये लोग किस प्रकार यह सोना ला रहे थे ?

श्री ए० सी० गुह : डेन्मार्क का नाविक एक जहाज़ (स्टीमर) में सोना लाया था। मेरा विचार है कि यह जहाज़ हांगकांग से आया था। इस के पास से सोने के ६ पैकट निकले जिस में ६३ छड़ें थीं। उनका वज़न १०१० तोले और ६० ग्रेन था। सोने पर जो चिह्न लगे हुए थे उन से पता चलता है कि सोना हांगकांग से चोरी छिपे लाया गया था। दो मुस्लिम यात्री उसी दिन परन्तु किसी और जहाज़ से बम्बई पहुंचे थे। थोड़ा सा सोना थरमोस बोतल में मिला और उन के सामान में लकड़ी के एक वक्स की पिछली पट्टी में उससे अधिक सोना छिपा हुआ मिला।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने जो बातें बताई हैं क्या उनमें वह घटना भी शामिल है जबकि फिल्म अभिनेत्री नसीम सोना और कुछ आभूषण चोरी छिपे ला रही थी ?

श्री ए० सी० गुह : जी नहीं, वह दूसरी घटना थी। यात्रियों को लाने वाले इस जहाज़ का नाम इस्लामी था जो जेद्दा से चला और ६ सितम्बर को बम्बई पहुंचा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा प्रश्न दूसरा था। वे मेरे प्रश्न को समझे नहीं हैं.......

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई महत्व नहीं है।

पारितोषिक और पदक

*२३००. **श्री कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति भारत के नागरिकों को कौन कौन से पारितोषिक और पदक देते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : भारत के राष्ट्रपति नागरिकों को विभिन्न प्रकार के जो असैनिक पदक देते हैं, उन के नाम ये हैं : 'भारत रत्न', 'पद्म, विभूषण', 'पद्म श्री', और 'अशोक चक्र' श्रेणी १, २ और ३।

श्री कामत : ये पारितोषिक और पदक देते समय—जिनमें 'भारत रत्न' भी सम्मिलित है, जो सबसे ऊंचा पदक है और जो हाल ही में प्रधान मंत्री को मिला— क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा पर चलते हैं या अपने स्वविवेक से निर्णय करते हैं ?

श्री दातार : प्रधान मंत्री को दिये गये 'भारत रत्न' को छोड़, वे हमारी सलाह पर हो ये पदकादि देते हैं।

श्री कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के लागू होने के तीन वर्ष बाद तक राष्ट्रपति ने ऐसा कोई पारितोषिक या पदक नहीं दिया, सरकार ने किन परिस्थितियों और किन कारणों से अपना निर्णय बदला और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी परम्परा फिर से अपनायी जो कि संविधान के अनुच्छेद १८ की भावना—यदि भाषा के भी विरुद्ध न हो—के विरुद्ध है ? अनुच्छेद १८ में उल्लिखित खिताबों और इन पारितोषिकों और पदकों में वास्तविक अन्तर क्या है ?

श्री दातार : सरकार यह समझती है कि अच्छी सेवा—कला, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में और मानव की सेवा और प्रशंसनीय जनसेवा को मान्यता देनी चाहिए और इसलिए उसने ये पदक देने प्रारम्भ किये हैं।

श्री कामत : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष दो या तीन व्यक्तियों ने ये पारितोषिक राष्ट्रपति को वापिस कर दिये थे ? यदि यह सच है तो उन्होंने ये पारितोषिक लेने से इनकार या उन्हें वापिस करने के क्या करण राष्ट्रपति को बताए थे ?

श्री दातार : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए । मुझे पता नहीं कि कोई पदक लौटा दिये गये थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन पारितोषिकों और पदकों के नामकरण के सम्बन्ध में निश्चय करने से पहले इनके नामों के बारे में सुझाव देने के लिए कोई उप-समिति बनाई गयी थी और यदि हां, तो उस के सदस्य कौन कौन थे ?

श्री दातार : सरकार ने लगभग दो वर्ष तक इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया और तब वह इस निर्णय पर पहुंची ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : पहली बार जब ये पारितोषिक दिए गये थे तो हमें बताया गया था कि इन के तीन वर्ग हैं : पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इत्यादि । अब इनके विभिन्न नाम हैं : पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री । क्या इसका मतलब यह है कि वर्गीकरण अभी तक है ? और क्या हम इसका यह अर्थ समझें कि पारितोषिक लेने वाले जिन व्यक्तियों ने वर्गीकरण के इस सिद्धान्त पर आपत्ति की थी उन पर अभी तक यह सिद्धान्त ठूंसा जा रहा है ?

श्री दातार : वर्गीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है । विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए एक न एक प्रकार का पारितोषिक दिया जाता है । जहां तक वर्गों का सम्बन्ध है केवल अशोक चक्र के वर्ग हैं ।

राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां

*२३०३. **श्री बी० के० दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय या राज्य सरकारों की नौकरी के योग्य समझे जाने के लिए, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, और गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ब्रिटिश काल में दी गयी उपाधियों को, जब सरकार उन्हें मानती नहीं थी, मान्यता दे दी गयी है या दे दी जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभिज्ञात विश्वविद्यालयों द्वारा दी गयी उपाधियों की तुलना में उपरोक्त उपाधियों की क्या स्थिति रही है या रहेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ये उपाधियां और डिप्लोमे कार्यालय ज्ञापन दिनांक १८ सितम्बर, १९५१ और १५ मार्च, १९५२ में उल्लिखित तिथियों से अभिज्ञात विश्वविद्यालयों के मैट्रिक, इन्टर और बी० ए० के बराबर मान लिये गये हैं । इन ज्ञापनों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४२]** यह प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है कि इन ज्ञापनों में उल्लिखित तिथियों से पहले दी गयी उपाधियों और डिप्लोमों को अभिज्ञात किया जाय या नहीं ।

ये ज्ञापन भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के बारे में हैं । यह काम राज्य सरकारों का है कि वे अपने अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में समुचित आदेश जारी करें ।

श्री बी० के० दास : क्या इस निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी को नियुक्त किया गया है ?

श्री दातार : अर्थात् इन उपाधियों को नियुक्त करते समय माना गया था या नहीं ?

श्री बी० के० दास : जी, हां ।

श्री दातार : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । जहां तक उनके मान लिये जाने का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार को अपने द्वारा स्वीकृत तिथि से पहले दी गयी उपाधियों के बारे में निर्णय करने में इतनी देर लग रही है ?

श्री दातार : सरकार को यह देखना है कि ये विश्वविद्यालय, कुछ तिथियों अर्थात् १९४८ या १९४६ से पहले किस ढंग से काम कर रहे थे । जब सारी जानकारी मिल जायगी और राज्य सरकारों की राय मालूम हो जायगी तो सरकार पहले दी गयी उपाधियों के बारे में भी यही निर्णय करेगी ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का इरादा है कि इन संस्थाओं को देशभक्ति की परम्परा वाले विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाय ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि शिक्षा मंत्री भी संयोगवश यहीं बैठे हैं ।

श्री दातार : इसका उत्तर तो शिक्षा मंत्रालय वाले ही दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जो इंस्टीट्यूशन्स नैशनल और पैट्रियाटिक एजूकेशन देते हैं क्या उनको रिकागनीशन देने का ख्याल है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) इस सवाल का क्या जवाब दिया जाय ।

भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिए समाज कल्याण पाठ्यक्रम

*२३०५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि भारतीय प्रशासन सेवा, विदेश सेवा और पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम में समाज कल्याण का प्रशिक्षण भी सम्मिलित कर लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ किया जायगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सरकार समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड के परामर्श से इस बात पर विचार कर रही है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश-सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में समाज कल्याण का एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं । इस सम्बन्ध में मंत्रणा बोर्ड की सिफारिशें अभी सरकार को नहीं मिली हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार के सामने कोई ऐसी प्रस्थापना है कि भारतीय प्रशासन सेवा (आइ० ए० एस०) और भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के उम्मीदवारों--विशेषकर आई० पी० एस० के उम्मीदवारों--की ऐसे विषयों में भी परीक्षा ली जाय जिससे कि संघ लोक सेवा आयोग को मालूम हो सके कि उम्मीदवार अकेले होने पर भी अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे और किसी बात को देख कर घबराएंगे नहीं ?

श्री दातार : माननीय सदस्य सम्भवतः भ्रम में पड़ रहे हैं । प्रशिक्षण तो यहां के भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद दिया जाता है । सरकार का यह इरादा अवश्य है कि समाज कल्याण का एक छोटा सा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि एक तदर्थ समिति ने यह सुझाव दिया था कि यह पाठ्यक्रम भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये और यदि हां, तो सरकार ने इतना समय क्यों लिया और यह प्रश्न अब दूसरी समिति को क्यों सौंपा गया है ?

श्री दातार : यह दूसरी समिति को नहीं सौंपा गया है । समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड ने दो वर्ष के लिये एक विस्तृत पाठ्य विषय तैयार किया था । जहां तक इस प्रशिक्षण का प्रश्न है, सरकार सम्भवतः इतना समय नहीं दे सकती थी । अतः सरकार ने बोर्ड से यह

कहा कि एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाये जो प्रशिक्षण के दौरान में १०० घंटे में पूरा हो सके। अभी हमें उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या वर्तमान भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा के लिये पाठ्यक्रम वही है जो पहले भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय असैनिक सेवा के लिये था, यदि नहीं, तो कौन कौन से नये विषय प्रारम्भ किये गये हैं ?

श्री दातार : पाठ्यक्रम सभा के सामने है। वह करीब-करीब उसी आधार पर बनाया गया है जिस पर कि भूतपूर्व भारतीय असैनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का पाठ्क्रम बनाया गया था ; परन्तु कहीं कहीं परिवर्तन किये गये हैं।

पन्ना में हीरे की खानें

*२३०६. **श्री तेलकीकर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पन्ना में हीरे की खानों का वार्षिक उत्पादन दस करोड़ रुपये अधिक का किया जा सकता है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : कुछ प्रारम्भिक जांच की गई है, परन्तु अभी यह पता लगाया जाना है कि वास्तव में वहां कितना हीरा है। अभी यह कहना समय से पूर्व होगा कि वहां कितना हीरा निकल सकता है।

श्री तेलकीकर : क्या यह सच है कि अधिक आयात शुल्क के परिणामस्वरूप चोरी छिपे हीरा भेजने वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं और इस उद्योग की प्रगति में बाधा पहुंच रही है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : चोरी छिपे हीरा ले जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। और उससे इस उद्योग के समुचित विकास में बाधा भी पहुंची है।

श्री तेलकीकर : क्या विदेशियों द्वारा, जो सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली तलाशी से उन्मुक्त हैं, चोरी छिपे हीरे ले जाये जाने की घटनाएं हुई हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री तेलकीकर : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि चोरी छिपे हीरे बाहर भेजने के लिये कौन कौन से तरीके अपनाये जाते हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे खेद है कि यह मैं न बता सकूंगा। इसके अनेक तरीके हैं।

रेडियो गवेषणा समिति

अध्यक्ष महोदय : * अब श्री कृष्णाचार्य जोशी का प्रश्न संख्या २२६६ लिया जायेगा।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : विवरण से पता चलता है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के प्रतिनिधि ने पहले ही एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया है। क्या उस कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया है और यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : वास्तविक कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में इस समय किन-किन समस्याओं और वस्तुओं के विषय में अध्ययन किया जा रहा है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस समिति के समक्ष मुख्य समस्या यह थी कि निम्नलिखित ११ चुनी हुई वस्तुओं का अग्रेतर विकास किस प्रकार किया जाये : विद्युत् निर्मित बिन्दु रेखा-पत्र (इलैक्ट्रीकल्ली-मेड ग्राफ़ पेपर), प्रेस बेंत

---

* स्तम्भ संख्या--------से जारी

ट्रांसफॉर्मर, ऊति निर्मित स्थायी चुम्बक (टिशु-मेड पर्मामेंट) मैगनेट, माइका उत्पाद) शून्यक नाल (वैकुअम ट्यूबस) के लिये विशेष प्रकार का कांच, स्लीपर, अल्मोनियम के वर्क, पिघलाने का पावडर (मैल्टिंग पावडर), बेसेज के लिये एच० एफ० सी० सिरेमिक्स, धूलि-आन्तरक (डस्ट कोर), विद्युत् संस्पर्श सामग्री (इलैक्ट्रीकल कन्टैक्ट मैटीरियल) तथा अन्य वस्तुएं ।

संघ लोक सेवा आयोग

*२३०७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री वर्ग १ और वर्ग २ के पदों पर संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश किये बिना नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में १२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अस्थायी आधार पर नियुक्तियां करने के लिये कोई संवरण समिति है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ऐसी अस्थायी नियुक्तियां जो एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये न हों और जो अविलम्ब की जानी हों, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के बिना की जा सकती हैं । ऐसी नियुक्तियों के लिये उम्मीदवारों का संवरण करने के लिये कोई प्रक्रिया विशेष विहित नहीं है और नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह प्रत्येक मामले को देखते हुए जो तरीका ठीक समझे अपना ले ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनमें पदाधिकारियों को पहले तो अस्थायी पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है और फिर बाद में उन्हें तथाकथित नियमानुकूल प्रक्रिया द्वारा स्थायी कर जाता है ?

श्री दातार : ऐसा नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ, यदि कोई अनियमितता होती है तो मामला हमारी सूचना में लाया जाता है और संघ लोक सेवा आयोग को भी सूचित किया जाना होता है । हमने नियमों में कुछ परिवर्तन किये हैं जिनके अनुसार मंत्रालयों अथवा विभागों को ऐसी अस्थायी नियुक्तियों की सूचना संघ लोक सेवा आयोग को देनी पड़ती है । माननीय सदस्य को जिस बात का डर है उसी को रोकने के लिये यह व्यवस्था की गई है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संघ लोक सेवा को अब अधिक काम करना पड़ेगा, क्या सरकार का विचार उसके कर्मचारी वर्ग का विस्तार करने का है ।

श्री दातार : इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री राघवाचारी : क्या यह सच है कि बाद में जब इन पदों को स्थायी बनाया जाता है और प्रार्थनापत्र मांगे जाते हैं तो इन लोगों की अस्थायी नियुक्तियां इन के चुने जाने में सहायक सिद्ध होती हैं ?

श्री दातार : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि जब वे एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है ?

श्री राघवाचारी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है । अन्य प्रार्थियों को निर्देश किये बिना आप किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं । बाद में जब उस पद के लिये कोई स्थायी नियुक्ति की जाती है तो अस्थायी व्यक्ति का उस पद पर पहले से कार्य करते रहना उसकी नियुक्ति में सहायक सिद्ध होता है और वह स्थायी बना दिया जाता है ।

श्री दातार : यह आवश्यक नहीं ह, यह चीज़ तो उनके खिलाफ़ भी जा सकती है ।

भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

*२३०८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमों के नियम ५ (२), जो एक से अधिक जीवित पत्नी रखने वाले व्यक्तियों के सेवा में नियुक्ति किये जाने के लिये अनर्ह होने के विषय में है, के उपबन्धों पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है ;

(ख) अब तक भारतीय पुलिस सेवा के कितने पदाधिकारियों को इस नियम के प्रवर्तन से विमुक्त किया गया है ; और

(ग) इन विमुक्तियों के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी को भी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि इन नियमों के अनुसार ऐसे लोग जिनकी एक से अधिक पत्नी हैं पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे और क्या मैं जान सकता हूं कि इन नियमों के लागू होने के बाद कितने पदाधिकारियों की पदोन्नति की गई ?

श्री दातार : यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी की इन नियमों के बनाये जाने के पहले ही एक से अधिक पत्नी थीं तो वे अनर्ह नहीं समझे जा सकते ।

आसाम के लिये बाढ़ सहायता

*२३११. **श्री अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम को १९५४ में बाढ़-पीड़ितों को सहायता देने के लिये (१) ऋण, (२) निरपेक्ष सहायता, (३) दवाइयों और (४) अन्य आवश्यक चीजों के रूप में कितनी सहायता दी गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४३**]

श्री अमजद अली : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ से हजारों मकान गिर गये थे, आवास के लिये कोई धनराशि अलग क्यों नहीं रखी गई ?

श्री दातार : यह सहायता राज्य सरकार की प्रार्थना पर दी गई थी और हमने राज्य सरकार की इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयत्न किया है ।

श्री अमजद अली : क्या यह सच है कि बाढ़ सहायता के लिये कोई ऋण मंजूर नहीं किये गये, और यदि हां, तो क्या ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया या राज्य सरकार ने इसकी मांग ही नहीं की ?

श्री दातार : राज्य सरकार ने जो कुछ मांग की थी सहायता देने से पहले उसे पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया था ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

*२३१२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में आंध्र राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये अलग अलग से, विभिन्न मदों पर व्यय करने के लिये कितना धन दिया गया है ; और

(ख) अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) अनुसूचित जातियों (अस्पृश्यता निवारण) और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९५४–५५ के दौरान में स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान में से राज्य सरकार ने क्रमशः १·८९ और ८·८९ लाख रुपये व्यय किये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : राज्य द्वारा पूरे अनुदानों को व्यय न करने के क्या कारण हैं ?

श्री दातार : कुछ मामलों में यहां योजनायें ठीक समय पर नहीं आई । सम्पूर्ण विस्तृत बातों सहित योजनाएं आनी चाहियें और यदि वे यहां ठीक समय पर नहीं आईं अथवा कुछ और सूचना मांगी गई है और उसका आना है, तो कुछ देर हो जाती है और कुछ मामलों में अनुदानों को व्यय न करने के लिये यही कारण उत्तरदायी होते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं की जांच करने के पश्चात् अनुदान दिये जाते हैं; और अनुदान मिल जाने के उपरांत फिर यह धन क्यों नहीं व्यय किया गया ?

श्री दातार : यह तो राज्य सरकार बतायेगी । हो सकता है कि उस समय उन्हें कुछ कठिनाइयां हों जिनकी इस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इसके पूछने से पहिले मैं इसे ठीक करने की आज्ञा चाहता हूं । भाग (क) में यह कहा गया है कि यह पुस्तक अमरीका में छपी है जबकि सही जानकारी यह है कि यह पुस्तक ब्रिटेन में मैसर्स बटलर एन्ड टैनर लि०, लन्दन ने चाट्टो एन्ड विन्डस, लंदन द्वारा प्रकाशित कराई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक कर लिया जाय ।

"राम पुनर्वर्णन" (रामा रिटोल्ड)

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री औबरे मेनन द्वारा लिखित 'राम पुनर्वर्णन ' (रामा रिटोल्ड) नामक आरोप लगाने वाला एक प्रकाशन ग्रेट ब्रिटन में मैसर्स बटलर एन्ड टैनर लि० लंदन, ने चाट्टो एन्ड विन्डस, लन्दन द्वारा प्रकाशित कराया है और भारत में बिक रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ;

(ग) क्या इस पुस्तक की सामग्री इस देश के अधिकांश से अधिक व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली है;

(घ) क्या भारत में इस पुस्तक की और बिक्री को रोकने अथवा इस प्रकाशन को रोकने के लिये, सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या अमरीका का ध्यान इस प्रकाशन की ओर दिलाया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). इस पुस्तक का आयात वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक १९ जुलाई, १९५५ के द्वारा रोक दिया गया है और इसकी बिक्री दिल्ली राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक २७ जुलाई, १९५५ द्वारा बन्द कर दी गई है ।

(ङ) नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को देखते हुए कि इस पुस्तक की सामग्री उत्तेजनात्मक पाई गई है और यहां तक कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि एक भारतीय प्रकाशन "कैरेवान" ने मई १९५५ के अंक में इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए आलोचना की है । क्या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह हमारी जानकारी में है किन्तु समीक्षा करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करना तो कठिन है किन्तु उस पुस्तक की बिक्री के विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उस देश की सरकार से जहां इसका मुद्रण एवं प्रकाशन हुआ था, कोई लिखा पढ़ी की गई है, और क्या कोई ऐसा प्रयत्न किया गया है कि उस देश में उस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लग जाये ?

श्री दातार : इस प्रकार के मामलों में यह प्रथा नहीं है कि ऐसे प्रश्नों को उन सरकारों के साथ उठाया जाय जहां कि पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । यही बहुत काफी और प्रभावकारी है कि इस पुस्तक के आयात अथवा उसके प्रकाशन के विरुद्ध भारत में कार्यवाही की गई है ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् : क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि इस पुस्तक विशेष को बुक सोसाइटी द्वारा मान्यता दी गई है और क्या सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री दातार : खेद है कि बात ऐसी ही ह । किन्तु जहां तक कि भारत सरकार का सम्बन्ध है वह अमरीका की बुक सोसाइटी के विरुद्ध कार्यवाही कसे कर सकती है ?

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि श्री औबरे मेनन जो कि भारत..........

श्री दातार : श्रीमान्, मेनन नहीं मेनेन ।

श्री जोकीम आल्वा : मुझे खेद है । जब यह महाशय भारत में थे तो इन्होंने अपना नाम मेनन ही बताया था । क्षमा कीजियेगा । क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि श्री औबरे मेनेन की जिन्होंने भारत के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है आकाशवाणी द्वारा काफ़ी आव भगत की गई थी और क्या गृह-कार्य मंत्रालय का विचार शिक्षा मंत्रालय को यह सिफारिश करने का है कि वह भी अंग्रेजी में रामायण और महाभारत जैसी महान् और अभिजात रचना निकालें जैसी कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने लिखी है ?

श्री दातार : इस प्रशंसनीय सुझाव की सिफारिश अपने साथी माननीय शिक्षा उपमंत्री महोदय से करूंगा जो यहां बैठे हैं ।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

हिन्दी

*२२६५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं में हिन्दी चलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४५**]

कोलार की सोने की खानें

*२२६६. **श्री केशवैयंगार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने कोलार की सोने की खानों के सम्बन्ध में

स्वामित्व के दर बढ़ाने के बारे में भारत सरकार से परामर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

जम्मू और काश्मीर में सैनिक कर्मचारी

*२२७१. **श्री केशवैयंगार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में सेवा करने वाले सैनिक कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जम्मू और काश्मीर में सेवा करने वाले जूनियर (कनिष्ठ) कमीशन-प्राप्त अफसरों, अन्य रैंकों (श्रेणियों) और नॉन कम्बैटैन्ट्स (एनरोल्ड) [युद्ध जन लड़नेवाले (भर्ती हुए)] को इस प्रकार विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता दिया जाता है :—

जूनियर (कनिष्ठ) कमिशन प्राप्त अफसर	१५ रुपये प्रतिमास
ऐसे अफसर जिन्हें कमीशन नहीं प्राप्त है	१० रुपये प्रतिमास
सिपाही	८ रुपये प्रतिमास
नॉन कम्बैटैन्ट्स (एनरोल्ड) [युद्ध न लड़ने वाले (भर्ती हुए)]	९ रुपये प्रतिमास

जम्मू और काश्मीर में सेवा करने वाले सभी सैनिक कर्मचारियों को अनेक रियायतें भी मंजूर की गयी हैं ।

(ख) रियायतें जनवरी १९४८ में इस आधार पर मंजूर की गयी थीं कि सक्रिय सेवा करने वाली (युद्ध न लड़ने वाली) फौजों को दी जाने वाली रियायतों में से कुछ रियायतें काश्मीर में सेवा करने वाली फौजों के लिये मंजूर की जानी चाहिये ।

आदिवासियों का व्यवस्थापन

*२२७४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमीन के बन्दोबस्त के लिये त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की कितनी याचिकाएं सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ;

(ख) जुलाई, १९५५ तक कितनों को ज़मीन दी गयी हैं ; और

(ग) उनको निबटाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ९४७ ।

(ख) २२ परिवार ।

(ग) ज़मीन के बन्दोबस्त के लिये आवेदन-पत्रों की स्थानीय जांच करनी होती हैं और जमीन की पैदाइश करनी होती है । इसके पूरा होने में कुछ समय लगता है, विशेषतः वर्षा ऋतु ने अधिकतर भीतरी क्षेत्रों में पहुंचना सुकर नहीं होता ।

राइफल चलाना

*२२७७. **श्री बोगावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय राइफल असोसियेशन ने देश में राइफल शूटिंग को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है ;

(ग) क्या असोसियेशन ने भारत में राइफल चलाने को प्रोत्साहन देने के लिये एक बोर्ड बनाने का आग्रह किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व योजना का एक प्रारुप प्राप्त हुआ था किन्तु वह अन्तिम योजना नहीं है । राष्ट्रीय राइफल असोसियेशन के संचालक निकाय ने उसे एक उपसमिति के पास भेज दिया है और वह अभी भी उपसमिति के विचाराधीन है । योजना आयोग द्वारा कितनी सहायता दी जानी चाहिये इस प्रश्न का निर्णय तभी मालूम होगा जब अन्तिम योजना तैयार हो जाय ।

(ग) और (घ). योजना के प्रारूप में रक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गयी है और उसके संविधान आदि के बारे में कोई विस्तार नहीं दिया गया है ।

संगीत नाटक अकादमी

*२२७९. **श्री बी० पी० नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय है जिससे शास्त्रीय नृत्य और संगीत में गवेषणा करने कें इच्छुक छात्र अपना काम चला सकें ;

(ख) यदि हां, तो पुस्तकालय का क्या परिमाण है ; और

(ग) विभिन्न भारतीय भाषाओं में नृत्य और संगीत के विषयों पर प्राचीन मान्य पुस्तकों का अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई भी नहीं ।

खजुराहों के मन्दिर

*२२८४. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश के खजुराहो में कितने मन्दिर हैं और कला की दृष्टि से उनका क्या महत्व है ;

(ख) क्या मन्दिर की कुछ कलात्मक प्रस्तर मूर्तियों को मंदिर से हटाने का विचार है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्वेषण किया गया है कि वे मन्दिर किस काल के हैं और उन का निर्माण किस ने कराया था ; और

(घ) क्या पत्थर की खंडित मूर्तियों की मरम्मत कराने का सरकार विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २४ मन्दिर हैं । वे मन्दिर वास्तुकला की इंडो-आर्य शैली के एक उत्कृष्ट रूप के प्रतिनिधि रूप है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उनका निर्माण काल ९५० ई० पू० से सन् १०५० के बीच का है और बुंदेलखंड के चन्देल शासकों ने उनका निर्माण कराया था ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

पहाड़ी आदिम जातियों के लिये पदोंका रक्षण

*२२८५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की सेवाओं में मनीपुर की पहाड़ी आदिम जातियों के लिये पदों के रक्षण

के प्रश्न के बारे में आज तक की स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मनीपुर राज्य सेवाओं में रक्षण इस प्रकार हुआ है :—

श्रेणी १ और श्रेणी २ के पद	५ प्रतिशत	(अनुसूचित आदिम जातियों के लिये)
श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के पद	२० प्रतिशत	(अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये सम्मिलित रूप में)

पंजीकृत वैद्य

*२२८८. **डा० सत्यवादी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के मामले में रजिस्टर्ड वैद्यों द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाणपत्र सरकार द्वारा मान्य नहीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में वैद्यों द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा होमियोपैथी चिकित्सकों द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र नान-गज़टेड सरकारी कर्मचारियों द्वारा रुग्णावस्था के आधार पर छुट्टी के लिये दिये गये आवेदन पत्रों के समर्थन में अनूपूरक नियम २२९ (क) के अधीन स्वीकार किये जाते हैं । बीमारी की छुट्टी से वापस लौटने के लिये योग्यता प्रमाणपत्र के रूप में भी वे अनुपूरक नियम २१२ के अधीन स्वीकार किये जाते हैं । फिर भी यह इस शर्त के अधीन है कि वे प्रमाणपत्र उस राज्य की सरकार द्वारा, जहां वह कर्मचारी बीमार होता है या इलाज के लिये जाता है, ऐसे ही मिलते-जुलते उद्देश्यों के लिये स्वीकार किये जाते हों । इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४६]** ये आदेश कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये जिनके लिये उल्लिखित नियम लागू होते हैं, समान रूप में लागू हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सैनिक पदाधिकारी

*२२९२. **श्री नटेशन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत १५ अगस्त को बंगलौर में स्वतन्त्रता दिवस समारोह के अवसर पर दो उच्च सैनिक पदाधिकारी समारोह से उठ कर चले गये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हवाई बेड़ों में कर्मचारियों की भर्ती

*२२९३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अगस्त, १९४७ से १५ हवाई बेड़ों में भर्ती पूरी नहीं हो सकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वैमानिकों की सेवा का विस्तार रोक देने की कोई प्रस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). विमान बल के विकास की स्थिति अथवा भावी योजना के बारे में बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है । फिर भी में यह बता सकता हूं कि आवश्यक कर्मचारी मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

फर्रुखाबाद जिले में प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुएं

*२२९४. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िला (उत्तर प्रदेश) में, अभी हाल में, ऐतिहासिक महत्त्व की कुछ वस्तुएं पायी गईं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : इस मंत्रालय को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र

*२३०१. **श्री के० के० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को और भारत सरकार के सम्मिलित प्रयत्नों से कलकत्ते में सामाजिक शास्त्रों के लिये एक नया गवेषणा केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा अंशदान के रूप में इसके लिए कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) कुल व्यय कितना है और उसमें (१) यूनेस्को (२) भारत सरकार, और (३) पश्चिमी बंगाल सरकार का कितना कितना हिस्सा होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४७]

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

*२३०२. { **श्री धुलेकर :**
श्री राधेलाल व्यास :

क्या रक्षा मंत्री ३१ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर तथा उस प्रश्न पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुंजरु समिति का प्रतिवेदन संसत्सदस्यों में परिचालित किया जायेगा अथवा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ऐसा करना लोकहित में नहीं होगा ।

अंदमान द्वीपों में विस्थापित व्यक्तियों का बसना

*२३०४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अंडमान द्वीपों की 'अंडमानी संस्था' नामक संस्था से अंडमान द्वीपों में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बसाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किस प्रकार का है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). हाल ही में संस्था से कुछ सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के

साथ यह प्रार्थना की गई है कि भारत के विस्थापित लोगों को बसाने में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाये और उनके लिए दक्षिण अंडमान में भूमि रक्षित कर दी जाये ।

निर्माण समिति

***२३०९. श्री ए० के० गोपालन** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अनुसार भारतीय भू-परिमाप के अधीन निर्माण समिति बना दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भू-परिमाप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ से परामर्श किया गया था ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

***२३१०. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष भी दिल्ली में एक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह आयोजित करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब होगा ; और

(ग) गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) २३ अक्टूबर से ३० अक्टूबर, १९५५ तक ।

(ग) गत वर्ष लगभग १·३५ लाख रुपये व्यय हुए थे । आगामी समारोह के लिये २·७ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है ।

स्कूलों में नाट्य कला

***२३१३. श्री एम० डी० जोशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को ये हिदायतें भेजी गई हैं कि माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा नाटक स्कूल के कार्य के रूप में खेले जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो ये हिदायतें कब दी गई थीं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को इस कार्य के लिये यदि कोई अनुदान दिया गया है ; तो कितना ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल १९५५ में ।

(ग) कुछ नहीं ।

बाढ़

***२३१४. श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र और हैदराबाद राज्यों में भारी वर्षा होने के कारण गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है तथा इससे अनेकों लोग बेघर हो गये हैं और फसल को क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र राज्य के ज़िला कुरनल के अल्लूर ताल्लुके में बपुरम गांव तुंगभद्रा परियोजना नहर के टूट जाने के कारण पूर्णतया बह गया है और हज़ारों लोग बेघर हो गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हैदराबाद राज्य में स्थित लारपुर में १५०० घर गिर गये हैं ; और

(घ) सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४८]**

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

***२३१५. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी में कितने भारतीय **विद्यार्थी** हैं ;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी के प्राधिकारियों के द्वारा उन पर कोई शर्तें लगाई गई हैं ; और

(ग) उनके अध्ययन के विषय क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) १-१-१९५५ को १२९ ।

(ख) जहां तक हमें विदित है कोई नहीं ।

(ग) मानव शास्त्र, विज्ञान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगकीय शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*२३१६. { **श्री इब्राहीम :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ म केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया गया था उसमें से अनुसूचित आदिम जातियों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण, जिसमें उन राज्यों के बारे में सूचना दी गई है जिनके बारे में सूचना प्राप्त है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४९]** । अन्य राज्यों के बारे में सूचना यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्मा ऋण

***२३१७. श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बर्मा सरकार पर ऋण की कितनी धनराशि बकाय है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस समय यह राशि ४.५६ करोड़ रुपये है ।

समुद्रपार भारतीयों के लिये हिन्दी शिक्षा

***२३१८. श्री के० सी० सोंधिया :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट इंडीज और ब्रिटिश गायना के समुद्रपार भारतीयों को हिन्दी की शिक्षा देने की सुविधाओं के लिये १९५५-५६ के बजट में सरकार ने कोई राशि अलग रखी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि रखी ह;

(ग) उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) वह किस प्रकार खर्च की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा तथा हिन्दी की उन्नति के लिये ७५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) अभी तक १३,१४० रुपये की मंजूरी दी गई है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५०]

भारत के पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी

*२३१९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में भारत के पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण, प्रकाशित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के विस्तृत ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :(क) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में।

(ख) विस्तृत ब्यौरे यह हैं (१) पशुओं के एक विशेष वर्ग के सम्बन्ध में भारत के पशु पक्षी एक पुस्तिका प्रकाशित होगी ;

(२) पौधों के परिवारों के अनुसार भारत के पेड़ पौधों का पुनर्विलोकन किया जायेगा तथा पुनर्विलोकन पूर्ण होने पर, प्रकाशित किया जायेगा। विभिन्न राज्यों के पेड़ पौधों का भी प्रकाशन के लिये पुनर्विलोकन होगा।

असैनिक कर्मचारियों में अनुशासनहीनता

*२३२०. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों द्वारा उनके निकटतम पदाधिकारियों के प्रति अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा के कितने मामले, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्, सरकार तथा विभागों के प्रमुखों को भेजे गये थे ; और

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने उपयुक्त कार्यवाही की थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राइफल संथाएं

*२३२१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राइफल संथाओं ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष राज्यों तथा केन्द्र ने मिलाकर कुल कितनी धनराशि दी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) १०,३०० रुपये (भोपाल ६,००० रुपये, आसाम ३५०० रुपय तथा पश्चिमी बंगाल ८०० रुपये) केन्द्रीय सरकार तथा शेष राज्य सरकारें इस प्रकार की सहायता की प्रार्थना पर विचार कर रही हैं।

कनाट प्लेस में विस्फोट

*२३२२. **श्री राधा रमण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९५५ में नई दिल्ली, कनाट प्लेस में बम विस्फ़ोट किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्फ़ोट किस प्रकार का था तथा इसके कारण क्या थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अवसरों पर दो मिनट के मौन धारण के लिये समय सूचना के रूप में इसके प्रयोग के लाभ को निश्चित करने के लिये, एक छोटे बम का विस्फ़ोट करके परीक्षण रूप से किया गया था ।

मतदान सम्बन्धी सुविधायें

***२३२३. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कुल कितने भारतीय मतदाता हैं ;

(ख) गत साधारण निर्वाचनों के समय, मत देने के सम्बन्ध में उन्हें क्या सुविधायें दी गई थीं ; और

(ग) क्या आने वाले सामान्य निर्वाचन के लिये मतदाताओं की सूची का पुर्नविलोकन किया गया है ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) ज्ञात नहीं है । इस समय की, विदेशों में भारतीय मतदाताओं की संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) भारत से बाहर, भारत सरकार के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों तथा उनकी पत्नियों को डाक द्वारा मत पत्र भेजने की सुविधा दी गई थी ।

(ग) निर्वाचन सूचियों का पुर्नविलोकन प्रति वर्ष किया जाता है । आगामी साधारण निर्वाचनों से पूर्व, अंतिम पुर्नविलोकन निर्वाचन होने वाले वर्ष से एक वर्ष पूर्व किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय आय

***२३२४. श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में गवेषणा कार्य की स्थिति के सुनिश्चयन के लिये की गई कार्यवाही के क्या परिणाम हुये ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तथा कार्यक्रम बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). केन्द्रीय सांख्यकी संस्था ने इस विषय में ३५ विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को लिखा था इनमें से अधिकांश के उत्तर मिल चुके हैं । राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लगभग उनमें से दस गवेषणा कार्य कर रही हैं अथवा कर चुकी हैं । यदि सरकार अनुदान दे तो उनमें तीन और ने इसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ करने की इच्छा प्रकट की है । उत्साहवर्धक उत्तरों के आधार पर यथासम्भव शीघ्र एक राष्ट्रीय आय सम्मेलन बुलाने का विचार है । यह राष्ट्रीय आय सम्मेलन राष्ट्रीय आय समिति की सिफ़ारिशों पर गवेषणा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये होगा । इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक कार्य किये जा रहे हैं ।

सालिहुन्दर में बौद्ध अवशेष

***२३२५. श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में आंध्र राज्य के श्रीकाकुलम ज़िले में सालिहुन्दर में जो बौद्ध अवशेष मिले हैं, उन्हें किस स्थान पर रखा जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : नगरजुनकोंडा में ।

संयुक्त राज्य गवेषणा परियोजनाएं

***२३२६. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संयुक्त राज्य गवेषणा परियोजनाओं के कुपरिणामों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध समाज शास्त्रियों ने जो मत प्रकाशित किया है क्या उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, माननीय सदस्य द्वारा दी गई पुस्तिक से ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

कामेट और एबी गमिन चोटियां

***२३२७. श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय की कामेट एबी गेमिन चोटियों पर जो दल हाल ही में चढ़ा था, उसके व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सरकार की ओर से किया गया था, या वैयक्तिक हैसियत में ; और

(ग) यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई हो, तो उसकी राशि क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मंजीठिया):

(क) मेजर एन० डी० जायल श्री आंग थारके श्री डा० नामग्याल श्री आंग तेम्बा श्री नवांग तापगे	हिमालय माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट के स्टाफ़ के लोग
कैप्टेन जान डायस कैप्टेन आर० के० मलहोत्रा	इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी
लेफ़ि० आर० के० अग्रवाल श्री गुरुदयाल सिंह	बंगाल सेपर्स तथा माइनर्स माउन्टेनियरिंग क्लब द्वारा नामजद लोग

(ख) यह एक्सपेडिशन हिमालय माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट के एक ऐडवान्स कोर्स के रूप में किया गया था । इसका संगठन सरकार की ओर से नहीं किया गया था ।

(ग) इसका खर्च इंस्टीट्यूट ने, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की ने तथा टीम के मैम्बरों ने मिल जुल कर उठाया था । सरकार ने इस एक्सपेडिशन के सिलसिले में कोई धन सम्बन्धी सहायता नहीं की थी ।

राष्ट्र मंडलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन

***२३२८. श्री जनार्धन रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री ३ सितम्बर १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय सेना प्रमुखों के सम्मेलन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । सरकार कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा नहीं करती, क्योंकि इन सम्मेलनों में सामान्यतया केवल व्यवसाय सम्बन्धी मामलों की चर्चा हुई थी ।

रक्षा सेनाओं द्वारा बचाव कार्यवाइयां

***२३२९. श्री के० के० दास** : क्या रक्षा मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(१) भारत के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ों के बीच रक्षा सेनाओं

द्वारा किये गये बचाव के काम का व्यौरा क्या है ;

(२) यदि बचाव के कामों में कोई अधिक खर्च किया गया है, तो कितना ; और

(३) उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५१]**

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये भर्ती

***२३३०. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पैप्सू में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदालियों की भर्ती के लिये कोई विशेष बोर्ड स्थापित किया गया है ;

(ख) बोर्ड में कौन कौन व्यक्ति लि गए हैं ;

(ग) बोर्ड के सामने कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे ; और

(घ) इस बोर्ड की सिफारिश पर इन सेवाओं में कितने व्यक्ति लिये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) पैप्सू में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की भर्ती के लिये हाल में कोई विशेष बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है । तथापि, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, १९५५, के विनियमन ३ के अनुसार, राज्य पदालियों में पदोन्नति अभ्यंश (कोटा) के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये राज्य के असैनिक और पुलिस अधिकारियों की आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के रूप में पदोन्नति के लिये पैप्सू में हाल में निर्वाचन समितियां स्थापित की गई थीं ।

(ख) इन समितियों की रचना आई० ए० एस०/आई० पी० एस० (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन १९५५, की अनुसूचियों में दी गई है, जो जून १९५५ में प्रकाशित हुए हैं ।

(ग) आई० ए० एस०/आई० पी० एस० पदोन्नति विनियमनों में, निर्वाचित नामावली तैयार करने से पहले, निर्वाचन समिति द्वारा मुलाकात का कोई नियम नहीं है । जहां समिति ऐसा चाहती है वह योग्य पदाधिकारियों में से सब से या कुछ एक से मुलाकात कर सकती है । पैप्सू के मामले में मुलाकात को अनिवार्य नहीं समझा गया था । तथापि इन समितियों ने पदाधिकारियों के सेवा अभिलेखों के आधार पर सब योग्य पदाधिकारियों के मामलों पर विचार किया था ।

(घ) सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये मंत्रणा समिति

***२३३१. श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के चीफ कमिश्नर को सलाह देने के लिये पांच सदस्यों की एक मंत्रणा समिति है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर मंत्रणा देने के लिये वह जिम्मेदार है;

(ग) क्या उसकी बैठकें प्रति मास होती हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष चीफ कमिश्नर ने उसकी कितने प्रतिशत सिफारिशों को कार्यान्वित किया ;

(ङ) इस मंत्रणा समिति का फिर से चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है ; और

(च) फिर से चुनाव होन का आधार क्या है और उम्मीदवारों के लिये क्या योग्यतायें निर्धारित की गई ह ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) प्रशासन की आम नीति, अन्दमान द्वीप की उन्नति योजनाओं और वहां के रहने वालों की दशा में सुधार के लिये समिति चीफ कमिश्नर को सलाह देती है ।

(ग) समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होती है ।

(घ) इस साल में समिति में १४ सुझाव रखे गये । इनमें से १० को या तो कार्यान्वित कर दिया गया है या किया जा रहा है और बाकी सुझावों की जांच की जा रही है ।

(ङ) तथा (च). समिति के सदस्यों की नामज़दगी हर साल भारत सरकार द्वारा होती है और वह नामज़दगी का निर्णय करते समय द्वीप समहों में भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखती है । इसके लिये कोई खास योग्यतायें नहीं रखी गई हैं ।

नई दिल्ली में भगवान बुद्ध का स्मारक

***२३३२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भगवान् बुद्ध का स्मारक बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उस स्मारक के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ;

(ग) इसके निर्माण पर कितनी लागत के आने का अनमान है ; और

(घ) उस स्मारक का नमूना कब और कैसे चुना जाएगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) बौद्ध धर्म के २५००वें वर्ष के पुण्यपर्व के उपलक्ष्य में स्मारक बनाने की प्रस्थापना है ।

(ख) जी हां, अस्थायी रूप से एक स्थान चुन लिया गया है ।

(ग) नमूने का निर्णय हो जाने के उपरांत स्मारक की लागत का अनुमान लगाया जाएगा ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

***२३३३. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के लिए गवेषणा दल नियुक्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसम कौन कौन व्यक्ति हैं और उसके निर्देश-पद क्या है ; और

(ग) क्या उसके प्रतिवदन के पेश करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५२]

अन्धों के लिए छात्रवृत्तियां

***२३३४. श्री राधा रम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के दौरान अन्धे विद्यार्थियों को कितनी स्कूलोत्तर (उत्तर

स्कूली शिक्षा के) छात्रवृत्तियां दी गयीं या दी जाने वाली हैं; और

(ख) ये छात्रवृत्तियां कब तक वास्तव में दे दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) लगभग १५ ।

(ख) ६–८ सप्ताह में ।

अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों का सम्मेलन

***२३३५. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६ और २७ अगस्त, १९५५ को दिल्ली में आय-कर से कुछ छूट पाने के सम्बन्ध में होने वाले अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प पर कोई निश्चय किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): जी, नहीं। अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों के प्रतिनिधियों से कहा गया था कि वे स्पष्ट तथ्य तथा आंकड़े पेश करें कि कैसे सहकारी बीमा समितियों पर उलटा असर पड़ा है और इस सम्बन्ध में उनके अग्रेतर अभ्यावेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लेखे तैयार करने और राज्यकोष में सुधार

***२३३६. श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्यकोष प्रदान और नियंत्रण की प्रणाली तथा वर्तमान लेखे तैयार करने और राज्यकोष प्रक्रिया के अन्य सुधार का परीक्षण करने के लिए जो विशेषाधिकारी नियुक्त किये थे, उन्होंने प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). नियुक्त किये गये विशेषाधिकारियों को अपना प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास भेजना था, सरकार के पास नहीं । नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार से परामर्श करता रहा है और जो निश्चय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

(१) राज्यकोष प्रणाली के लागू करने से वर्तमान कोषागार तथा लेखे तैयार करने की प्रणाली में आमूल परिवर्तन होंगे और उसमें कुछ देर भी लगेगी । इस बीच नियंत्रक महालेखापाल और सरकार इस बात पर सहमत हो गये हैं कि राज्यकोष नियंत्रण की मुख्य बात यह है कि यथासम्भव और यथाशीघ्र लेखा परीक्षण और लेखाओं को अलग कर देना चाहिए ।

(२) जब तक कि सभी विभागों के लिए वेतन तथा लेखा कार्यालय अलग अलग स्थापित नहीं कर दिये जाते, तब तक विनिमय लेखाओं द्वारा समायोजित किये जाने वाले लेन-देन को जो विनियोग के व्यय के नियंत्रण में कठिनाई पैदा करते हैं यथासम्भव कम कर दिया जाये ।

(३) सभी विभागों में वेतन तथा लेखा कार्यालयों के खुलने पर विनिमय लेखाओं द्वारा समायोजन बन्द कर दिया जाना चाहिए और

चैकों या बैंक ड्राफ्टों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए । इससे वेतन तथा लेखा पदाधिकारी निश्चिन्त हो जायेंगे कि विनियोग से अधिक भुगतान नहीं किया जाता ।

फुटबाल स्टेडियम

***२३३७. श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई विनियम है जिसके अनुसार कलकत्ता मैदान पर फोर्ट विलियम के निकट होने के कारण कोई स्थायी प्रकार का निर्माण करने की मनाही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार से मांग की है कि वह कलकत्ता मैदान में और फोर्ट विलियम से एक निश्चित दूरी के भीतर कहीं भी फुटबाल स्टेडियम न बनवाये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां । इस समय भारतीय रक्षा निर्माण अधिनियम, १९०३ के अन्तर्गत फोर्ट विलियम के रक्षा खण्ड क्षेत्र के २,००० गज की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबन्ध है ।

(ख) जी, नहीं । अभी हाल में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस वर्जित खण्ड के भीतर पड़ने वाले एक क्षेत्र में एक फुटबाल स्टेडियम बनाने का एक प्रस्ताव भेजा है और भारत सरकार उस पर विचार कर रही है ।

रूपकुंड में मानवीय ठठरियां

***२३३८. श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में लगभग अठारह हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड में सदियों पुरानी कुछ सौ मानवीय ठठरियों के होने की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विषय में क्या कोई जानकारी उपलब्ध है ; और

(ग) इस बारे में अब तक भारत के एन्थ्रोपोलोजीकल सर्वे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव : (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) नहीं । इस समय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) विभाग का एक छोटा दल जिसके नायक एन्थ्रोपालोजी विभाग के निदेशक स्वयं हैं इस समय रूपकुंड को जा रहा है ।

गिलट के सिक्के

१२१६. श्री इब्राहीम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास गिलट के सिक्के बनाने के लिए पर्याप्त गिलट है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन देशों से गिलट का आयात किया जाता है ; और

(ग) १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के गिलट का आयात किया गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां, क्योंकि भारत में गिलट का उत्पादन नहीं होता ।

(ख) गिलट का आयात इंगलैंड से भारत भाण्डार विभाग, लंदन के महानिदेशक द्वारा किया जाता है ।

(ग) उक्त अवधि में आयात किये गये गिलट की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
		रुपये
१९५३-५४	२१७ टन	१४,३३,१७४
१९५४-५५	कुछ नहीं	कुछ नहीं

संयुक्त स्कंध समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां)

१२१७. श्री हेम राज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजपुरा बिस्कुट फैक्टरी (पेप्सू) और स्टार्च कैमिकल वर्क्स (पेप्सू) ने १९५३ में अपने अपने अंशधारियों को स्वेच्छा से कम्पनियां बन्द करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर दिए थे ;

(ख) क्या इन दोनों कम्पनियों के अंशधारियों ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं कि इन के मामलों की जांच की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) से (ग). राजपुरा बिस्कुट मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटिड की एक बैठक ११ सितम्बर, १९५३ को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हुई थी कि कम्पनी को स्वेच्छा से बन्द कर दिया जाये परन्तु क्योंकि अंशधारियों ने व्यौरेवार जो सूचना मांगी थी वह नहीं मिली, इसलिए बैठक स्थगित कर दी गयी और यह कम्पनी सदा की तरह चल रही है । कम्पनी के कुछ अंशधारियों ने भी केन्द्रीय सरकार को यह अभ्यावेदन भेजा था कि इस कम्पनी के मामलों की जांच की जाये और इस सम्बन्ध में पेप्सू का कम्पनी रजिस्ट्रार प्रारम्भिक जांच कर रहा है । उसकी रिपोर्ट मिलने पर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

पटियाला स्टार्च एण्ड कैमिकल वर्क्स लिमिटिड के अंशधारियों को कम्पनी की असाधारण बैठक ३१ अक्तूबर १९५३ को करने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया था जिसमें यह विचार किया जाना था कि कम्पनी को स्वेच्छा से बन्द कर दिया जाये । इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि ऋण पत्रों द्वारा १० लाख रुपये का ऋण लेकर कम्पनी को चालू रखा जाये । कुछ अंशधारियों ने पेप्सू सरकार से अभ्यावेदन किया कि कम्पनी के मामलों की जांच की जाये । कम्पनी रजिस्ट्रार ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की और उस की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

दिल्ली में बाल अपचार

१२१८. श्री कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५४-५५ में बालकों द्वारा अपचार तथा अपराध में वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दोहरे कराधान से अनुतोष

१२१९. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का अब तक क्या प्रबन्ध किया गया है कि बर्मा में भारतीय व्यापारियों की आय पर दुबारा कर न लिया जाये; और

(ख) क्या बर्मा के व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेजा है; यदि हां, तो क्या ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत सरकार बर्मा सरकार के साथ एक करार करने के बारे में बातचीत कर रही है जिसके अनुसार दोबारा कर न लिया जाये । इसी बीच भारत के आय-कर अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि बर्मा में हुई आय के उस भाग पर, जिस पर दोनों देशों में आय कर लगता है, कर की वसूली अभी न करें ।

(ख) बर्मा के कुछ भारतीय व्यापारियों ने १९५३ में एक अभ्यावेदन भेजा था । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पत्र संख्या २५ (४०) आई० टी०/५३, दिनांक ९ सितम्बर, १९५३ की एक प्रति, जिसमें अभ्यावेदन में उल्लिखित दोनों बातें और उनके उत्तर भी हैं, १६ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर में पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क)

१२२०. श्री कामत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अगस्त, १९५५ को आयुध सेवा निदेशालय के अधीन कुल कितने उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क) थे ;

(ख) उसी तिथि को उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के थे और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित क्लर्कों में से कितने इस वर्ग में सीधे भरती किये गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १२३९

(ख) ३ ।

(ग) कोई नहीं ।

सीमा शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, बम्बई

१२२१. श्री कामत : क्या वित्त मंत्री ४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, बम्बई में काम करने वाले विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में बैठने से विमुक्ति देने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं और उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है क्योंकि बहुत से मामलों के लिए व्यवस्था करनी है । इसी बीच सुपात्र व्यक्तियों को विभागीय परीक्षाओं से विमुक्ति दी जा रही है और इन परीक्षाओं में बैठने के अतिरिक्त अवसर दिए जा रहे हैं ।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है सभी के सम्बन्ध में अभी कोई आदेश नहीं दिया गया ।

(ग) देरी का कारण यह है कि ये मामले किस प्रकार के हैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि इन्हें किस हद तक विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जा सकती हैं । आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया जायेगा ।

सम्पदा शुल्क

१२२२. { **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री एस० सी० सामन्त :
श्री तुलसीदास :
श्री जेठालाल जोशी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई १९५५ तक सम्पदा शुल्क के कितने मामले रजिस्टर किये गये ; और

(ख) इसी कालावधि में कितने मामलों का निबटारा किया गया और उनसे कितना राजस्व वसूल किया गया।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५५ तक सम्पदा शुल्क के २१४९ मामले रजिस्टर किये गये।

(ख) इसी कालावधि में १३७४ मामलों को निबटाया गया और सम्पदा शुल्क के रूप में ७८,९९,५१० रुपये की वसूली हुई।

सेना के इंजीनियर्स

१२२४. **श्री भक्तदर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के इंजीनियरों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सामान्य कार्य और सामरिक महत्व के कार्य के अतिरिक्त सड़क निर्माण आदि जैसा अन्य कोई कार्य किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक विस्तृत विवरण सभा के टेबल पर रखने का विचार करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये **परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५३**]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का काम

१२२५. **श्री इब्राहीम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ और १९५४ में भारत के उच्चतम न्याया और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कितने कितने दिन काम किया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५४**]

आय कर

१२२६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में आय कर के कितने अभियोग निलम्बित हैं ; और

(ख) इन अभियोगों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हैदराबाद राज्य में १ अप्रैल, १९५५ को आय कर के ११,३९५ अभियोग निलम्बित थे।

(ख) इन अभियोगों में अन्तर्ग्रस्त अनुमानित राशि लगभग ७६ लाख रुपया है।

मनीपुर में आदिम जातियां

१२२७. **श्री रिशांग किंशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के कितने गांवों में प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों के लोग बसे हुये हैं ; और

(ख) मनीपुर के आदिम जाति के लोगों के लिये १९५४–५५ में किस प्रकार की विकास योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १२७१ ।

(ख) १९५४–५५ में कार्यान्वित की गई मुख्य योजनायें ये थीं :

(१) स्कूल की इमारतों का निर्माण और स्कूल फर्नीचर का संभरण,
(२) जल संभरण में सुधार और औषधियों का निःशुल्क वितरण,
(३) सड़कों और दगड़ों का निर्माण,
(४) ढालू खेती के लिये सिंचाई नहरों का निर्माण,
(५) उखरुल में फल फार्म,
(६) बुनाई और बढ़ईगीरी में प्रशिक्षण, और
(७) इम्फाल में आदिम जाति विश्राम शिविर का निर्माण ।

भूतपूर्व सैनिक

१२२८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने १९५५ में पुनर्वास के लिये आवेदन किया था ;

(ख) उनमें से कितने लोगों ने रोज़गार पे निवेदन किया था ; और

(ग) कितने लोगों का पुनर्वास अथवा पुनः सेवानियोजित किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २१७ ।

(ख) ८९ ।

(ग) १९ ।

अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, इम्फाल

१२२९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के अध्यापक प्रशिक्षण संस्था के सभी अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको अब दिया जाने वाला वेतन क्रम राजकीय हाई स्कूलों में लगे प्रशिक्षित स्नातकों के वेतन-क्रम के बराबर ही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल के प्रशिक्षकों के वेतन-क्रम आसाम के प्रायमरी स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल के लिये आसाम प्रायमरी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दर के आधार पर निश्चित किये गये थे, क्योंकि १९५२ में जब प्रशिक्षण संस्था आरम्भ की गई थी तो उसका प्रयोजन प्रायमरी स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना था ।

कोणार्क मन्दिर

१२३०. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर की मरम्मत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ४३,१४० रुपये।

दिल्ली में विदेशी छात्र

१२३१. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक कालेज में कितने विदेशी छात्र (लड़के और लड़कियां) अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से उन छात्रों की संख्या क्या है जिनको सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिस्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५५]**।

मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां

१२३२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्रों के छात्रों को १९५५–५६ में मैट्रिक के ऊपर और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५६]**

मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां

१२३३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य सरकार द्वारा भारत संघ में इस राज्य के संविलयन होने के पूर्व और पश्चात् हाई स्कूलों में शिक्षा के लिये आदिम जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) छात्रवृत्तियां किस आधार पर और किस रूप में दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी मनीपुर सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना

१२३४. { **श्री सी० डी० पांडे** :
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक तथा छावनी के अधिकारियों ने २४ अगस्त १९५५ से रानीखेत और चिलयांकला के बीच बहुत सारे सार्वजनिक तथा ज़िला बोर्ड के मार्गों तथा सड़कों को बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि यह ठीक है तो ऐसा करने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या उनको पुनः चालू करने के लिए कोई पग उठाया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). रानीखेत और चिलयांकला के बीच ज़िला बोर्ड की कोई सड़क बन्द नहीं की गई। हां, आलमा राईफल रेंज में से जाने वाला एक रास्ता जिसका जनता तथा बस वाले अवैध प्रयोग करते थे अवश्य २४ अगस्त से २६ अगस्त, १९५५ तक बन्द रखा गया था।

(ग) आलमा राईफल रेंज में से जाने वाले इस मार्ग का प्रयोग इस आधार पर करने की अनुमति दे दी गई है कि दो मास के भीतर

ही चिलयांकला ग्राम तक जाने का दूसरा मार्ग तैयार कर दिया जायेगा ।

डाकू मानसिंह को घेरना

१२३५. **श्री बी० एन० मिश्र :**
श्री अमर सिंह डामर :
श्री बी० एस० मूर्ति :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने डाकू मानसिंह को पकड़ने में सक्रिय भाग लिया है ; और

(ख) राज्य सरकारों को इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे हैं और इस कार्य पर आज तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत ।

(ख) राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश ने इस कार्य में थोड़े समय ही भाग लिया था जब यह पता लगा कि मानसिंह का गिरोह उनके प्रदेश में प्रवश कर चुका है । उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत १९५३ से, जब से उनकी संयुक्त कमान का निर्माण हुआ, सीधे इस कार्य में लगे हुए थे । मानसिंह के विरुद्ध की गई कार्यवाही के व्यय की राशि बताना सम्भव नहीं क्योंकि डाकुओं को पकड़ने के लिए किये गये कार्य केवल उसी के गिरोह तक सीमित नहीं थे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

१२३६. **श्री वोडयार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर उच्च न्यायालय के लिए कितने न्यायाधीशों की स्वीकृति है ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : पांच ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

१२३७. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ज़िलों में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

झंडे

१२३८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रपति का झंडा तथा राज्यपाल का झंडा इन तीन झंडों को पृथक् रखने के क्या कारण तथा महत्व हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : राष्ट्रीय झंडा सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधि है । राष्ट्रपति का देश के प्रमुख होने के नाते, अपना पृथक् निजी झंडा है जैसे कि कई अन्य लोकतंत्रात्मक देशों की प्रथा है । इसी प्रकार, राज्यपालों के भी अपने राज्यों के प्रमुख होने के नाते अपने पृथक् निजी झंडे हैं जिनको वे अपने राज्यों में फहरा सकते हैं । इसमें प्रशासनिक सुविधा रहती है ।

फौना तथा फ्लौरा (प्राणि तथा परदय-जात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा

१२३९. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी जर्मन विशेषज्ञ समूह को भारत में दुर्लभ फौना तथा फ्लोरा पर

जर्मन संग्रहालयों व वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए गवेषणा करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि दी गई है, तो उसके लिए क्या कोई निबन्धन तथा शर्तें निश्चित किये गये हैं?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली): (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण

१२४०. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में सरकारी व्यय पर व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये भिन्न भिन्न कारखानों में विषयानुसार इंजीनियरी के कितने विद्यार्थी चुने गए ;

(ख) इन विद्यार्थियों को जहां जहां प्रशिक्षण के लिये भेजा जाएगा उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितनी राशि दी जायेगी ; और

(घ) यदि उनमें अनुसूचित जातियों के कोई विद्यार्थी हों तो उनकी संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५७]**

मालवा भील पल्टन

१२४१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व इन्दौर राज्य के रेज़ीडेंसी एरिया की मालवा भील पल्टन के कितने सिपाहियों को केन्द्रीय सेना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) उन में से कितने सैनिकों को शन आदि देकर सेवा निवृत्त किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) कोई नहीं ।

(ख) समाचार एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

परख नली में जीव

१२४२. **श्री एम० ए ज० अग्रवाल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परख नली में सामान्य जीव की उत्पत्ति सम्बन्धी कोई गवेषणा भारत में की गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : नहीं, श्रीमान् ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

१२४३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर सरकार ने भारत सरकार से कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : नहीं, श्रीमान् ।

कास्ट अकाउन्टैन्ट्स (परिव्यय लेखापाल) डिप्लोमा

१२४४. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्ट अकाउन्टैन्ट्स सिडनी (आस्ट्रेलिया) की निगमित संस्था द्वारा दिये गये डिप्लोमों को सरकार ने मान्यता दी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय फेडरल (अब संघ) लोक सेवा आयोग, ने

भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त को, इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सरकार ने डिप्लोमों को मान्यता नहीं दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

शिक्षा का सैनिक स्कूल, पंचमढ़ी

१२४५. श्री कामत : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में शिक्षा के सैनिक स्कूल, पंचमढ़ी के मेहतरों, पुरुष तथा स्त्रियों की अलग अलग मासिक मजूरी क्या है ; और

(ख) यदि कोई असमता है तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) शिक्षा का सैनिक स्कूल, पंचमढी नामक कोई संस्था नहीं है । अनुमानता निर्देश सेना शिक्षा दल केन्द्र तथा स्कूल, पंचमढ़ी की ओर है । इस स्कूल में कोई स्त्री मेहतरानी नहीं है । रक्षा सेवा में असैनिक (वेतन पुनरावलोकन) नियम, १९४७ के अधीन सभी रक्षा संस्थापनों (सेना शिक्षा दल केन्द्र तथा स्कूल, पंचमढ़ी समेत), मेहतरों (पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों) के लिये वेतन-क्रम ३०–१।२–३५ रुपय हैं । इसके साथ साथ वे ४० रुपये प्रति मास महंगाई भत्ता लेने के पात्र हैं, जिसका आधा भाग वेतन ही समझा जाता है । पंचमढ़ी में नियुक्त उपरिलिखित वेतन क्रम में नियुक्त मेहतर निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर निम्नलिखित दरों पर घर किराया तथा प्रतिकारात्मक (नगर) भत्ते के भी अधिकारी हैं :

	प्रतिकारात्मक (नगर) भत्ता रुपये	मकान किराया भत्ता रुपय
५५ रुपये से कम	३	५
५५–६० रुपये	५	७

अवधेय:—उपरिलिखित भत्ते की स्वीकृति के लिये मंहगाई भत्ते का आधा भाग अर्थात् २० रुपये, इस मामले में भी वेतन समझा जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संस्कृत साहित्य

१२४६. श्री बी० डी० शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत साहित्य की उन्नति के लिये सरकार ने १९५२ से अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) वह किन-किन मदों पर खर्च की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) ५,८६,१२१ रुपये ।

(ख) मांगी गई जानकारी का पूरा विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५८]**

भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली

१२४७. डा० सत्यवादी : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली' नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : अभी नहीं ।

केन्द्रीय सचिवालय

१२४८. { श्री अच्युतन :
पंडित सी० एन० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्मंत्रालय नियुक्तियों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्थायी चपरासियों पर भी यह नियम लागू है ; और

(ग) इस प्रकार की स्वीकृति देने के लिये सामान्य मापदण्ड क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मेरी धारणा है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय विभिन्न वर्गों के पदाधिकारियों का एक मंत्रालय से दूसरे में स्थानान्तरण से है । इन के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, केवल उस सम्बन्धित व्यक्ति के अतिरिक्त जो गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सेवा का हो तथा उसका उस सेवा से किसी दूसरी सेवा अथवा ऐसे पद के लिए जो उस सेवा में सम्मिलित नहीं है, जिसका वह पदाधिकारी है, स्थानान्तरण करने का विचार हो ।

(ख) और (ग) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पूर्णतः उन मंत्रालयों के अधीन होते हैं जिनमें वह नियुक्त हैं तथा गृह-कार्य मंत्रालय इस प्रकार के कर्मचारियों के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानान्तरण से सामान्यतः सम्बन्धित नहीं है । फिर भी अनुमन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सम्बन्धी प्रमाप का सन् १९५३ में पुनरावलोकन किया गया था तथा कुछ मंत्रालयों में इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई गई । उनकी तत्काल छंटनी से होने वाली कठिनाई के विचार से यह आदेश निकाला गया जिसके अनुसार उस समय तक सभी मंत्रालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती रोक दी गई जब तक विद्यमान फालतू कर्मचारियों से विद्यमान तथा भावी स्थान भर न लिए जायें । जिस मंत्रालय को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी वह मंत्रालय इस प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये, गृह-कार्य मंत्रालय से सुनिश्चियन करता था कि क्या किसी अन्य मंत्रालय में, अब भी कोई अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्राप्त थे । इस प्रकार, उस श्रेणी के सभी फालतू कर्मचारी अब खपा लिये गये हैं तथा जुलाई १९५५ से सब मंत्रालयों गृह-कार्य मंत्रालय को पूर्व-निर्देश के बिना भी, निर्धारित प्रमाप तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अपने आप नियुक्ति करने के लिये स्वतन्त्रता दे दी गई है ।

समवाय

१२४९. { **श्री शंकर पांडियन :**
श्री आर० एस० दीवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन समवायों के नाम हों जिनके प्रबन्ध समवाय संशोधन अधिनियम, १९५१ के लागू होने से बदल गए हैं ? वर्तमान प्रबन्धकों के नाम भी बताए जायें ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : अनुमानतः माननीय सदस्य को उन समवायों के सम्बन्ध में सूचना चाहिये जिनके प्रबन्ध अभिकरणों का, भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा ८७ ख (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति से हस्तांतरण कर दिया गया था । अपेक्षित सूचना सम्बन्धी विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५९**]

विशेष कार्य पदाधिकारी

१२५०. { **श्री आर० एन० सिंह :**
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-१९५५ में, विभिन्न मंत्रालयों में कितने विशेष कार्य पदाधिकारी तथा परामर्शदाता नियुक्त किये गये थे तथा नियुक्ति के समय क्रमशः उनकी अर्हतायें तथा आयु क्या थीं ; और

(ख) यह परामर्शदाता प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये गये थे या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जभी उपलब्ध हुई सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दी अध्यापक

१२५१. श्री राधा रमण : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की केन्द्रीय सरकार के व्यय पर व्यवस्था करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्षेत्र कौन से हैं, तथा इस प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र के लिये अध्यापकों की संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) और (ख). विषय विचाराधीन है।

गांधी दर्शनशास्त्र

१२५२. श्री राधा रमण : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी दर्शन शास्त्र के विषय को स्कूलों में लागू करने की प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित की है तथा अगस्त १९५५ में, दिल्ली में इसकी बैठकें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें, यदि कोई हैं, तो क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप दिया जायेगा।

भोपाल शीर्ष बैंक

१२५४. पंडित सी० एन० मालवीय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिज़र्व बैंक ने भोपाल राज्य में एक शीर्ष बैंक की स्थापना के लिये कुछ धनराशि स्वीकृत की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा यह कब दी गई थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): (क) और (ख). रिज़र्व बैंक को शीर्ष सहकारी बैंक की स्थापना के लिये प्रत्यक्ष रूप में वित्तीय सहायता देने की अनुमति नहीं है तथा केवल कुछ दिन पूर्व ही उनको सहकारी संस्थाओं की अंशपूंजी में, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन लगाने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने का अधिकार दिया गया है। भोपाल राज्य सरकार ने, रिजर्व बैंक से इस प्रकार के ऋण की मांग नहीं की है।

भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

१२५५. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महापरिमापक ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने अभ्यावेदनों की प्रतियां अपने मज़दूर संघों को भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई आदेश निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० क० एल० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय भ-परिमाप विभाग के कर्मचारी

१२५६. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण के पुनः उत्पादन विभागों के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की हाल में ही 'युद्ध प्रत्याधृत सेना' श्रेणी बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५५ में यह कार्य करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में एक अधिकारी ने हाल में ही गलती से एक कार्यालयादेश निकाल दिया था । यह आदेश अब रद्द कर दिया गया है ।

भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

१२५७. { श्री टी० बी० विट्ठल राव :
डा० रामा राव :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परिमाप पूर्वी प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो शिलांग में थे, मई १९५४ से पहिले आसाम प्रतिकारात्मक भत्ता के बदले अस्थायी वृद्धि के रूप में ३ रुपये दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९४७ के पश्चात् उन्हें दी गई अस्थायी वृद्धि उनके वेतनों में से पुनः प्राप्त की जा रही है जबकि आसाम प्रतिकारात्मक भत्ता १० रुपये ८ आने की पुरानी दर पर उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६०]**

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय कर्मचारी

१२५८. डा० रामा राव : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन कर्मचारियों को, जिन्हें १५ अगस्त १९४७ से पहिले भारतीय परिमाप के मानचित्र प्रकाशन निदेशालय की आकस्मिकताओं से भुगतान होता था और जो अब निरन्तर व्यवस्था में सम्मिलित कर लिये गये हैं, १ जनवरी १९४७ से महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान हो गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : आशा है कि भुगतान के आदेश शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

भारतीय भू-परिमाप विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ

१२५९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परिमाप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के छठे वार्षिक सम्मेलन में स्वीकृत हुए संकल्पों और मांगों की एक प्रति प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). यद्यपि भारतीय परिमाप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी छठें वार्षिक सम्मेलन में, जो जनवरी १९५५ में हुआ था, स्वीकृत संकल्प और मांगों पर सरकार ने विचार किया था, और कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा ।

भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

१२६०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परिमाप, पूर्वी प्रदेश, शिलांग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिन में ८ घंटे नियत कार्य करने के पश्चात् रात में चौकसी करनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अमरीका द्वारा लगायी गयी पूंजी

१२६१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री १५ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका द्वारा अर्थात् अमरीकी नागरिकों, सरकार, कारपोरेशन और कम्पनियों द्वारा भारत में अभी कितनी पूंजी लगायी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : भारत के विदेशी देने पावने की गणना के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट में जो बातें बतायी गयी हैं, उनसे आगे सरकार को और कोई जानकारी नहीं । इस रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी है । इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि ३० जून, १९४८ को क्या स्थिति थी और यह भी दिखलाया गया है कि भारत में अमेरिका ने १७९७ लाख रुपये की पूंजी लगा रखी है । आशा है कि बात की स्थिति का पता जल्दी ही चल जायेंगा ।

कराधान छूट

१२६२. श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में अब तक, जबकि वे दौरे पर भारत से बाहर गये हुए थे, वेतनों के रूप में कितना धन प्राप्त किया ;

(ख) क्या ऐसी धन राशियों पर कराधान छूट मिली हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी छूट से केन्द्रीय राज्यकोष को कितनी आय की हानि हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) इस सम्बन्ध में कि जब केन्द्रीय सरकार के मंत्री और अधिकारी दौरे पर भारत से बाहर गये थे उस काल में उन्होंने कुल कितना धन प्राप्त किया, सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) यह प्रश्न कि वह धन राशियां, जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने उस समय प्राप्त की थीं जबकि वे दौरे पर भारत से बाहर गये थे, कराधान से मुक्त हैं या नहीं इस बात पर निर्भर होगा कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४क और ४ ख के अनुसार उनका निवास स्तर क्या निर्धारित किया गया है । यदि मंत्री या अधिकारी भारत में नहीं है, तो उसके वेतन पर भ्रमण काल में यदि वे भारत में न लिया जाये कर नहीं लगेगा । यदि वह निवासी है परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं है, तो उसके वेतनों पर उस समय तक कर नहीं लगेगा जब तक वे

भारत में प्राप्त न किये जायें या भारत में न लाय जायें। यदि वह निवासी है और सामान्यतः निवासी है, तो उसे अपनी संसार आय पर (अर्थात्, भ्रमण काल में भारत से बाहर लिये गये वेतनों सहित) कर लगेगा, और इसकी उच्चतम सीमा, उनके आयों के मामले में जिनका अर्जन भारत के बाहर किया गया हो और भारत में न लाई गई हों, ४५०० रुपये होगी।

(ग) केन्द्रीय राज्यकोष की आय हानि की सूचना प्राप्त नहीं है और मंत्रियों या अधिकारियों के निवास स्तर, भारत में और भारत के बाहर प्राप्त धन, उनकी मूल आय और कुल संसार आय के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले की जांच पड़ताल किये बिना एकत्रित नहीं की जा सकती। इसमें इतना समय और परिश्रम होगा कि वह फलानुकूल नहीं होगा।

हीरे

१२६३. श्री लक्ष्मय्या : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य के अनन्तपुर ज़िला के बजरकारूर गांव में और उसके आस पास हीरों के लिए कोई भूतत्वी परिमाप किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६१]

राष्ट्रीय खनन गवेषणा संस्था

१२६४. श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक राष्ट्रीय खनन गवेषणा केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक गवेषणा परिषद् धनबाद में एक खनन गवेषणा केन्द्र खोलना चाहती है।

(ख) गवेषणा केन्द्र के मुख्य कार्य ये होंगे :—

(१) भारत में कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों के खनन में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता में सुधार करने की दृष्टि से गवेषणा कार्य करना, और

(२) विस्फोट, आग, स्वेच्छापूर्ण दाह, संवातन तथा प्रकाश, छत सहारे, तह का व्यवहार, चट्टानों में छेद करना, उड़ाना, हवा देना, खींचना व धूल दबाना की समस्याओं की स्वास्थ्य के लिए ख़तरा और विस्फोटों से ख़तरा की दृष्टि से जांच करना और जांच करने की व्यवस्था करना और खानों में प्रयोग होने वाले सामान में सुधार करना।

केन्द्र में समस्त प्रकार की खानों और भारत में खनन के सम्बन्ध में कार्य होगा।

प्रस्तावित खनन गवेषणा केन्द्र के लिए एक कार्यकारिणी बनाई गई है। इस में कोयला

बोर्ड तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् और अन्य हितों के प्रतिनिधि होंगे ताकि पूर्ण एकता प्राप्त हो सके और कार्य में दोहरापन दूर हो सके। केन्द्र की स्थापना पर अगले पांच वर्षों में ४० लाख रुपये का अनावर्तक और २७ लाख रुपये का आवर्तक व्यय होने का अनुमान है।

युवकों के लिए होस्टल (छात्रावास)

१२६५. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युवकों के होस्टल चलाने में सरकार का क्या उत्तरदायित्व है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : युवकों के होस्टल एक ग़ैर-सरकारी संस्था द्वारा चलाये जाते हैं—अर्थात् भारत की युवक होस्टल संस्था द्वारा और इस मामले में सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

राज्य सहकारी बैंक

१२६६. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५४-५५ में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को कितना धन उधार दिया है ; और

(ख) व्याज की दर ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५४-५५ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण और उन पर ब्याज की दर का उल्लेख है। [देखिये **परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६२**]

1st

लोक-सभा

बुधवार,
२८ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1/11/83
Fumigated
On 18/1/80
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४
पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४
आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४६७५–७६
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . ४६७६—४७२०
रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२
खंड २ से ६ और १ . . . . . . ४८५९—७०
पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४९—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
    केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३
    अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३–७४
    चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४८७३–७४
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४
समितियों के लिये निर्वाचन—
    केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड– . . ४८७५
    भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
    पुरःस्थापित ४८७६
सभा का कार्य ४८७६–७७
पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
    विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४९५३
    खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना. . . . ४९१७—५३
    संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४९५३
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४९५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
    १९५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४९७७
    अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४९७७–७८
प्राक्कलन समिति—
    पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४९७८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
    ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४९७८
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—
    पुरःस्थापित ४९७८
सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—
    निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४९७९–८०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४९७९—५०४६

विनियोग (संख्या ३) विधेयक— स्तम्भ
पुरःस्थापित—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची ५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५०५२—७४
खंड १ से ३ . . . . . . ५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् . . . . . ५०७६—८८

अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण ५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . . ५०९०—५१०३
नया खंड १२—क ५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . . . ५१५०—९६

अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण ५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में . . . . . . ५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . . ५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . . ५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . . ५२०२
सभा का कार्य . .

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६—३७

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . ५३३७—५४५४

समवाय विधेयक, १९५५—

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ५३३८

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—

सम्मतियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८

याचिका समिति—

छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०

सभा का कार्य ५३४०

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . . ५३४०—४१

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . . ५४५५—५९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . . .

नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ५४५९–६०

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०

भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०–६१

गोआ के बारे में वक्तव्य ५४६१–६२

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३, ५५०३—५६४२

राज्य-सभा से सन्देश ५६४२

अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तरके अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०४ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अधीन ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक वित्त निगम के निर्देशक बोर्ड के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और उक्त वर्ष के सम्बन्ध में निगम के लाभ और हानि का लेखा तथा आस्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०-३४७/५५]

श्री टी० बी० विट्ठलराव (खम्मम): सभा पटल पर विवरण के रखे जाने के तुरन्त पश्चात यह पुस्तकालय में निर्देशन के लिए भेजा जाना चाहिए था परन्तु कई बार विलम्ब हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य किसी वक्तव्य विवरण या भाषण आदि की प्रति मांगते हैं तो वह अगले दिन ही उनको मिल जाती है। अब हम इस प्रक्रिया का परीक्षण करेंगे।

मद्यसारिक उत्पादक (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक

अध्यक्ष मदोदय: अब मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जायेगा, तदुपरांत साढ़े तीन बजे तक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव पर और तत्पश्चात रेलवे यातायात स्थिति पर चर्चा होगी। श्री कामत पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लेंगे। फिर श्री जी० एच० देशपाण्डे को बुलाया जायेगा।

श्री कामत (होशंगाबाद): मैंने और बहुत से सदस्यों ने पहले कुछ सुझाव किये थे कि चिकित्सा और प्रसाधन सामग्री आदि की तैयारी के विषय में इस विधेयक के पारित होने से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी, उन को हटाने और दूर करने के लिए कुछ सुरक्षण दिये जाने चाहिये किन्तु इस विधेयक के प्रभारी श्री कानूनगो ने उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया था।

[श्री कामत]

प्रसन्नता की बात है कि राज्य सभा ने तत्संबन्धी संशोधन एक खंड रखा है, और अब हम इसमें अग्रेतर सुधार कर सकेंगे जिस से कि निर्दोष व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसी वस्तुएं लाने ले जाने के कारण कोई परेशानी या कठिनाई न हो सके ।

प्रसाधन वस्तुओं और चिकित्सकीय वस्तुओं को सम्मिलित करने वाले पहले संशोधन के संबंध में बम्बई राज्य बनाम बुलसर वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की पृष्ठ ७१६–७१७ पर दिया हुआ निर्णय एस० सी० आर० १९५१ विचारणीय है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

निर्णय यह दिया गया है कि चिकित्सकीय वस्तुओं और विशुद्ध प्रसाधन वस्तुओं के लिये, जिसमें अलकोहल होता है, छूट दी जानी चाहियें । यू डी कालोन का शिक्षित और उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा बहुत प्रयोग किया जाता है, किन्तु उस में भी अलकोहल मिला हुआ होता है । इसी प्रकार और कई प्रकार के सुगन्धित तेलों में भी अलकोहल होता है । इसलिये मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर कहता हूं कि चिकित्सकीय वस्तुओं, औषधियों तथा प्रसाधन वस्तुओं के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । जहां तक संविधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है ये दोनों वस्तुएं, औषधियां और प्रसाधन वस्तुयें, इकट्ठी आती हैं ।

संशोधन संख्या ३ में प्रस्तावित नवीन खण्ड १२-क के अन्त में शब्द "Such" ["ऐसी"] जोड़ना चाहता हूं । इस विधेयक पर १ अगस्त को हुई चर्चा के समय श्री गोपालन ने और मैंने कहा था कि ऐसी औषधियों, आसवों और अरिष्टों आदि को भी, जिन में चाहे ४, ६ या ८ प्रतिशत अलकोहल है और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है, छूट मिलनी चाहिये । संविधान के अनुच्छेद ४७ में भी उन ही उत्तेजक पेयों के प्रयोग के रोके जाने का निदेश है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं । इस प्रकार का उपबंध संविधान की भावना और भाषा के विरुद्ध होने के कारण बाद में शक्ति परस्तात घोषित किया जा सकता है । इसलिए जिस दिन यह अधिनियम लागू हो उसी दिन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिये कि अमुक अमुक मद्यसारिक उत्पादों औषधियों अथवा प्रसाधन वस्तुओं आदि को इस नवीन खण्ड के अधीन छूट दी गई है । यदि ऐसा न किया गया, या ऐसा करने में विलम्ब हुआ, तो किसी स्थान से किसी मद्य निषेध कार्य क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं को ले जाने वाले व्यक्तियों को पुलिस के हाथों परेशानी उठानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी फैलेगी और यह सब संविधान तथा इस विधि की भावना के विरुद्ध होगा । अतः तब तुरन्त ही अधिसूचना जारी की जानी चाहिये ।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सभा ने जो संशोधन रखा है वह बिल्कुल ठीक है । उसमें भूल से एक कमी रह गई है, जिसे, उस तिथि को जब यह अधिनियम लागू हो, एक अधिसूचना जारी कर के द्वारा दूर किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि अमुक अमुक औषधियां, प्रसाधन सामग्रियां आदि, जिन्हें इस संशोधन द्वारा छूट दी गई है, इस अधिनियम के प्रभाव से मुक्त होंगी । ऐसा न किये जाने पर या विलम्ब से किये जाने पर अनेकों नागरिकों को परेशानी, असुविधा, कठिनाई और कष्टों

का सामना करना पड़ेगा। इन सभी कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करना ही इस संशोधन का उद्देश्य है, इसलिये पहले से उपयोग में आ रही वस्तुओं को इस अधिनियम के प्रभाव से मुक्त करने वाली अधिसूचना इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को ही जारी कर दी जानी चाहिये ताकि किसी नागरिक को परेशानी न उठानी पड़े।

मैं सभा की स्वीकृति के लिए अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : मेरे मतानुसार तो यह संशोधन मद्य-निषेध की नीति को कार्यरूप में परिणित करने में एक भारी रुकावट डालेगा औषधियों के नाम पर कई प्रकार के मद्य-सार बेचे जायेंगे। बम्बई में इस प्रकार के कई मामले पकड़े गये हैं। मध्य प्रदेश में भी डा० विरदी नामक एक डाक्टर पकड़ा गया है जो कि औषधियों के नाम पर टिंचर बेचता रहा था। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के कई अवैध कार्य किये जा रहे हैं, और यदि हम इसी संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो उन व्यक्तियों को इस प्रकार का अवैध कार्य करने के और अधिक अवसर मिलेंगे और वे मद्य-निषेधा की नीति को असफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिये मंत्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि वह तीन बातों का स्पष्टीकरण करें। प्रथम यह कि सरकार कुछ एक अपवादी मामलों में ही इसकी अनुमति देगी। द्वितीय यह कि सरकार ऐसी वस्तुओं को किसी भी ऐसे राज्य में आयात किये जाने की अनुमति नहीं देगी जो कि इसके आयात के विरुद्ध हो। तृतीय यह कि जिन भी थोड़े से मामलों में इसको अनुमति दी जायेगी तो उसकी सूचना तत्काल ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई के मद्य-निषेध मंत्री ने अपने एक पत्र में लिखा है कि आज भी बम्बई में वैद्य आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर मद्यसारिक वस्तुओं को मंगा रहे हैं और यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तब तो ऐसे अवैध कार्य करने के अवसर बहुत निकल जायेंगे। अतः मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इसे स्वीकार करने से पूर्व इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लें।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : बम्बई के मद्य-निषेध मंत्री का यह निश्चित विचार है कि इस प्रकार के अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी इस विचार का समर्थन करता हूं। यदि सरकार समझती है कि ऐसा करना अनिवार्य है, तो इसके बारे में कोई अधिसूचना प्रकाशित कराने से पूर्व इस के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाये।

इस सम्बन्ध में छूट देने से पूर्व सरकार इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार कर ले कि कहीं इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया जायेगा अर्थात् औषधियों के नाम पर मद्य-सार का खुले तौर पर प्रयोग तो न होने लग पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सुझाव पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी और इस बारे में राज्य सरकारों की सम्मति प्राप्त करेगी।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नगिरि दक्षिण ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री पुन्नूस ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : हमने पिछली बार भी इस बात पर बल दिया था कि आयुर्वेदिक औषधियों को कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिये और हम संशोधन से भी यही अपेक्षित

[श्री पुन्नूस]

हैं। हो सकता है कि इससे किसी एक आध सदस्य को हर्ष न हो, परन्तु इससे हजारों वैद्यों को और अन्य व्यक्तियों को निश्चित रूप से हर्ष हुआ होगा।

एक यह सुझाव दिया गया है कि उन्मुक्तियां दिये जाने के बारे में राज्य सरकार से सम्मति प्राप्त की जाये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इससे तो कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

एक माननीय सदस्य ने तथाकथित आयुर्वेदिक औषिधियों की ओर निर्देश किया है कि औषिधियों के नाम पर मद्य-सार आयात किया जाता है। इसके संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि पूर्णरूप से मद्य निषेध कदापि सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

अब विचार यह करना है कि क्या उन्मुक्ति देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाये अथवा केन्द्रीय सरकार को ही यह अधिकार प्राप्त हो। मेरा यह विचार है कि यह अधिकार राज्य सरकारों को ही दिया जाये क्योंकि वे ही अपने अपने राज्य के बारे में अच्छी प्रकार से जानती हैं। इसलिये मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं और साथ ही अपने संशोधन को भी प्रस्तुत करता हूं।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण): मैं इस संशोधन का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। गत सत्र में भी मैंने इस विधेयक पर बोलते हुए यह कहा था कि उन आयुर्वेदिक औषिधियों का जिनमें स्पिरिट की अधिक मात्रा नहीं होती है अधिक परिमात्रा में सेवन नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सरकार से यह भी अपील की थी कि वह आयुर्वेदिक औषधियों का एक परिमाप निर्धारित कर दे और उससे अधिक स्वयंजनित स्पिरिट होने की अनुमति न दे। माप निर्धारण का कार्य सरकार के परामर्शदाता करें और यह घोषित करें कि स्पिरिट की अमुक प्रतिशतता तक की औषधियां मद्यसारिक वस्तुयें नहीं समझी जायेंगी। इस प्रकार मैं श्री देशपांडे के सुझावों का समर्थन करता हूं।

यदि बम्बई सरकार ने प्रत्येक प्रकार के मद्यसार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक राज्य बम्बई सरकार का अनुकरण करने लगे। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वहां पर आयुर्वेदिक औषिधियां शुद्ध रूप में प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप वहां पर भी प्रतिबन्ध लगा देंगे तो वहां भी चालाकियां होने लग जायेंगी। यह कहना कि आयुर्वेदिक औषिधियों को मद्य के रुप में प्रयोग किया जाता है, गलत है। इस लिये मैं प्रस्तुत किये गये इस संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री जयसूर्य (मेदक): हमें इस प्रश्न पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना है। मद्य-निषेध निःसंदेह एक बहुत अच्छा कार्य है, परन्तु मद्य-निषेध लागू होने पर भी चोरी छिपे मद्य-सार बिकते हैं। कारण यह है कि औषिधियों के लिये यह एक अनिवार्य साधन है। अतः औषिधियों के निर्माण के लिये किसी सीमा तक छूट दी जानी आवश्यक है नहीं तो डाक्टरों को एक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री एम० डी० जोशी: श्री देशपांडे और श्री गाडगील ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप मद्य-निषेध की नीति पूर्णरूपेण असफल सिद्ध होगी। बम्बई के वित्तमंत्री ने भी इसके संबंध में स्पष्टतया लिखा है कि अनेकों ऐसे वैद्य हैं जोकि औषिधियों के नाम पर मद्य-सार का आयात और

निर्यात करते हैं । इसी प्रकार भोपाल से औषधियों के नाम पर मद्य-सार भेजे जाने का एक मामला पकड़ा गया है । इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि संशोधन संख्या १ और ४ को स्वीकार कर लिया जाये ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सर्व प्रथम मैं आज और कल प्रस्तुत किये गये संशोधन को लेता हूं । श्री कामत के संशोधन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि शुद्ध प्रसाधनों वस्तुओं का निर्माण इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है । जब तक इस में कोई संशोधन न किया जाये तब तक इस अधिनियम के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या साधनों में मद्य-सार भी आ जाता है ।

श्री कामत : जी हां, कुछ एक में होता है और उन पर यह अधिनियम लागू होता है ।

श्री करमरकर : इस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी । माननीय सदस्य ने हमें विश्वास दिलाया है कि वह मद्य-सार से तैयार की गई किसी भी प्रसाधन वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं । यदि उन के पास कोई और सुझाव है तो वह उन्हें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें । उन पर विचार किया जायेगा ।

उन की अन्य बात, जिस में उन्हों ने कहा है कि इस अधिनियम के अधीन छूट दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में अधिसूचना उसी दिन जारी की जाये जिस दिन कि अधिनियम लागू हो, व्यवहारिक नहीं है । वास्तव में अधिनियम के पारित होने के उपरान्त उस के सम्बन्ध में नियम बनाने में समय लग जाता है । उस के प्रत्येक पक्ष पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करना होगा ।

श्री पुन्नूस ने भी कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिस में केन्द्रीय सरकार के स्थान पर राज्य सरकारों को अधिकार देने की मांग की गई है । यह विधेयक विभिन्न मद्य-निषेध राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक के उपबन्ध केवल मद्य-निषेध राज्यों से ही सम्बन्ध रखते हैं । अतः राज्य सरकारों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार के पास अधिकार रहना अधिक सुविधाजनक होगा । केन्द्रीय सरकार छूट के सम्बन्ध में सभी बातों पर अच्छी प्रकार से सोच विचार कर सकेगी, क्योंकि वास्तव में यह एक केन्द्रीय अधिनियम है । इसलिये इस अधिकार का केन्द्र के पास रहना अधिक सुविधाजनक होगा ।

मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं इन सभी संशोधनों का विरोध करता हूं ।

श्री राने (भूसावल) : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से कोई परामर्श करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारें अपने सुझाव भेजेंगी और केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

श्री करमरकर : स्वभावतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हम इस अधिनियम द्वारा कोई ऐसा कार्य करेंगे जो मद्य-निषेध वाले राज्यों के मार्ग में कुछ रोड़े अटकाये । यह विधान तो हमने मद्य-निषेध वाले राज्यों के कहने पर ही प्रस्तुत किया है । मद्यनिषेध के मामले में वे जो प्रगति करना चाहते हैं उसमें बाधा डालना उचित नहीं होगा । उदाहरण खंड १५ में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि इस अधिनियम की कोई भी बात इस समय प्रचलित किसी भी प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या उन के अधीन बनाये गये किसी भी ऐसे नियम, विनियम अथवा आदेश की मान्यता पर जो कोई ऐसे प्रतिबन्ध लगता हो, जो इस अधिनियम के द्वारा न लगाया गया हो अथवा जो राज्य की सीमाओं के अन्दर ही मद्यसारिक पदार्थों के आवागमन पर यदि इस अधिनियम से इसी प्रकार के प्रतिबन्धों

[श्री करमरकर]

पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाता हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस से मद्य-निषेध वाले राज्यों के हितों की व्याप्त रक्षा हो जाती है । इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जब भी हम किसी वस्तु को छूट देते हैं, तो उस के लिये किसी प्रकार के आश्वासन की आवश्यकता नहीं रह जाती है । यदि आवश्यकता हो तो मैं ऐसा आश्वासन देने के लिये तैयार हूं । ऐसे मामलों में हम सदैव राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे । केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसा कोई भी निर्णय करने का नहीं है जिन के विषय में वह यह समझती है कि उन से राज्यों के मद्य-निषेध अधिनियम के प्रभावी शासन में बाधा पड़ेगी । इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है ।

श्री कामत : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि क्या यदि अधिनियम लागू होने के साथ नहीं तो नियमों के लागू होने के साथ ही नये खण्ड के अधीन दी गई छूट भी लागू हो जायेगी ?

श्री करमरकर : जहां तक श्री कामत का सम्बंध है मैं किसी प्रकार से अपने आप को वाकबद्ध नहीं करना चाहता हूं । ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है । माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि किसी अधिनियम के लागू होते ही छूट सम्बन्धी अभ्यावेदनों पर विचार करना होता है । स्वाभाविक है कि हमें यथाशीघ्र कार्यवाही करनी पड़ेगी । अधिसूचना और नियमों के प्रकाशन की तिथियां अलग अलग रखना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही ।

डा० जयसूर्य : क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी राज्यों के लिये इस विधेयक के संबंध में एक समान विधियां बनाने का हैं ।

श्री करमरकर : निश्चय ही । दिल्ली में तो इस समय किसी चीज़ पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री कामत : यह अधिनियम, सभी मद्यसारिक वस्तुओं जिनमें प्रसाधन वस्तुयें भी सम्मिलित हैं लागू होती है । माननीय मंत्री का कथन है कि ऐसी बात नहीं है । खण्ड २ देखिये यह विधेयक सभी पर लागू होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने माननीय सदस्य से सूझाव देने के लिये कहा है ।

श्री कामत : माननीय मंत्री ने गलत समझा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि मद्यसारिका उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न संशोधन पर विचार किया जाये :—

'नया खण्ड १२क'

कि पृष्ठ ५ में, पंक्ति १६ के पश्चात् यह नया खंड रखा जाये, अर्थात् :—

> "21A. *Power to exempt.*—The Central Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any spirituous preparation from all or any of the provisions of this Act on the ground that the spirituous preparation is ordinarily required for medicinal, scientific, industrial or such like purposes".

> [**१२ क. विमुक्त करने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार, शासकीय सूचना पत्र में अधिसुचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपिक

करना ठीक समझे, किसी मद्यसारिक उत्पाद को इस अधिनियम के सब या किसी उपबन्धों से इस आधार पर विमुक्त कर सकती है कि मद्यसारिक उत्पाद औषधीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक या ऐसे किसी प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एम० डी० जोशी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ और ३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उन्हें इतने चिल्लाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है ! हम लोग बहरे नहीं हैं । माननीय सदस्य को सामान्यतः इतनी ज़ोर से बोलना चाहिये जिससे कि मैं सुन सकूं । अधिक ज़ोर से बोलने से क्या लाभ है ? मैं बार बार इस बात को सहन नहीं कर सकता हूं । यहां आवाज़ की तेज़ी नहीं वरन्, संख्या देखी जाती है ।

मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं । मैं जानता हूं कि प्रत्येक सदस्य गम्भीर है किन्तु कभी कभी मैं देखता हूं कि कोई कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं । ऐसे अवसरों पर मैं उन्हें स्मरण करा देता हूं ।

अब हम अग्रेतर कार्यवाही आरम्भ करते हैं । इस के पश्चात् संशोधन संख्या ४ आता है ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ पांच, में पंक्ति १६ के पश्चात् यह नया खंड रखा जाये :

"12A. *Power to exempt.*—The Central Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any spirituous preparations from all or any of the provisions of this Act on the ground that the spirituous preparation is ordinarily required for medicinal, scientific, industrial or such like purposes."

[१२ क. **विमुक्ति करने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार शासकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना ठीक समझे, किसी मद्यसारिक उत्पाद को इस अधिनियम के या रूप किसी उपबन्धों से स आधार पर विमुक्त कर सकती है कि मद्यसारिक उत्पाद औषधीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक या ऐसे किसी प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : नया खण्ड १२क. स्वीकृत होता है । इस संशोधन के सम्बन्ध में यह सभा राज्य सभा से सहमत है ।

श्री कामत : इस पर मतदान होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : औपचारिक रूप मे मंत्री महोदय इसे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हू :

> "कि इस विधेयक मैं राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि इस विधेयक में राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आज ३-३० म० प० तक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं सम्बन्धी टिप्पणी पर चर्चा करेगी । यदि कुछ चर्चा शेष रह जायेगी तो वह कल होगी । ३-३० म० प० रेलवे परिवहन सम्बन्धी स्थिति पर चर्चा आरम्भ होगी ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं संबन्धी टिप्पण पर विचार किया जाये ।"

देश की बाढ़ समस्या से देश की जनता और इस सभा के सदस्य परेशान हैं । इस समस्या के अनेक पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर चर्चा करने से बहुत लाभ हो सकता है । उदाहरण के लिये सहायता, सहायता की पर्याप्तता, इस प्रयोजन के लिये जिस संगठन और जिन उपायों को काम में लाया जा रहा है तथा सहायता आदि के लिये अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न इत्यादि इस में अन्तर्ग्रस्त हैं । किन्तु मैं यह मानता हूं कि इस सभा ने अपना ध्यान बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के टिप्पण को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली बातों तक ही केन्द्रित रखना पसन्द किया है । सभा की इच्छानुसार ऐसा ही किया जा रहा है ।

इस चर्चा में अब हम जिस कार्यक्रम को अपनाने जा रहे हैं, मैं उस पर तथा देश में बाढ़ के उपद्रवों का अधिक से अधिक सामना करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों पर विचार करने जा रहा हूं ।

बाढ़ों के सम्बन्ध में हाल के अनुभव के आधार पर मैं कुछ शब्द कहूंगा । सभा के समक्ष जो प्रश्न है यह उसी से सम्बन्धित है । पिछले वर्ष देश के अनेक भागों में बड़ी भयंकर बाढ़ें आईं थीं । देश के विभिन्न भागों में जो कुछ हुआ उसके मर्मभेदी विस्तृत समाचार हमें प्राप्त हुए थे और सम्पूर्ण राष्ट्र पर इस का अत्याधिक प्रभाव पड़ा था । आसाम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए अत्याधिक विनाश को स्वयं देख कर मैं ने सभा पटल पर एक विवरण रखा था और एक कार्यक्रम का सुझाव दिया था । यह कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित था । बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है :

तात्कालिक : इस की अवधि दो वर्ष होगी और इस में विस्तृत रूप से जांच करने और आंकड़े एकत्र करने का कार्य किया जायेगा । विशद योजनायें बनाई जायेंगी और बाढ़ नियंत्रण के लिये अल्प-

कालिक उपाय सोचे जायेंगे। कुछ एक विशेष स्थानों पर बांध आदि भी बनाये जा सकते हैं।

अल्पकालिक : इस का कार्यकाल दूसरे वर्ष से प्रारम्भ हो कर छटवें या सातवें वर्ष तक रहेगा। इस में बांधों और नहरों में सुधार करने का कार्य अधिकांशतः उन क्षेत्रों में किया जायेगा जिन में इस समय बाढ़ आई हुई है।

दीर्घकालीन : इस अवधि में कुछ नदियों की सहायक नदियों पर संग्रह जलाशय बनाने और जहां भी आवश्यक हो उन स्थानों पर अतिरिक्त बांध बनाने का कार्य किया जायेगा। इस में तीन से ले कर पांच वर्ष तक का समय और लग सकता है।

यह कार्यक्रम था। मैं ने सभा को बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अब तक अनुभव की गई कठिनाइयों के सम्बन्ध में भी बताया था। कार्य की प्रगति में सब से बड़ी बाधा थी आंकड़ों का अभाव। वर्षा के कुछ आंकड़े हमारे पास थे किन्तु वे पर्याप्त नहीं थे। हमारे पास पानी के बहाव के और नदियों में जितना पानी चला जाता है इस के आंकड़े होने आवश्यक हैं। इस के अतिरिक्त नदियों की धारा की अवस्था और बाढ़ के मैदानों की भौगोलिक बनावट का पता लगाना भी आवश्यक था। वास्तव में इन सब बातों का इस सम्बन्ध में कोई समन्वित और सुदृढ़ कार्यक्रम निर्धारित करने के हमारे प्रयत्न पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं से कार्य की प्रगति में बाधा पड़ रही थी मैं ने सभा को आश्वासन दिया था कि अविलम्ब ही इस कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। मैं ने सभा को यह भी आश्वासन दिया था कि एक संगठन स्थापित किया जायेगा। आज तक जो कुछ किया जा चुका है उसे बताने के लिये ही मैं पुनः यहां आया हूं। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि यद्यपि हमारे पास जितने आंकड़े हैं उन से बाढ़ की समस्या पर कोई अधिक तात्कालिक प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है, किन्तु जो कुछ किया जा चुका है—उससे प्रेरणा और उत्साह अवश्य मिलता है।

मैं इस कार्य को करने के लिये स्थापित की गई संस्था के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देना आवश्यक समझता हूं। उस विवरण के एक दो मास पश्चात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के बाढ़ विभाग की स्थापना की गई। यह एक काफ़ी बड़ा संगठन है। एक केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और राज्यों में लगभग ११ बाढ़ नियंत्रण बोर्ड उन की प्रविधिक समितियों सहित स्थापित किये गये हैं। बाढ़ विभाग में पर्यवेक्षकों और प्रारूपकर्ताओं को छोड़ कर केन्द्र में ७५ प्रविधिक पदाधिकारी और राज्यों में लगभग १८० पदाधिकारी हैं।

आंकड़ों के विषय में अब मैं कुछ कहना चाहूंगा। भारत भू-परिमाप-विभाग ने भरसक प्रयत्न किया है। २८,००० वर्ग मील का विमान से चित्र लिया जा चुका है। देश की सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जितना कुछ किया गया है, धरातल को समतल करने के लिये भी उत्तम ही कार्य किया गया है। यह सब केन्द्र के स्तर पर किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें भी कुछ कार्य कर रही हैं। २०० गेजों और पानी निकालने के स्थानों की व्यवस्था की गई है। पानी से बह कर आई हुई मिट्टी का पर्यवेक्षण करने का प्रबन्ध किया गया है। पड़ौस के हिमालय में स्थित देशों ने भी इस में हमारी सहायता की है। अब तक ६ अतिरिक्त गेज स्थापित किये गये हैं। और धीरे धीरे और अधिक बनाये जाने को हैं। संगठन और आंकड़ों के सम्बन्ध में स्थिति यह है।

[श्री नन्दा

जहां तक वास्तविक निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, मैं कुछ आंकड़े और दूंगा । गंगा के मैदान में ३३५ मील लम्बे पुश्ते बनाये जा चुके हैं और ब्रह्मपुत्र और उस की सहायक नदियों में ३५० मील तक लम्बे पुश्ते बनाये गये हैं । इस प्रकार कुल मिला कर ६८५ मील लम्बे पुश्ते बनाये जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश में जलमग्न ग्रामों की सतह को ऊंचा करने के लिये १०० करोड़ घन-फुट मिट्टी डाली गई है । बारह नगरों की भूमिक्षय से रक्षा की गई है । ३० जून, १९५५ तक ५$^{१}/_{२}$ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है । ४०० ग्रामों को जिन के बाढ़ ग्रस्त हो जाने का भय था ऊंचा कर दिया गया है । इस के अतिरिक्त बांधों के प्रारूप तैयार किये गये हैं और कई स्थानों पर प्रारम्भिक निर्माण कार्य किये गये हैं । मुझे उन सब के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । उन पर अभी बहुत सी खोज करनी शेष है ।

देखने में तो ये थोड़े से आंकड़े मात्र हैं किन्तु इन के पीछे जीवन्त तथ्य हैं । इस के पीछे डिब्रूगढ़ की रोमांचकारी घटनायें हैं । पिछले वर्ष एक ऐसा समय आ गया था जब कुछ महीनों में ही सारा कार्य समाप्त करना पड़ा था । और यह सब कुछ उस समय किया गया जबकि पहले किये गये सब निर्माण कार्य बाढ़ में बह चुके थे । हमें सन्देह था कि जिस नगर का लगभग $^{१}/_{६}$ भाग एक वर्ष में पानी से बह चुका था अब उस की रक्षा भी की जा सकेगी अथवा नहीं यह नगर इंच इंच करके, जल में समाता जा रहा था । उस नगर का भाग्य आंखों के सामने दिखाई देता था । ऐसे समय हम ने जो कोई भी उस समस्या के निदान के लिये जो कुछ कर सकता था उस की सहायता ली । देश और विदेश से सभी प्रकार की प्रविधिक मंत्रणा ली गई । परिणाम स्वरूप नये उपाय निकाले गये । तब एक नया कदम उठाने का निश्चय किया गया । किन्तु उस समय हमारे हृदय में शंका उत्पन्न हुई कि क्या कार्य उसी वर्ष में समाप्त हो जायेगा, अथवा सदैव जैसे ही होगा अतः हम दिन प्रतिदिन कार्य की प्रगति को देखते रहे । उस में अनेकों कठिनाइयां आईं जैसे कभी कभी पर्याप्त मात्रा में पत्थर नहीं खोदे जा पाते थे आदि । मुझे सभा को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अन्ततः उस नगर को बचा लिया गया । रक्षा भित्तियों ने डट कर बाढ़ का मुकाबला किया । वास्तव में यह सामूहिक कार्य की विजय थी किसी व्यक्ति विशेष की विजय नहीं थी । अनुसधानकर्त्ता, उपक्रामक इंजीनियर, सरकार के विभिन्न विभाग, रेलवेज़ तथा सेना सब ने मिल कर इस में सहयोग दिया, और उसी वर्ष में उन का उद्देश्य पूरा हो गया । इस समय जब कि मैं इंजीनियरों के विषय में कह रहा हूं मैं आप को बता देना चाहता हूं कि मैं उन की त्रुटियां भी जानता हूं । वे मुख्यतः सब की जानकारी में आ रही हैं उनके विषय में पूछने योग्य कुछ भी बात नहीं है, यदि कहीं पर कोई दोष है, कोई त्रुटि है तो सब लोगों को उसे जानना ही चाहिये । किन्तु उन के गुण और उनकी सफलतायें भी देश को जाननी चाहियें । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की ओर से मैं यह कहने को तैयार हूं

कि हमें इस देश के इंजीनियरों पर गर्व करना चाहिये ।

अब कोसी की बात लीजिये । यहां भी यही संदेह था कि क्या एक ही वर्ष में कार्य को पुरा करना संभव हो सकेगा किन्तु लोग आगे बड़े । यह सन्देह था कि काम करने के लिये श्रमिक मिल सकेंगे अथवा नहीं । परन्तु उस क्षेत्र के लोग झुंड के झुंड हमारे पास आये । उन्होंने हमें सहायता देने का आश्वासन दिया । कृषकों और बहुत से ग्रामीण लोग, जिन को इस प्रकार के श्रम का तनिक भी अभ्यास नहीं था, श्रमदान की भावना से हमारे पास आय ये लोग बिहार के सभी भागों से आये थे । ये सब लोग अपने ही व्यय से आए थे । फिर भी कार्य के दौरान में कई बार यह सन्देह होता था क्या हम पुश्तों को इतना ऊंचा उठा सकेंगे कि वह फिर पानी में न बह जायें । किन्तु इस वर्ष उन पुश्तों ने स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है । निसन्देह किसी भी व्यक्ति को यह आशा नहीं थी कि यह कार्य एक वर्ष में ही समाप्त हो जायेगा किन्तु इस वर्ष की हमारी रिपोर्ट बताती है कि इस कार्य के परिणाम स्वरूप इस बार बहुत से क्षेत्र बाड़ के प्रकोप से बच गये हैं और जहां पहले कोसी का जल प्रलय मचा दिया करता था वहां इस बार अच्छी फसलें उत्पन्न हो रहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश के चितौनी बांध के सम्बन्ध में भी यही अनुभव हुआ है । वहां बहुत से क्षेत्रों की रक्षा की जा चुकी है । काश्मीर में भी मैं ने स्वयं कार्य का निरीक्षण किया है । वहां भी लोगों की सक्रिय सहायता से एक ही शीतकाल में कार्य को समाप्त कर दिया गया था ।

वर्तमान वर्ष के लिये हमारा कार्यक्रम इस प्रकार है ; २२,००० वर्ग मील का विमान द्वारा सर्वेक्षण करना ११,६०० मील भूमि को समतल करना १३० स्थानों पर पानी का बहाव और वेग नापने के गेजों का लगाना. १००० मील लम्बे पुश्ते बनाना, १६ नगरों की रक्षा करना (इसमें पहले प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूर्ण करना भी सम्मिलित है), २००० ग्रामों के धरातलों को ऊंचा करना, और उड़ीसा में जहां कहीं भी बांधों में दरारें पड़ गई हैं उन्हें भरना तथा आवश्यक स्थानों पर वर्तमान पुश्तों को ऊंचा करना । इस प्रकार लगभग २००० वर्ग मील क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा की जायेगी । यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पहले किया जाने वाला चालू वर्ष का कार्यक्रम है ।

अब मैं विचाराधीन निर्माण कार्यों के विषय में कुछ कहूंगा । दिये गये आंकड़े और प्रस्थापनायें मन्त्रालय के निश्चय नहीं हैं और न ही वे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की सिफारिशें हैं । ये राज्यों की ही प्रस्थापनायें हैं । जिनमें उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को प्रगट किया है । अभी इन का परीक्षण करना होगा । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को उनका परीक्षण तथा परिनिरीक्षण करना है । इसके पश्चात वे प्रस्थापनायें बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के सामने आयेंगी । उसके पश्चात नदी-आयोग द्वारा उनका परीक्षण किया जायेगा । तब कहीं जाकर उनके व्योरेवार प्रारूपप तथा प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ।

इन प्रस्थापनाओं को रुपये की स्वीकृति के लिये योजना आयोग के सामने रखनां पड़ेगा । किन्तु मैं इस समस्त विवरण को अभी क्यों सभा के समक्ष रख रहा हूं ? केवल सभा की एसी इच्छा होने के कारण । दूसरे, इस उद्देश्य से कि कई सदस्य इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दे कर

[श्री नन्दा]

इसमें सहायता पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे उन क्षेत्रों को जानते हैं, उन्हें कई स्थानों की समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार वे अपने सुझावों द्वारा बड़ी लाभदायक सहायता पहुंचा सकते हैं।

अभी अभी मैं ने योजना आयोग और रुपये का जिक्र किया है। इस कार्यक्रम का कुल व्यय इस प्रकार है : पुराने कार्यों को पूरा करना—१५·२ करोड़ रुपये, नई योजनायें—१०२ करोड़ रुपये इस प्रकार समस्त योग ११७·२ करोड़ रुपये होता है। क्या इतना धन मिल जायेगा ? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई पुर्वानुमान नहीं लगा सकता। किन्तु फिर भी मुझे विश्वास है कि बाढ़ से होने वाली हानि को देखते हुए इस कार्यक्रम के मार्ग में धन की कमी बाधा नहीं बनेगी। यदि कोई ठोस योजना होगी और ठीक प्रकार से कार्यान्वित की जा सकेगी तो उसे रुपये के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। परन्तु हम वास्तव में कितना कार्य कर पायेंगे यह हमारी कार्य क्षमता पर आधारित है यह उस सीमा पर आधारित है जहां तक कि हम इस कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों को एकत्रित कर पायेंगे। हमारी कार्यक्षमता वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। किन्तु हम को सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि इन्हीं साधनों पर आश्रित कई कन्य कार्य भी हैं। उनमें भी ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिये हमें प्राथिमकताओं का ध्यान रखना है।

मैं ने व्यय की जाने वाली राशि का उल्लेख यहां किया है। मैं उन योजनाओं के विवरणों में नहीं जाऊंगा। माननीय सदस्यों को इस सत्र में उसके विषय में पर्याप्त मुद्रित सामग्री मिल चुकी है। मैं अत्योपरि स्थिति का ही उल्लेख करूंगा। यह ११७ १५ करोड़ रुपया सात प्रकार के निर्माण कार्यों में बांटा गया है। इसमें पुश्ते बनाना सबसे मुख्य व्यय है इस पर ६८ करोड़ रुपया व्यय होगा जो कुल राशि का ५८ प्रतिशत है। नगरों की रक्षा पर १९ करोड़ कुल का १६ प्रतिशत होगा। ग्रामों के धरातल को ऊंचा करने पर ४ करोड़ रुपया कुल राशि का ३·४ प्रतिशत व्यय होगा। बाढ़ को रोकने वाले जलाशयों के बनाने पर १६ करोड़ रुपये कुल राशि का लगभग १४ प्रतिशत व्यय होगा। गवेषणा और अनुसंधान पर ६·८ करोड़ रुपय अर्थात् कुल राशि का ६ प्रतिशत व्यय होगा। लहरों को रोकने के लिये करारे बनाने तथा पानी निकालने की नालियां बनाने पर १·५ करोड़ रुपये और बाढ़ आदि की सूचना देने तथा विविध कार्यों पर १·८६ करोड़ रुपया व्यय होगा। ये दोनों व्यय मिलाकर कुल राशि का ३ प्रतिशत होते हैं। इस सब के लिए १६०० करोड़ घन फुट मिटटी निकालनी या डालनी पड़ेगी। और इसका परिणाम क्या होगा ? १४,५३० वर्ग मील भूमि और १२ लाख टन अनाज बाढ़ से बच जायेगा। इसका अभी प्रतिशतता में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। किन्तु अनुमानतः मैं कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बाढ़ से होने वाली ५० प्रतिशत हानि रुक जायेगी। यह हमारा अल्पकालीन कार्यक्रम है। इसके पश्चात् कुछ अन्य कार्य किये जायेंगे। वे मुख्यतः नदी की धारा की दिशा परिवर्तन, जलाशयों के निर्माण तथा सहायक नदियों के जल का संग्रह करने से सम्बन्धित होंगे। इससे बाढ़ों का भय और भी कम हो जायेगा। फिर भी थोड़ा सा भय शेष रहेगा। यह कब समाप्त होगा इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आखिर इन बड़ी बड़ी नदियों के अथाह जल पर क़ाबू पाना बड़ा कठिन है। इनके असीम जल का

संग्रह करने में बहुत व्यय करना होगा। यदि मेरी गणना गलत नहीं है, तो मेरे अनुमान से ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त जल का संग्रह करने में ३०० करोड़ रुपये लगेंगे। किन्तु मुझे आशा है कि हम किसी न किसी दिन यह कार्य भी कर ही लेंगे। किन्तु हम इन कार्यों को केवल बाढ़ रोकने की दृष्टि से ही नहीं करेंगे। हम इन्हें सिंचाई और विद्युत जनन के उद्देश्य से करेंगे, ताकि इससे दूसरे सामान्य लाभ भी उठाये जा सकें। ऐसे कार्यों से बाढ़ों का नियन्त्रण तो स्वतः हो जायेगा। इस प्रकार इतने अधिक व्यय का समाधान भी हो जायेगा। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि हमने उड़ीसा में अधिक बांधों की समस्या का कैसे हल किया है। अब एक विशाल क्षेत्र को केवल हीराकुड से ही पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो गई है अथवा कम से कम जब तक कोई और बड़ी दुर्घटना नहीं होती तब तक उन स्थानों को सुरक्षा प्रदान की हुई है। किन्तु यदि ऐसे बांधों से सिंचाई और विद्युत जनन की सुविधा प्राप्त करना भी अपेक्षित हो तो इस प्रकार विकास और बांधों के मध्य एक संघर्ष होने लगेगा। बाढ़ स्वयं भी विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाती है और इसको रोकने के लिये जितने विशाल सुरक्षा कार्य करने अपेक्षित हैं वे भी हमारे संसाधनों के अनुपात से अत्यधिक होने के कारण हमारे विकास में बाधा बन जाते हैं।

यदि सभा मुझे आज्ञा दे तो मैं इस समस्या की पृष्ठ भूमि पर थोड़ा और प्रकाश डालूं। इस समस्या की जटिलता और गम्भीरता को समझने के लिये वे आवश्यक तत्व हैं। इसके साथ ही मैं उनको हल करने के उपायों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। अधिकतर लोगों को बाढ़ों से हुई हानि की जानकारी समाचार पत्रों द्वारा ही मिलती है। जिन लोगों के बाढ़ग्रस्त होने का अनुभव प्राप्त नहीं होता है वह इन समाचारों को पढ़ कर ही उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। मेरे पास १९५०–५४ के पंचवर्षों में बाढ़ों से हुई हानि के आंकड़े हैं: हानि की कुल राशि १७६.११ करोड़ रुपये की हुई है। इसका ब्योरा इस प्रकार है: मकान तथा सम्पत्ति ३५ करोड़ रुपये, पशु २ करोड़ रुपये, फसलों की हानि १०८ करोड़ रुपये, सार्वजनिक सेवाओं की हानि ३१ करोड़ रुपये। बाढ़ों से कुछ लाभ भी हुये हैं––उर्वरता बढ़ गई है: हमने उसकी गणना भी की है। एक रुपये ४ आने प्रति एकड़ की दर से खाद देने में जितना व्यय होता है प्रति एकड़ उतना ही लाभ हमें बाढ़ों से हुआ है।

किन्तु इसका अर्थ यह है कि प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की फिर से प्राप्ति हुई है। मेरा ख्याल है कि सम्भवतः यह लाभ का उचित मूल्यांकन न हो क्योंकि हमें नई फसल का अतिरिक्त मूल्य औसत फसल से तुलना करके निकालना होगा। उससे इस तथ्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है कि प्रति वर्ष बहुत हानि होती है, और इस वर्ष हुई हानि और भी अधिक है। बाढ़ से प्रभावित औसत क्षेत्रफल १०२ लाख एकड़ है तथा इन पांचों वर्षों में लगभग तीन करोड़ लोग प्रभावित हुये हैं। ये तो प्रत्यक्ष हानियां हैं किन्तु अप्रत्यक्ष हानियों का मूल्यांकन अत्याधिक कठिन है। ये हैं आर्थिक गतिविधियों का रुक जाना, आवागमन का बन्द होना और इनके परिणामस्वरूप हुई व्यापक हानि। इसके अलावा हमें सहायता और पुनर्वास के लिये व्यय करना पड़ता है। मेरे समक्ष जो कुल आंकड़े हैं उन के अनुसार इन वर्षों में २५ करोड़ रुपया व्यय हुआ है जिस में से आधे से अधिक ऋण के रूप में दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इन ऋणों में से आधे से अधिक वसूल नहीं किये जा सकते

[श्री नन्दा]

तथा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यदि हम इन सब बातों को एक साथ लें तो प्रति वर्ष हमारी कुल हानि लगभग ३५ से लेकर ४० करोड़ रुपये तक होती है।

इसका एक और पहलू है जो मेरे मन को अत्याधिक प्रभावित कर रहा है और वह है इसका अवास्तविक तथा अविचारणीय पहलू। उसका मूल्यांकन हम धन राशि के रूप में कैसे कर सकते हैं? मेरे समक्ष जो आंकड़े हैं उनके अनुसार इन वर्षों में ११०० जानें गईं, तथा ८७,६०० पशुओं की और १४,२५,००० भेड़ें नष्ट हो गई। मैं अब अवास्तविक पहलू को लेता हूं——, लोगों के दुख दर्द, उनके संकट, बाद में आने वाली बीमारियां, स्वास्थ्य का पतन, स्थानभ्रष्ट लोग जो दिन और रात आशंकास्पद दशा में रहते हैं। लोगों के मन में सुरक्षा की भावना नहीं रह जाती है। यदि यह प्रश्न कुछ ही लोगों को प्रभावित करता तो बात दूसरी थी, किन्तु यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है और बहुत अधिक लोगों को इन खतरों का सामना करना पड़ता है। इस देश में ४०,००० वर्गमील अथवा २५० लाख एकड़ भूमि के जलमग्न होने की आशंका रहती है, जिसमें से ७५ प्रतिशत भूमि हिमालय की सीमा पर स्थित चार राज्यों की है। इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या चार करोड़ है जिनमें ७५ प्रतिशत से अधिक बार बार आने वाली बाढ़ के शिकार होते हैं।

मैं ने जो कुछ कहा है वह प्रश्न की गम्भीरता को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। किन्तु यह कोई साधारण या सरल प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न असाधारण रूप से कठिन है। बाढ़ के लिये जो बातें उत्तरदायी हैं वे अनिश्चित हैं। उदाहरण के तौर पर नदियों की धाराओं में पानी की एक विशिष्ठ परिमात्रा बहती है, किन्तु यदि अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ जाये तो हम परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। यह इस लिये होता है कि वर्षा के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है और न उसका कोई एक समय ढांचा ही है।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया-पश्चिम): क्या इसके लिये कोई योजना नहीं?

श्री नन्दा : प्रकृति की स्वयं अपनी योजनायें हैं और उसके तरीकों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। होता क्या है? कतिपय स्थान ऐसे हैं जहां यदि आप वास्तविक वर्षा और औसत वर्षा की तुलना करें तो एक ऋतु की वर्षा औसत से सम्भवत: दुगनी, तिगुनी, चार गुनी और यहां तक कि छहगुनी तक हो जाती है। मैंने आंकड़े एकत्रित किये हैं जिनके अनुसार दो इंच औसत वर्षा के स्थान पर ६ इंच, ८ इंच और यहां तक कि १० इंच वर्षा हुई है। आपको यह जानकारी कतिपय प्रचालित पुस्तिकाओं में मिल जायेंगी। इन असाधारण परिवर्तनों का अर्थ है वर्षा का असमान वितरण। यदि वितरण कुछ ठीक हो तो लोग परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लें। यह इस समस्या का एक भाग है।

यदि जलागम क्षेत्र का एक ही भाग बाढ़ का शिकार हो तो यह कोई गम्भीर बात नहीं है। कभी कभी पूरे जलागम क्षेत्रों में अपरिमित वर्षा होती है तथा उस क्षेत्र की सभी नदियों में बाढ़ आ जाती है और नदियों की धाराओं में होकर इस सभी पानी का बहना असम्भव हो जाता है। जितना पानी ज्यादा होता है वह नदियों के किनारों को लांघकर बहने लगता है। अत्याधिक वर्षा का यह परिणाम होता है।

फिर नदियों की गतिविधि स्वयं भी एक भिन्न प्रश्न है। नदियों की गतिविधि

बदलती रहती है और ऐसे स्थान जहां पहले कभी बाढ़ न आई हो, जहां के क्षेत्र जलमग्न न हुये हों, कुछ वर्षों बाद वे बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। नदी अपना रास्ता बदल देती है। उदाहरण के लिये कोसी को लीजिये। उसने ७५ मील की यात्रा कर ली है तथा कहा जाता है कि यदि हम उसे न रोकें तो वह वापिस भी आयेगी मेरा विचार है कि हम प्रभावशाली उपायों से उसकी इस अवांछित यात्रा को रोक देंगे।

प्रश्न को जटिल बनाने में मानव भी अपना योग देता है। हम प्रकृति के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करते हैं। जो भी अधिक पानी आता है वह अपना रास्ता खोज निकालता है। किन्तु हम उसके रास्ते में बाधायें उपस्थित करते हैं और भवनादि निर्माण कर के उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। इस सब के लिये हम नदियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो कुछ हम कर रहे हैं वह बुद्धिमानी का काम नहीं है। हम पुश्ते, रास्ते, पुल आदि बड़ी बेतरतीबी से बना रहेहैं, आदि।

एक माननीय सदस्य: रेलमाग भी।

श्री नन्दा: रेलमार्ग भी। हम ने प्रश्न को उस दृष्टि से नहीं देखा है। पर्याप्त जलमार्ग और पानी निकालने की पुलिया बनाई जानी चाहिये। ये पुश्ते तथा भवनादि निस्सन्देह जल के प्रवाह में रुकावट डालते है और प्रश्न को अधिक गम्भीर बनाते हैं। यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसका हल उसी भावना किया जाना चाहिये।

तत्पश्चात् उसका प्रविधिक पहलू है। केवल एक पुश्ता बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है। मेरे मित्र डा० सत्यनारायण सिन्हा यहां उपस्थित नहीं हैं। वह मुझ बताते रहे हैं कि एक जगह बनाये गये पुश्ते से दूसरी जगह की स्थिति के बिगड़ने की नौबत तक आ चुकी है। यह तो कोई हल नहीं हुआ। योजना सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिये। विशेषकर जहां छोटी छोटी नदियां अधिक हों उस क्षेत्र में किसी विशेष उपाय योजन के लिये अध्ययन, जांच और सावधानीपूर्ण आयोजन जरूरी है। हमारे पास कोई सामान्य हल हो सकता है किन्तु विशिष्ट योजनाओं के लिये कठिनाइयां हो सकती हैं। हम जानते हैं कि हिमालय से आनेवाली सभी नदियों की बाढ़ के प्रश्न को हल किय जा सकता है। किन्तु उन जलाशयों को हम अपने देश की सीमा में नहीं बना सकते हैं।

इसके उपरान्त इन पुश्तों की देखरेख का प्रश्न है। यदि इन पुश्तों की ठीक देखभाल न की गई तो परिणामस्वरूप हमें अत्यधिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। यदि किसी दिन पुश्ता टूट जाय तो होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अन्य देशों ने भी इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये हैं। नदी के किनारे पुश्ते बना देने से पानी बह कर फैलता नहीं है। ऐसे पुश्तों को डाइक कहते हैं। परन्तु इन पुश्तों को ऊंचाई को निरन्तर बढ़ाते रहना पड़ता है। साथ ही हम गांवों के धरातल को ऊंचा कर सकते हैं जिससे कि उन की रक्षा हो सके।

दूसरे हैं नियंत्रणात्मक उपाय। बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है किन्तु उसके दुष्परिणामों से अपने आपको बचाया जा सकता है। कई बार हम जलप्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उसका तल अधिक ऊंचा न हो सके। बड़े जलाशयों के निर्माण से ऐसा किया जा सकता है। एक और तरीका है जो चीन में काफ़ी काम में लाया जाता है, वह यह है कि थोड़े समय के लिये अवरोध जलाशय निर्माण किये जाते हैं। बड़े बड़े क्षेत्र चुन लिये जाते

[श्री नन्दा]

है और पुश्तों की ऊंचाई कुछ बढ़ा दी जाती है । यह थोड़े समय के लिये ही किया जाता है क्योंकि कतिपय असाधारण परिस्थितियों को जोड़ कर, बाढ़ें कुछ घंटों में, एक दिन में, या दो-तीन दिनों में निकल जाती हैं । जब हम पानी को दो-तीन दिनों तक एक स्थान पर रोक लेते हैं और यदि और अधिक पानी नहीं आ रहा होता है तो उस पानी को निकाल दिया जाता है ।

पानी को हम नहरों में हटा देते हैं । उदाहरण के लिये कोसी को लीजिये । उसके कुछ पानी को हम पुरानी धारा में भी हटाने जा रहे हैं । इससे पानी का परिमाण और गति दोनों कम हो जायेंगी । किन्तु वास्तव में केवल इस एक ही उपाय से पूरा बचाव नहीं होगा । परिस्थितिनुसार ऐसे सभी उपायों का एकीकरण करने पर ही हम पूरा बचाव कर सकेंगे ।

तीसरे हैं प्रतिबन्धात्मक उपाय । मैं नहीं समझता कि अब तक हमने कोई ऐसे उपाय किये हैं जिनसे बादलों के आने को रोका जा सके या उन्हें देश के एक भाग से दूसरे भाग को स्थानान्तरित किया जा सके । सम्भव है कि मानव की बुद्धि और विज्ञान भविष्य में हमारी सहायता कर सके, किन्तु आज तो ऐसा नहीं है । हम जानते हैं कि अधिकतर बाढ़ से एक खतरा यह भी होता है कि बाढ़ के साथ जो मिट्टी बह आती है वह नदी के तल को ऊंचा करती जाती है । जंगलों की कटाई से आज स्थिति और भी बिगड़ गई है इसलिये एक प्रतिबन्धात्मक उपाय उचित है । भूसंरक्षण और जंगलों की वृद्धि के लिये उचित योजनायें बनाना होगा ।

इसी प्रकार नदी को चौड़ा कर के उसकी गहराई बढ़ा कर बहाव की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिसके उपरान्त उस में अधिक पानी बह सकता है ।

तीसरा प्रतिबन्धात्मक तरीक़ा, जिसका उल्लेख मैं इस पूर्व कर चुका हूं, यह है कि बाढ़ क्षेत्र को सभी प्रकार के अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जाये इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया ये सभी बातें एक या दो वर्षों में कर लेना सम्भव नहीं है और इस बीच हमें बाढ़ जन्य खतरों का सामना धैर्य पूर्वक करते हुए संकट को दूरदर्शित से निवारण करना ही सर्वोत्तम तरीक़ा है एक ओर बाढ़ की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था करना तथा दूसरी ओर सूचना पाते ही आवश्यक कार्य करने वाला संगठन अपेक्षित है । इससे जनता को बाढ़ की अग्रिम सूचना मिल सकती है और आवश्यक होने पर उसे स्थानत्याग के लिए कहा जा सकता है इस समय अन्य बातों की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है । क्योंकि सूचना पाते ही हम संगठित हो सकते हैं और मेरा ख्याल है कि पर्याप्त हानि को रोका जा सकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, पूर्वानुमान और खतरे की सूचना देने की प्रणाली विकसित की जा रही है । यह प्रणाली और सुरक्षा संगठन हमारे कार्य के महत्वपूर्ण अंग हैं और इनका विकास हमें शीघ्र ही करना है ।

अन्त में, इन सब का परिणाम क्या होता है ? इस समस्या पर हमारा दृष्टिकोण यही है । मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम यह जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसमें हम अपने कार्य की सीमाओं को भली प्रकार समझते हैं । यह ग़लत धारणा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि एक या दो, यहां तक कि पांच या दस वर्षों में हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उनके फलस्वरूप हमें बाढ़ के संकट के पूर्ण उन्मुक्ति मिल जायेगी यह सम्भव नहीं है ।

अन्य देशों के अनुभवों को ही लीजिये। उदाहरण के लिये अमरीका ही को लीजिये जहां हर साल हज़ारों डालर खर्च किये जाते हैं। चीन को ही लीजिये, वहां के बारे में तो हम बहुत कुछ सुना करते हैं। पिछले वर्ष वहां बाढ़ आयी थी; इस वर्ष अमरीका में बाढ़ आयी है और वहां जान-माल को व्यापक क्षति पहुंची है। इस लिये मुख्य बात यह है कि अब तक के अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, चाहे हम कितनी भी बड़ी-से-बड़ी सम्भाव्य बाढ़ की रोकथाम की तैयारी क्यों न कर चुके हों, अगले वर्ष यह भी हो सकता है कि बाढ़ सभी पिछले रेकार्ड तोड़ दे। इसी वर्ष यह हो सकता है कि बाढ़ ने सभी पिछले रेकार्ड तोड़ दिये हों। हम यह भी आशा नहीं कर सकते कि चूंकि इस वर्ष यह सभी पिछले रेकार्ड तोड़ चुकी है, इस लिये अगले वर्ष उसकी तीव्रता कुछ कम हो जायेगी। यह भी हो सकता है कि यह एक ऐसी बाढ़ हो जैसी पिछले सौ या हज़ार वर्षों में न आयी हो। कोई पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकता। यह इसे बहुत ही अनिश्चित बना देता है और इसी लिये इससे पूर्ण उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिये वास्तव में बाढ़ आने पर हमें हर समय अन्य क़दम उठाने के लिये तयार रहना होता है।

मैं ने अत्यन्त नम्रता पूर्वक यह स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई लम्बा चौड़ा दावा नहीं कर रहे, लेकिन जो भी का सम्भव होगा वह अवश्य किया जायेगा। जिस जांच और जिन आंकड़ों पर हमारा कार्यक्रम आधारित होगा उनके पूरा करने का और संकलन का काम सब से उत्साहपूर्ण ढंग से किया जायेगा। आंकड़े राज्यों में बिखरे पड़े हैं। उन्हें एक साथ सम्मिलित किया जायगा। वे सब कार्य जो जल्दी किये जा सकते हैं, बिना समय नष्ट किये तत्काल किये जायेंगे और इस बीच यह समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और यह भी पूरा किया जायेगा। यहीं पर विभिन्न राज्यों में अनेक लोगों के सहयोग का प्रश्न आता है। यहां मैं अपने उन पड़ौसियों—नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत—की भी प्रशंसा करूंगा जिन्होंने हमारे साथ उस सीमा तक सहयोग किया है जिसको हमारी सराहना और मान्यता मिलनी चाहिये वे नदियों और वर्षा के गेज (आमान) तथा बेतार-केन्द्र स्थापित कर रहे हैं।

अन्त में मैं केवल यह आशा प्रगट करूंगा कि अगले कुछ वर्षों में जब हम इस काम में लगे रहेंगे तब प्रकृति हमारे ऊपर कृपालु रहेगी और हमें दम लेने भर का समय दे देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस पर श्री एस० एन० दास का एक संशोधन है।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह पाठ रखा जाय:
>
> "This House having considered the note on flood control projects for inclusion in the Second Five year Plan, while appreciating the efforts of the Central Government for having set up an organisation at the centre to deal with flood control measures, recommends that all possible steps be taken to help the State Governments concerned in the matter."
>
> ["द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये बाढ़-नियंत्रण योजनाओं सम्बन्धी टिप्पण पर विचार करने के उपरान्त, बाढ़

[श्री एस० एन० दास]

> नियंत्रण के कार्यों के लिये केन्द्र में एक संगठन स्थापित करने के केन्द्रीय सरकार के प्रयासों की सहारना करते हुये, यह सभा यह सिफ़ारिश करती है कि इस विषय में सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता के लिये प्रत्येक सम्भव क़दम उठाये जायें ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

साधारणतया प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जायेगा । यदि कुछ सदस्य कम हो गये तब अधिक से अधिक २० मिनट दिये जायेंगे ।

मैं क्रमशः आसाम, उड़ीसा, बिहार पश्चिमी बंगाल, आंध्र और फिर मध्य प्रदेश था उत्तर प्रदेश के सदस्यों को एक एक कर के बुलाऊंगा । एक ही क्षेत्र से कई सदस्य होने के कारण मैं पहले प्रत्येक राज्य से एक सदस्य को बुलाऊंगा और फिर अन्य सदस्यों को । जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आयी, उनके सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जायगा । सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) को लगभग सवा तीन बजे बोलने का अवसर दिया जायगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : माननीय मंत्री के साथ-साथ मैं भी मंत्रालय एवं उन इंजीनियरों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कठिन संघर्ष कर डिब्रूगढ़ की रक्षा कर ली । वास्तवकिता तो यह थी कि यहां समय के विरुद्ध संघर्ष किया गया क्योंकि यह स्पष्ट था कि अगर एक ऋतु भर में यह काम नहीं कर लिया गया होता तो फिर कभी नहीं किया जा सकता । उस समय परिवहन, रेलवे, श्रम, शिक्षालयों, विद्यालयों, भारत सरकार और राज्य सरकारों में समन्वय की आवश्यकता थी और यह सब सम्भव भी हो गया । यहां तक कि कुछ समय तक तो सेना से भी काम लिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रयास निष्फल हो जायेंगे, परन्तु वे निष्फल नहीं गये और हम डिब्रूगढ़ को बाढ़ में बह जाने से बचा सके । आपने सुना होगा कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ का पानी पिछले वर्ष से अधिक बढ़ गया था परन्तु फिर भी दिब्रूगढ़ को बचा लिया गया और हम, आसाम के लोग भारत सरकार और इंजीनियरों के बड़े आभारी हैं ।

परन्तु जो समस्या हमारे सामने है, वह काफी संदिग्ध-सी है, क्योंकि मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हिमालय पर होने वाली वर्षा के कारण ७५ प्रतिशत बाढ़ें उत्तर में ही आती हैं । जिस पट्टी में वर्षा अधिक होती है वह उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक फैली हुई है और अगर आप विश्व भर की वर्षा से इसकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि आसाम में अधिकतम वर्षा होती है । इसी लिये आसाम की नदियां भी विश्व की अन्य नदियों की अपेक्षा विचित्र प्रकार की हैं । वहां की छोटी-से-छोटी नदी विकराल रूप धारण कर लेती हैं और ब्रह्मपुत्र में जा कर मिलने से पहले उसे बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है । उसकी गति बहुत तेज होती है और अगर किनारा उसकी राह रोकता है तो वह रेज़र के ब्लेड की तरह उसे काट देती है । इसीलिये आसाम में बाढ़ के साथ भूमि के कटाव का प्रश्न भी शामिल है और जो बाढ़ की समस्या को हल करना चाहे, उसे भूमि के कटाव के प्रश्न को भी हल करना पड़ेगा और इस पर अत्यधिक खर्च होगा ।

भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर एक ४०० मील लम्बा तटबन्ध बनाने की योजना बनायी है । मैं नहीं जानता कि यह कैसे सफल होगी । लेकिन सभा को मैं यह बता दूं कि पिछले भूकम्प के परिणामों के कारण मुझे इसकी सफलता में सन्देह है । उस समय ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बहुत सी रेत बहा लाई थीं जिसके फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र में कहीं कहीं ८ फुट और कहीं कहीं तो १६ फुट गहराई तक रेत जमा हो गयी है । इसका फल यह हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी पहले जितना पानी बहा ले जाती थी उतना अब नहीं ले जा पाती और थोड़ी सी भी वर्षा से बाढ़ आ जाती है : इसके अलावा, सभी सहायक नदियों का पानी भी रुक जाता है और इससे उन में भी बाढ़ आ जाती है । नयी बात यह है कि सहायक नदियों में भी रेत जमा हो गयी है । उदाहरण के लिये सुबांसरी नदा का अपना मार्ग या अपना कोई किनारा नहीं, ऐसा लगता है कि वह नदी धरती पर बह रही है, जब पानी आता है तब वह एक सिरे से दुसरे तक झूल जाता है । साथ ही पिछले भूकम्प के कारण अधिकांश नदियाँ छिछली हो गयी हैं । नदियों की तलहटी से बालू खोद कर उनको गहरा बनाने की बात की जाती है । लेकिन यह भी बिकट समस्या है कि जितना भाग खोदा गया वह सैकंडों में भर जाता है । इसके अलावा नदी इतनी लकड़ी बहा लाती है कि आप उन पर ही चल कर पूरी नदी पार कर सकते हैं । कहीं कहीं पर यह नदी सात मील चौड़ी हो जाती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि इस समस्या का केवल एक ही हल नहीं । जंगलों के कट जाने के कारण पानी तेज़ी से नदियों तक पहुंच जाता है । इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि पहला क़दम यह है कि जिन पहाड़ियों पर वर्षा होती है उन पर जंगल लगाये जायें ।

दूसरी समस्या, निश्चय ही, पानी को रोक रखने की है । मैं नहीं जानता कि पानी वाले जलाशय सफल होंगे या नहीं । मेरे विचार से जहाँ तक नदियों को काबू करके पार करने का सम्बन्ध है, जलाशय सफल होंगे । लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके द्वारा कुछ घंटों या कुछ दिनों से अधिक समय तक पानी रोक रखने में भी सफलता मिल जायेंगी । दुसरे जलाशय बनान के लिये उपयुक्त स्थान की आवश्यकता का प्रश्न आता है । मैं आपको बताऊं कि अगर हम ऊपर की ओर हिमालय के निकट जायें तो ऐसे स्थान मिल सकते हैं । अगर आप कुछ बाँध नहीं बनायेंगे तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आप उत्तरी भारत में बाढ़ पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकेंगे । हमसे कहा जाता है कि इस पर अत्याधिक धनव्यय होगा : हमारी समस्या अमरीका या अन्य देशों से भिन्न है और यहाँ पहले सहायक नदियों पर नियंत्रण करना होगा । मैं इस बात से सहमत हूं कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के लिये ३०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही अगर आप उसकी तीन या चार सहायक नदियों को नियंत्रण में कर लें तो मुझे विश्वास है कि उसमें आने वाला पानी बहुत कम हो जायगा और उस सीमा तक बाढ़ में भी काफी कमी हो जायगी ।

मैं आपको बताऊं कि आसाम में राष्ट्रीय आय के आंकड़ तैयार करने में पता चला कि पंचवर्षीय योजना के बावजूद वहां की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ने के स्थान पर घटती जा रही है । इस लिये अगर हमें बाढ़ में ही तैरना या बहना है तब फिर इन योजनाओं से क्या लाभ ? यह सच है कि हमारे पास कोई पर्याप्त योजना होनी चाहिये । आपके पास तटबन्ध बनाने की केवल एक अल्पकालीन योजना है और आप समझते हैं कि बांध बनाये बिना केवल तटबन्धों से

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

ही काम चल जायेगा; लेकिन जब तक ब्रह्मपुत्र में सहायक नदियों के पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती तब तक इस प्रश्न को संतोषजनक रूप से हल नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं सरकार से इस प्रश्न पर दोबारा विचार करने का अनुरोध करूंगा। आपको तो यह भी सोचना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह काम कैसे किया जायेगा ? आप कहते हैं कि यह काम राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। लेकिन जब केन्द्रीय सरकार को ही इसमें कठिनाई प्रतीत होती है राज्य सरकारें इसे कैसे पूरा कर सकेंगी ? इसलिये इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल करना होगा। डिब्रूगढ़ को इसी लिये बचाया जा सका क्योंकि उसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया।

मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार आसाम के उत्तरी भाग की नदियों की बाढ़ को, जिनमें बाढ़ और भूमि के कटाव की समस्यायें एक साथ सामने आती हैं, उतना महत्व नहीं देती। कारण; वहां दक्षिण में बहने वाली एकमात्र कापिली नदी पर बांध बनाने का काम विचाराधीन है—यहां भूमि के कटाव की समस्या नहीं है। उत्तर में तो वे आंकड़े तक जमा नहीं कर पाये हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर सरकार डिब्रूगढ़ के समान इन्हें भी महत्व दे तो उसे इनका भी हल मिल जायेगा। अगर हर वर्ष आसाम की ६० प्रतिशत उपज में से २५ प्रतिशत भाग नष्ट हो जाय या संकट में पड़ जाय, तो राष्ट्रीय आय को होने वाली क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय को अधिक महत्व दें और इस समस्या को खंडशः नहीं वरन एक साथ लेकर शीघ्रता से हल करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जितने भी सुझाव दिये हैं—पानी रोकने वाले जलाशय, बांध, वन लगाना, नदियों को गहरा बनाना—उन सभी तरीक़ों को काम में लावें। जब आप ये सब कार्यवाही करेंगे तभी हमें भारत के अन्य भागों के साथ-साथ थोड़ा खुशहाल होने का अवसर मिलेगा। हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद आगे बढ़ने के स्थान पर हम पीछे हटे हैं। यह भावना हटनी चाहिये। देश के अन्य भागों में बांधों के निर्माण के समय हमने यह समझा था कि हमारे यहां भी बांध बनेंगे। लेकिन हम से कहा जाता है कि "तुम्हारे भाग में बांध बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनके योग्य नहीं।" इसलिये मैं पुनः मंत्री महोदय से इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करूंगा, ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिये वास्तविक क़दम उठाये जा सकें। चीन, अमरीका और विश्व के अन्य भागों के अनुभवों के बाद अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि बाढ़ को रोकने के लिये बांध ही वास्तविक तरीक़ा है।

मेरा सुझाव है कि जिन स्थानों पर वर्षा का जल इकट्ठा होता है, उन्हीं के आधार पर आपको समस्या का हल ढूंढना चाहिये। आपको यह पता लगाना होगा कि उस क्षेत्र में से कितने जल की निकासी होती है, आपको उसका नक्शा बना कर यह तय करना होगा कि उसके लिये कितने नाले आवश्यक होंगे। यह काम पहले कभी नहीं हुआ। रेलवे वाले अब यह काम कर रहे हैं और सड़कों के सम्बन्ध में भी यह किया जाय तो अच्छा होगा।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं, जहां हाल ही में बाढ़ आकर चुकी है और मैं व्यक्तिगत अनुभव से यह बता सकता हूं कि बाढ़ क्या

होती है। आप सब जानते हैं कि उड़ीसा एक निर्धन राज्य है, उसकी निर्धनता के उदाहरण दिये जाते हैं और उसकी निर्धनता का मुख्य कारण बाढ़ ही हैं। साथ ही मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां की बाढ़ें आसाम की तरह की जटिल समस्या नहीं उपस्थित करतीं। आसाम में प्राकृतिक वैचित्र्य और वर्षा की अनिश्चितता के कारण बाढ़ नियंत्रण मानवीय बुद्धि से परे की चीज़ हो गई है, परन्तु हमारे यहां उतनी मात्रा में बाढ़ें प्रकृति की निष्ठुरता के कारण नहीं आतीं जितनी मनुष्य की निष्ठुरता के कारण आती हैं।

अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिये मैं आपको हाल की बाढ़ की बात बताऊं। हीराकुड बांध के कारण वहां के लोग बाढ़ की ओर से लापरवाह हो गये। इस लापरवाही के कारण सरकार ने भी तटबन्ध की देखभाल नहीं की और संकट के स्थानों के प्रति भी वह सजग नहीं रही। इसीलिये बाढ़ आ गयी। जनता इसलिये लापरवाह रही कि वह सुरक्षित क्षेत्र में थी। वर्षा का जो पानी मैदानों से आकर बाढ़ ला देता है, वह भी ख़तरे से ख़ाली नहीं। इसलिये सब से पहले हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि वर्षा के पानी का "समाजीकरण" हो जाये। मेरा तात्पर्य है कि मैदानों में जो वर्षा आती है उसका पानी जहां तक सम्भव हो देश भर में समान रूप से वितरित हो जाये और हमें उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिये। अभी हम यह नहीं कर रहे।

मैं तटबन्धों के विरुद्ध नहीं, परन्तु तटबन्ध बन जाने पर हमें सतर्क रहना चाहिये। दलाईघाई में यही हुआ कि पानी बढ़ते रहने पर किसी ने उसकी चिंता नहीं की। इसीलिये बाढ़ आयी और वहां विनाश हुआ। इसलिये जब हम तटबन्ध बनावें तब हमें उन्हीं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनको उचित ढंग से रखा जाये। अब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात लेता हूं। वहां के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि रेलवे लाइन टूटने वाली है, वहां के विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा जब कि दो दिन पश्चात् ही लाइन टूट गई।

गांवों के लोग इतने गरीब होते हैं कि वे बाढ़ की विपत्ति का ४ रोज़ भी सामना नहीं कर सकते हैं। मेरे इलाके के गांव ऐसे स्थान पर अवस्थित हैं कि बाढ़ आते ही न केवल गरीबों के बल्कि उच्च मध्यम वर्ग वालों के भी मकान गिर जाते हैं क्योंकि अधिकांश गांव नीची सतह वाली भूमि पर बसे हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि बाढ़ के लिये रक्षात्मक योजनाओं को बनाते समय गांवों को अच्छे स्थान पर बसाने तथा उनकी पुनर्व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाये। इससे लोग निश्चिंत और सुरक्षित रह सकेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के सम्बन्ध में केवल तीन मदें सम्मिलित की गई हैं और केवल हीराकुड बांध ही बन रहा है।

श्री नन्दा : मेरे कहने का कभी भी यह तात्पर्य नहीं रहा कि अन्य बांध नहीं बन रहे हैं। मैं यह बताना चाहता था कि विशाल बांधों का निर्माण, बाढ़ों से सुरक्षा के उद्देश्य पर ही आधारित नहीं रहता प्रत्युत उसमें कई अन्य बातों का भी विचार करना पड़ता है यदि ये बातें पूरी हो जायें तो उन्हें भी योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री लोकनाथ मिश्र : मैं इस बात के लिये भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि केवल हीराकुड बांध के बनने से उड़ीसा की रक्षा नहीं

[श्री लोकनाथ मिश्र]

हो सकेगी । यदि हमें रक्षा करनी है तो कई बांध बनाने होंगे, अन्यथा स्वयं हीराकुड बांध को ही खतरा पैदा हो जायेगा क्योंकि उस पर अत्यधिक दबाव पड़ जायेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह हीराकुड के नीचे दो बांध और बनावें तभी उड़ीसा को पूरा लाभ हो सकेगा ।

तटीय प्रदेशों की समस्या भी इससे हल नहीं हो सकेगी । वहां बाढ़ के पानी को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा वहां हर वर्षा में बाढ़ आ जायेगी—मंत्रालय की पुस्तिकाओं में लिखा है कि इस प्रयोजन के लिये प्राकृतिक जलाशयों से सहायता लेनी चाहिये । लेकिन वहां केवल चिलका झील है, वह भी बाढ़ के पानी द्वारा लाई गई रेत-मिट्टी-गारे से भर गई है । फलतः जब बाढ़ का पानी उसमें गिरता है तो इसके दूसरे किनारे पर बाढ़ आ जाती है अतः अब वह भी बेकार हो गई है ।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हीराकुड तथा दो अन्य बांध जो कि महानदी के मुहाने के लिये आवश्यक हैं निर्मित किये जायें पानी बहाने की नियोजित प्रणाली जारी की जाये । तथा झील की ओर खुदाई करके उसे गहरा बनाया जाये । हमें वैतारिणी, ब्राह्मणी इत्यादि नदियों की बाढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिये और यदि सम्भव हो तो सुरक्षा के लिये एक बांध क्योंझर में भी बनाया जाये । मंत्रालय को देश के समक्ष एक स्पष्ट योजना रखनी चाहिये कि वह बाढ़ की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । चाहे इसमें कितना ही समय क्यों न लगे । इस प्रकार हम बाढ़ की आपत्ति को सहने योग्य साहस व धैर्य उत्पन्न कर सकने में समर्थ होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्रम से बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के सदस्यों के नाम बुलाऊंगा । डा० सिंह अपना भाषण आरम्भ करें ।

डा० सिंह (सारन—पूर्व) : हमारे देश में, विशेषतः उत्तर पूर्वी भाग में, पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे आर्थिक संसाधनों, संगठन क्षमता, तथा मानवीय भावनाओं को चुनौती दे रही हो । कुछ भी हो, सरकार ने इस चुनौती का गम्भीरता से सामना किया है और मैं इसके लिये श्री नन्दा का कृतज्ञ हूं ।

बाढ़ का सामना करने के लिये वीरता तथा व्यय के साथ चातुर्य की भी आवश्यकता है । मुझे केन्द्रीय सरकार के कार्यों पर कुछ आपत्ति नहीं है । लेकिन राज्य सरकार का कार्य उस सीमा तक प्रशंसनीय नहीं रहा है । हाल ही में, प्रकाशित "फ्लड्ज इन इण्डिया—प्राबलेम्स एण्ड रेमिडीज़", "भारत में बाढ़—समस्या तथा समाधान" नामक पुस्तिका के पृष्ठ १८ में लिखा है कि "इस वर्ष समस्तीपुर भी बाढ़ से डूब गया । इसका कारण यह था कि बूढ़ी गंडक में १६ दिन तक लगातार बाढ़ आती रही तथा बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में आ गया । बढ़ी गंडक के दाहिनी ओर का बन्ध अभी पूरी तरह नहीं बना था; इत्यादि ।" जहां तक मैं जानता हूं, दो बन्ध बनाये गये थे । एक मुजफ्फरपुर की ओर से, दूसरा खगड़िया से अंगारघाट तक । इसके बीच ३० मील का स्थान छोड़ दिया गया था । केन्द्रीय सरकार के इंजीनियरों ने यह चेतावनी दी थी कि यहां बन्ध नहीं बनना चाहिये अन्यथा समस्तीपुर क्षेत्र को खतरा पहुंचेगा, लेकिन इसके बावजूद राजनैतिक दबाव के कारण वहां बन्ध बनाया गया । परिणाम

यह हुआ कि समस्तीपुर का सारा इलाका बाढ़ स ग्रस्त हो गया, इसी से वहां के लोग कह रहे हैं कि यह मानवीय विपत्ति है । जब संसद् कार्य मंत्री के मतदान-क्षत्र में यह हो सकता है तब हमारे क्षत्र में क्या कुछ नहीं हो सकता ? इससे मैं निवदन करुंगा कि इस मामले की जाँच की जाय तथा राजनैतिक प्रभावों को ऐसे कार्यों से अलग रखा जाये । यह मेरा पहिला प्रश्न है ।

मेरा दूसरा प्रश्न क्लुपरा तथा सोनपुर के बीच गंगा के किनारे की भूमि के वह जाने के सम्बन्ध में है । यहां की बहुत अधिक भूमि बह गई है लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस का कहीं जिक्र भी नहीं है जब कि सरकार थोड़ा-सा ही व्यय करके इसे रोक सकती है । इससे लोगों को बहुत लाभ होगा । आशा है केन्द्रीय सरकार इस ओर कुछ कार्य अवश्य करेगी ।

उत्तरी बिहार की बाढ़ समस्याओं का श्री चटर्जी नामक इंजीनियर को गहरा अध्ययन है । उन्होंने कई वर्षों तक वहां कार्य किया है तथा बन्ध भी बनाये हैं । सबसे पहिले उन्होंने ही यह चेतावनी दी थी कि यदि उत्तरी बिहार में कुछ विशेष स्थानों पर बन्ध बनाये जायेंगे तो उससे अन्य लोगों को हानि होने की सम्भावना है । लेकिन बिहार राज्य की सरकार ने उनकी सलाह स्वीकार नहीं की । अब केन्द्रीय सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये । इस सम्बन्ध में आप जितने अधिक इंजीनियरों से परामर्श करेंगे उतना ही लाभ होगा । श्री चटर्जी के बाढ़ सम्बन्धी व्याख्यानों की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो सकती हैं तथा उनसे लाभ उठाया जा सकता है इसलिये मेरा अनुरोध है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्तीपुर के लिये कोई व्यवस्था अवश्य की जाये । जहां कहीं भी तत्काल आवश्यकता हो वहां सरकार को देश के समस्त उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की सहायता से बाढ़ का सामना करना चाहिये तथा देश की रक्षा करनी चाहिये । जितना ही हम इसमें सफल होंगे उतना ही हम वास्तविक रूप में मनुष्य कहलाने का अधिकार है ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हम माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहिली बार योजना में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं को चर्चा के लिये प्रस्तुत किया है । यद्यपि हमें इस विषय की टेकनिकल जानकारी नहीं है, तथापि हम बाढ़ इत्यादि से होने वाली आपदा तथा जनसाधारण के कष्टों का ज्ञान रखते हैं । आशा है कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे । भारत में कई राज्य हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती रहती है, किन्तु रेडक्लिफ़ पंचाट के पश्चात् से विभाजित बंगाल के केवल एक अंश में ही बाढ़ का खतरा रहता है और वहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है । उसका विस्तार अधिक न होने के कारण कोई वहां के विनाश का ख्याल नहीं करता । किन्तु इसी अंश म सम्पत्ति, जीवन तथा पशुओं की सब से अधिक हानि हुई है । केवल एक मतदान-क्षेत्र में ही ७.५० करोड़ रुपये की हानि हुई है । इससे आप बाढ़ क प्रकोप का अनुमान लगा सकते हैं । द्वितीय पचवर्षीय योजना में ११० करोड़ रुपये का उपबन्ध पर्याप्त नहीं है । पश्चिमी बंगाल राज्य में कोई इंजीनियरिंग परियोजना नहीं है, केवल कुछ बन्ध बनाये जा रहे हैं जिनसे पांच बड़े नगरों को बचाया जायेगा । लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये कुछ नहीं किया गया है; जब कि फसल की हानि ग्रामों में ही होती है, तथा वहां के लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि नगर वालों के साथ पक्षपात किया जाता

[श्री बर्मन]

है । अतः मेरा निवेदन है कि उन सभी नदियों तथा तिस्ता, जोरसा, रेडक, समकोण इत्यादि के किनारे किनारे बन्ध बनाये जायें और उनके किनारों पर बसे हुये ग्रामों को तबाही से बचाया जाये, लेकिन इसके लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को सहयोग से कार्य करना चाहिये । १९५४ में तिस्ता नदी के किनारे बन्ध बनाने का विचार किया गया । लेकिन राज्य मंत्रालय यह चाहता था कि रेलवे मंत्रालय अपनी लाइन को बचाने के लिये कुछ टोकर निर्मित करे, लेकिन रेलवे मंत्रालय वाले इस पर राज़ी नहीं हुये । परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार ने बन्ध बनाने का निर्णय किया लेकिन उसके पूर्ण होने के पहले ही बाढ़ आ गई और यह सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया ।

इस वर्ष भी यही हुआ कि राज्य सरकार रेलवे लाइन ऊंची उठाना चाहती थी और सड़क की सतह भी ऊपर उठाना चाहती थी । किन्तु केन्द्रीय सरकार के आदेश पर काम रोक देना पड़ा । अन्त में यद्यपि उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तथापि इसमें इतना विलम्ब हो गया कि बाढ़ से सड़क इत्यादि टूट गई और फिर वही तबाही हो गई ।

मैं ये उदाहरण केवल यही दिखाने के लिये दे रहा हूं कि जो भी योजनाय बनाई जाती हैं उनको कार्यान्वित भी किया जाये । हमारे उड़ीसा में प्रति वर्ष १५० इंच वर्षा होती है और शुरू जून से सितम्बर तक रहती है । इसलिये जो भी किया जाना है, जल्द से जल्द किया जाना चाहिये ।

यहां जो टिप्पण परिचालित किया गया है, उसके ९वें पृष्ठ पर कहा गया है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी परियोजना चालू नहीं की जायेगी क्योंकि उसके लिये अभी तक आवश्यक जानकारी इकट्ठी नहीं हो पाई है । मेरे यहां अभी तक सिर्फ बन्ध ही बंधे हैं, और दामोदर नदी का अनुभव बताता है कि बन्ध बाढ़ों की समस्या का कोई स्थाई हल नहीं । इसके बारे में दो विरोधी रायें हैं । मंत्रालय ने अपने टिप्पण के ९वें पृष्ठ पर खुद माना है कि सभी बन्ध बाढ़ के विरुद्ध निश्चित रूप से पूरी-पूरी सुरक्षा नहीं कर देते ।

दामोदर नदी का अनुभव तो बताता है कि बन्धों के कारण नदी की सतह और ऊंची हो गई है, क्योंकि साद धारा के साथ नीचे बह कर नहीं जा पाता । नदी की सतह और ऊंची हो जाती है और अधिक बाढ़ के काल में बन्ध टूट जाते हैं । यह सही है कि उनकी पूरी देखभाल की जानी चाहिये ?

लेकिन, हमारे प्रधान मंत्री ने भी २३वीं सितम्बर, के अपने कटक के प्रेस सम्मेलन में कहा था कि नदी के दोनों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर देने से उसके आस-पास के गांवों को साद धारा-आदि की विशाल राशि लाने वाली उसकी बाढ़ों से लाभ नहीं हो पाता ।

इस तरह, बन्धों के बारे में दो विरोधी रायें हैं । इस काम के लिये मैं सुझाव रखता हूं कि हमारे गवेषणा विभाग को इन दोनों का समन्वय करने के लिये जांच पड़ताल करनी चाहिये । मतलब यह है कि बन्ध तो बनायेंगे ही, पर साथ ही कोई ऐसा उपाय भी होना चाहिये जिससे कि गांवों को बाढ़ के पानी का फायदा भी हो जाये और उससे नुकसान भी न हो—जैसे अतिरिक्त पानी निकालने के नाले और नहरों की शाखायें, आदि । मेरा सुझाव है कि यह जांच पड़ताल का काम अभी से शुरू कर दिया जाये, तो किसी दिन हम उसका समाधान भी ढूंढ निकालेंगे ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : पिछल १०० वर्षों के दौरान बाढ़ों से सम्बन्धित कई सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं। आज से लगभग २५ वर्ष पूर्व, और आज भी, बन्धों का सिद्धान्त मान्य हो गया था। लेकिन तभी एक प्रमुख अंग्रज़ न यह मत दिया था कि बन्ध नहीं बनाय जान चाहियें, और बाढ़ के पानी को फैलन दना चाहिय। तब सरकार न उसे स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद जब एक अन्य प्रमुख इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने नदियों के जलाशय बनाने की बात कही, तो मेरा ख्याल है कि उसी के बाद हीराकुड बांध का निर्माण शुरू किया गया था। और तभी हीराकुड बांध, महानदी की घाटी, तिकरापारा और नाराज़ परियोजनाओं की रूपरेखा छापी गई थी। हीराकुड बांध का शिलान्यास करते समय, हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि महानदी की घाटी की परियोजनायें पूरी होने पर उड़ीसा में दूध और मधु की धारायें बहने लगेंगी। इससे आम जनता ने बड़े उत्साह के साथ सोचा था कि उड़ीसा की सारी समस्यायें सुलझ जायेंगी। इसके बाद, मैं बताता हूं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और आसाम म केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ों के लिये क्या किया था। उसी समय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने एक बुद्धिमानी का काम किया था। उसने राज्यों का सम्मेलन बुला कर एक केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड बनाया और बाढ़ की सम्भावना वाले राज्यों से भी अपने अलग-अलग बोर्ड बनाने के लिये कहा था। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश और हैदराबाद ने तो अपने यहां नियंत्रण बोर्ड और उनकी प्राविधिक समितियां बना लीं; पर उड़ीसा की सरकार ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी थी। खैर, बाद में उन्होंने मार्च में अपना नियंत्रण बोर्ड बना लिया है। यहां मैं कहूंगा कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपना कर्तव्य पूरी तौर से नहीं निभाया है। यह तो ठीक किया गया है कि पिछले वर्ष उसने इस काम के लिये आवश्यक सभी जानकारी को इकट्ठे करने का काम शुरू किया। पर क्या यह उड़ीसा के बारे में भी आवश्यक नहीं था? क्या इसलिये ऐसा नहीं हुआ कि, वहां ११ वर्षों से कोई बाढ़ नहीं आई ह? मेरा कहना है कि उड़ीसा की सरकार इसकी अधिक दोषी है। उसे समझना चाहिये था कि हीराकुड ही सारे उड़ीसा में बाढ़ों की समस्या नहीं सुलझा देगा। एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये बने आर्थिक आयोग और तमाम इंजीनियरों द्वारा तो सभी चीजों पर विचार व्यक्त किये गये हैं। पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड वन-रोपण और भूमि के संरक्षण के लिये व्यवहारिक रूप में कुछ भी नहीं कर रहा है। भूमि संरक्षण के काम को तो भूमि संरक्षण बोर्ड को सौंप दिया गया है। हीराकुड बांध के परामर्शदाता, डा० सावेज ने अपने १९४८ के प्रतिवेदन में कहा था कि उस बांध के निर्माण के साथ-साथ, उसी समय से वहां वन-रोपण भी आरम्भ कर देना चाहिये। मैं कई बार इस ओर ध्यान दिला चुका हूं, पर इस विषय में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने उसकी चर्चा अवश्य की थी, पर उड़ीसा में मुझे पता लगा है कि अभी उसकी स्वीकृति भी नहीं दी गई है। बाढ़ों की रोक-थाम के सिलसिले में भूमि संरक्षण, वन-रोपण और जल-संचय के कामों को बिल्कुल भुला दिया गया है। लोग जंगल काटते जा रहे हैं। यदि वन-रोपण नहीं होगा, तो हीराकुड जैसे बांध भी एक अर्से बाद फटने लगेंगे; यह १७ वर्षों में हो या ७० वर्षों में, वस्तुतः दूसरी बात है।

[श्री सारंगधर दास]

इस तरह, सिर्फ बन्ध, जल-संचय के जलाशय और तालाब आदि बना कर, हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच रहे । मैं कोई इंजीनियर होने का दावा नहीं करता ; लेकिन, मुझे भूतपूर्व वन-महानिरीक्षक के शब्द याद है कि जब तक वनरोपण करके पेड़ों के नीचे काफी घास नहीं उगाई जाती तब तक नदी का पानी उसमें रुकने की बजाय भूमि में अपने रास्ते काटता रहेगा, और बाढ़ों का खतरा बढ़ता ही जायेगा । इसलिये, भूमि-संरक्षण को बाढ़ नियंत्रण के कार्य का हिस्सा ही बनाये रखना चाहिये, उसे किसी दूसरे मंत्रालय को अलग से नहीं सौंपना चाहिये ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

स्पष्ट है कि जब बन्ध बने हुये हैं तो हमें उनकी देख-भाल भी करनी चाहिये । लेकिन, उड़ीसा में क्या हुआ ? ८० वर्षों से दृढ़ खड़े हुये दलाइघाई में दरारें पड़ गईं । पहले तो उड़ीसा का लोक निर्माण विभाग और इंजीनियर लोग उसकी देख-भाल करते थे । लेकिन, प्रधान मंत्री, की "दुग्ध और मधु" की धारा की घोषणा से लोगों में यह धारणा फैल गई कि बन्धों की सुरक्षा करता कोई आवश्यक काम नहीं है । सरकार भी इसी भ्रम की शिकार हो गई । बन्ध की मरम्मत का कोई सुझाव आया भी तो उस पर अमल नहीं की गयी । जन में उसकी मरम्मत के लिये २० लाख रुपये मांगे गये थे । यह बाढ़ से पहले की बात है । इससे सिद्ध होता है कि उड़ीसा सरकार जानती थी कि बन्ध कमजोर था । पर, अब उसके टूट जाने पर तो १ करोड़ रुपये भी उसकी मरम्मत के लिये काफी नहीं होंगे । इसीलिये, मैं कहता हूं कि अब मरम्मत का काम पहले ही कर लेना चाहिय ।

मैं यह भी कहता हूं कि तिकरापारा और नाराज में एक साथ नहीं, एक के बाद दूसरे में, काम शुरू करना चाहिये । हर नदी के पास के क्षेत्रों में वन-रोपण और भूमि संरक्षण का कार्य शुरू होना चाहिये ।

मैं उड़ीसा की ओर से केन्द्रीय सरकार और पड़ौस की राज्य सरकारों को सहाय के लिये धन्यवाद देता हूँ । केन्द्र ने फौजी दल भेज कर जो जल्द से जल्द सहायता हमें पहुँचाई है, उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हू ।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह बाढ़ नियंत्र बोर्ड को इतना प्रभावशाली और कारगर बनायें कि वह निकट भविष्य में ही इस समस्या का समाधान निकाल सके ।

श्री हाथी : मैं इस अवसर पर बीच में बोलना चाहता हूं । मैं कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर ही कुछ कहूँगा । इस दौरान उठाई गई विभिन्न बातें उसी प्रकार की हैं जिन्हें कि मेरे वारिष्ठ सहकारी ने शुरू में कहा था । हम बाढ़ की समस्याओं को कैसे सुलझायें, क्या तरीका अख्तियार करें और ये तरीके व्यावहारिक भी हैं या नहीं—यही कुछ बातें कही गई थीं । कुछ और भी बातें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कही गई थीं ।

मैं श्री त्रिपाठी द्वारा उठाये गये प्रश्नों से शुरू करता हूँ। उन्होंने यह तो सही कहा था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के जमे हुये साद की पूरी-पूरी जांच-पड़ताल के बिना, उसके दोनों ओर बन्ध बनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, यह सही है । सरकार ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जमे हुये साद की माप-जोख शुरू कर दी है । आसाम सरकार द्वारा प्रस्तावित ४०० मील

लम्बे बन्ध का काम इस माप-जोख के पूरा होने पर ही शुरू किया जायेगा । जैसा कि शुरू में कहा गया था, इन प्रस्तावों को न तो अभी स्वीकृति ही मिली है, और न उनकी पूरी जांच-पड़ताल हुई है : वे अभी प्रस्ताव भर हैं । उनको अभी पूरी तौर पर जांचा जायेगा और तब केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सामने पेश कया जायेगा : और तब, प्राविधिक रूप से खरे साबित होने पर और प्राविधिक सर्वेक्षण के बाद ही, उन्हें शुरू किया जायेगा । सलिये माननीय सदस्य के इस सुझाव पर तो विचार हो ही रहा है, पूरी जांच हो चुकने पर, वह केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड सामने आयेगा ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि नदी के आसपास के उत्तरवर्ती प्रदेश में भी दो इंजीनियरों, एक भौमिकी-विद् और एक वन-अधिकारी का दल भेजने पर विचार हो रहा है । इनकी जांच पूरी हो चुकने पर काम शुरू किया जायेगा । सभी जानते हैं कि एक सहयोजित और एकीकृत योजना के बिना, यहां-वहां अलग-थलग काम शुरू करने से कोई फायदा नहीं होगा, हां, नुकसान अवश्य हो सकता है । इसलिये, जांच पड़ताल पूरी होने पर ही यह काम शुरू किये जायेंगे ।

इसके बाद, उन्होंने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और कापली घाटी के बारे में शिकायत की थी कि वहां कोई भी बांध नहीं बांधा गया है, और योजना भी र की जा रही है । पहले भी बताया गया था कि बांध-बनाने के लिये ही बांध, या सिर्फ बाढ़ की रोक-थाम के लिये ही बांध नहीं बना दिये जाते । उस बांध में लगने वाले खर्च आदि को उससे होने वाले भावी लाभों के मुकाबिले तोला जाता है । पहले इसे देखना पड़ेगा । लेकिन, जहां तक उस विशेष योजना का सम्बन्ध है और कापली योजना का सम्बन्ध है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, निरोध-बांध के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस नदी की कुछ सहायक नदियों से सम्बन्धित जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हो सकी है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आसाम जैसे क्षेत्रों या प्रदेशों में हमें यह सावधानी रखनी पड़ती है कि जांच पड़ताल का काम पहले पूरा कर लिया जाये । किसी विशाल, या छोटे से बांध के निर्माण को शुरू करने से पहले हमें भौमिकीय जांच-पड़ताल भी कर लेनी पड़ती है । लकिन माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित नदी पर तो जांच पड़ताल का काम जारी ही है । यह जांच पड़ताल केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के निर्देशन में हो रही है । उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने यह बताया था कि वह राज्य सरकार का काम है, केन्द्र का नहीं । उनका मतलब शायद यही था कि आसाम सरकार इस तरह के काम का भार उठाने में समर्थ नहीं है । जहां भी किसी राज्य को आवश्यकता पड़ी है, केन्द्र ने सदैव ही उसे प्राविधिक और वित्तीय सहायता दी है । भारत सरकार ने सदैव ही, आसाम को ही नहीं, सभी राज्यों को धन और प्रविधि में निपुण व्यक्तियों की सहायता दी है । उन्होंने ठीक ही कहा है कि आसाम सरकार के पास प्रविधि में निपुण व्यक्तियों की कमी है । शायद केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना डिब्रगढ़ का काम पूरा न हो पाता । भारत सरकार को इसका पता है कि राज्यों में ऐसे व्यक्तियों की कमी है । वास्तव में, स्वयं भारत सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों की कमी है । पर इससे फौरी काम को पूरा करने या शुरू करने में कोई रोड़ा नहीं अटकेगा ।

कन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के निर्देशन में जांच पड़ताल जारी है, और यह चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि वित्तीय या प्राविधिक सहायता की कमी के कारण

[श्री हाथी]

आसाम में काम रुक जायेगा, साहयता दी जाती है, और दी जा रही है। नदियों, सड़कों और रेलों की जांच के लिये भी एक समिति बना दी गई है, जिससे कि एक सहयोजित प्रयास किया जाये और हमारी आवश्यकता के संरक्षणात्मक अन्य कार्यों की राह में कोई कृत्रिम बाधायें खड़ी न हो सकें।

उड़ीसा के माननीय सदस्य श्री मिश्र ने शिकायत की है कि उड़ीसा की बाढ़ें कृत्रिम थीं। श्री सारंगधर दास ने भी उस कथन का अनुमोदन किया है। शिकायत यह थी कि दलाईघाई की अच्छी तरह से देख-भाल नहीं की गई थी, उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत नहीं की गई थी। इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा कि मौजूदा बन्धों और पुलों की अच्छी तरह देख-भाल और मरम्मत की जानी चाहिये, और वैसा न करने पर नुकसान होगा। हाल की बाढ़ों में भी हमने देखा है फूटे हुये स्थानों के कारण ही बाढ़ का नुक़सान बढ़ा है। यह आम स्थापना है, इसे तो कोई भी नहीं काट सकता। बन जाने पर राज्य या केन्द्र की सरकार को उनकी पूरी देखभाल करनी ही चाहिये। उनको सुरक्षित रखना चाहिये। ऊपर से तो यही लगता है कि यह ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है और केन्द्रीय सरकार तो केवल सलाह दे सकती है। निर्देशन ही कर सकती है कि क्या होना चाहिए पर उन्हें देखने की ज़िम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही है। इस ख़ास मामले के सिलसिले में तो कहा गया है कि किसी इंजीनियर ने पहले से बता दिया था, या राय दी थी कि उस ख़ास बन्ध की उम्र ७ वर्षों की है, उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। और चूंकि उसकी मरम्मत नहीं की गई थी इसलिये वह टूट गया और उससे इतना नुक़सान हुआ था। पहले भी मुझ से मेरे मंत्रालय और संसद् के सदस्यों के एक अनौपचारिक सम्मेलन के दौरान में यही बात कही गई थी। हमने पूछताछ कर ली है। स्थिति यह है— कहीं भी कोई ऐसी चीज़ दर्ज नहीं है कि किसी इंजीनियर ने उसकी उम्र ७-८ साल की बताई हो। इसके विपरीत, १९४५ में यह बात ज़रूर दर्ज मिलती है कि बन्ध अच्छी हालत में है, और अभी वर्षों तक खड़ा रहेगा। जो भी हो, वे लोग उस निर्माण-कार्य की देख-भाल करते रहे हैं, मरम्मत करते रहे हैं। वे यह भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो भी निर्माण उसमें किया जाये वह वैज्ञानिक ढंग से किया जाये। यहां पेश किये हुये विवरण में इस खास निर्माण-कार्य के सिलसिले में उड़ीसा सरकार से प्राप्त ब्यौरे दिये गये हैं। उसमें ३१ वीं तारीख पड़ी है, पर वे बहुत पहले आ चुके थे इसका अर्थ है कि वे बाढ़ों से काफी पहले ही यहां आ चुके थे। उड़ीसा सरकार उस पर ध्यान दे रही थी। इतना ही नहीं, १९५४ में उन्होंने अपने संग्रहीत सभी तथ्य पूना गवेषणा केन्द्र में उसकी सम्मति और नमूनों के लिये भी भेज दिये थे। लेकिन वह तो प्राविधिक दृष्टिकोण की बात है कि उसे कैसे किया जायेगा। अब प्रश्न उठेगा यदि यह जानकारी उन्हें थी, तो उन्होंने क्यों इस के लिये कुछ भी नहीं किया? हमें तो यह सूचना मिली है कि उन्होंने कुछ टोकर बनवाये भी थे, और आवश्यक कार्यवाही भी पूरी की थी। वह तो एक अस्थाई चीज़ थी, और स्थाई समाधान के लिये उन्होंने यह क़दम उठाया था। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अन्तर्गत पूना गवेषणा संस्था को पूरे तथ्य भेजे थे, और उसके नमूनों के लिये संस्था से भेजा गया अनुमति खर्च का ब्यौरा भी उन्हें मिल गया। वे

अब उस काम में और आगे बढ़ रहे हैं। वही एक समाधान है, जो दीर्घकालीन समाधान होगा।

श्री सारंगधर दास : वह अस्थायी ढांचा जून के अन्त या जुलाई के आरम्भ में वह गया था।

श्री हाथी : जी नहीं। वह बह नहीं गया था। वे उसकी बराबर पूरी देख-भाल कर रहे थे और सूचना मिली है कि दूसरी सितम्बर को सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने उस बन्ध का निरीक्षण भी किया था। ५वीं तारीख को रात के २ और प्रातःकाल ५ बजे के बीच एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर ने भी उसका निरीक्षण किया था कि रात के पहरे वाले ठीक से काम कर रहे हैं, या नहीं। ५ सितम्बर को निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री ने भी बन्ध का निरीक्षण किया था। ११ गैस बत्तियों के साथ, १५० कर्मचारी वहां तैनात थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बन्ध एक ऐसी जगह से फूटा जहां उसके टूटने की कोई उम्मीद ही न थी।

श्री लोकनाथ मिश्र : यही सब से बड़ी निर्दयता है।

श्री हाथी : उड़ीसा सरकार ने यही कहा था। और यह सही है कि बांध टूट गया था। इसलिये, हम यह नहीं कह सकते कि यह आदमियों के हाथों हुआ था। उन्होंने सभी सम्भव प्रकार की समुचित सावधानी से काम किया था और उस पर भी जो कुछ हो गया वह, वास्तव में, आदमियों के किये का फल नहीं था, क्योंकि सभी बातें देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि वर्षा न हुई होती तो कुछ भी न हुआ होता लेकिन इतने पर भी, यह कहना कि यह सब उनकी लापरवाही का ही परिणाम था उनके साथ ज्यादती होगी। मैं सभा के सामने यही रखना चाहता हूं कि उसके लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराना शायद उसके प्रति ज्यादती होगी।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : क्या मेरे मान्य मित्र अपने वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन करना स्वीकार करेंगे? यदि बांध का टूटना आदमियों के काम का परिणाम नहीं था, तो कम-से-कम वह आदमियों के हाथों गलत ढंग से काम होने का परिणाम तो था, जिससे कि वह टूट गया।

एक माननीय सदस्य बुरे ढंग से काम होने का परिणाम।

श्री हाथी : इसके बाद यह बात भी कही गई थी कि महानदी के पानी की सतह ऊंची नहीं उठी थी। यह सत्य नहीं है। पानी की सतह ऊंची हो गई थी, और यही हीराकुड बांध था जिसने लगभग ढाई लाख कसेक्स पानी रोक रखा था। यदि वह बांध न होता तो महानदी में और अधिक जलराशि पहुंचती और इससे भी अधिक नाश होता तथा नदी का अनिष्टकारी प्रभाव और भी अधिक हो जाता। इस से यही परिणाम निकलता है कि बांध ने एक प्रकार से नदी की धारा के अवरोध में सहायता ही दी थी। यह सही नहीं है कि पानी की सतह ऊंची नहीं हुई थी। वास्तव में जल की सतह ऊपर आ चुकी थी और उसे रोका भी गया था। मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि जल द्वार बन चुका होता तो नदी का धारा का बढ़ाव रोका भी जा सकता। इस बांध के बन कर तैयार हो चुकने की निश्चित तिथि जुलाई १९५६ है, और कार्यक्रम के अनुसार वह बन भी जायेगा। यदि जल-द्वार बन चुके होते तो नीचे को बह आने वाले छः लाख कसेक्स जल को रोका जा सकता। इसका मतलब है कि जल-द्वार बनने पर, या बन चुकने पर, महानदी से नीचे को बहने वाले जल और आसपास के क्षेत्रों से बहकर आने वाले जल, दोनों ही का मिला कर असर उतना नहीं होगा जितना कि अभी

[श्री हाथी]

हुआ है । तात्पर्य यह है कि हीराकुड बांध उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेगा । लेकिन, यह सब इस पर भी निर्भर है कि विभिन्न निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कैसी होती है । यदि महानदी को रोक भी दिया जाये, पर उसके निचले प्रदेश और सारे निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो, तो स्वाभाविक तौर पर उसका अपना प्रभाव पड़ेगा ही । कितना प्रभाव पड़ेगा, यह इस पर निर्भर है कि निचले प्रदेशों में वर्षा कितनी होती है । इसमें सन्देह नहीं कि हीराकुड बांध उस प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करेगा, और इस वर्ष भी उसने लगभग ढाई लाख कसेक्स जल को नीचे बहने से रोक कर एक सीमा तक उसकी सुरक्षा की है ।

अब मैं वन-रोपण का प्रश्न लेता हूं । निस्सन्देह, यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है और वास्तव में इस उपाय से साद (रेत, गारे, मिट्टी, आदि) इकट्ठा होना रुक सकेगा । इसे तो करना ही पड़ेगा । हम उसके लिये कदम उठा रहे हैं । उड़ीसा सरकार ने एक अग्रिम परियोजना तैयार भी की है, और भूमि संरक्षण मंडल उसके सिलसिले में कदम उठा रहा है । सभी निकटवर्ती क्षेत्रों में, वास्तव में, जलाशय से सुरक्षित रहने की अवधि बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि वन-रोपण के लिये उपाय किये जायें । उस के न करन का तो प्रश्न ही नहीं उठता उसे तो करना ही है और किया भी जा रहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या उस परियोजना को स्वीकृति भी मिल चुकी है ?

श्री हाथी : उस परियोजना पर अब आयोजना आयोग विचार कर रहा है ।

एक बात और कही गई थी कि विभिन्न मंत्रालयों—रेलवे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सिचाई मंत्रालय, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय—के काम में आपस में समायोजन होना चाहिये, क्योंकि ऐसा न होने पर ही कई स्थानों पर रेलवे द्वारा बनाये गये पुल नदी के सरल बहाव में अड़चन पैदा करते हैं । इसीलिये, हमारे बनाये हुये केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड और नदी-आयोगों में भी रेलवे मंत्रालय, कृषि-मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, और सभी परियोजनायें रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों के समायोजन एवं सहयोग से बनाई जाती हैं । उनके और राज्यों के भी प्रतिनिधि केन्द्रीय बोर्ड में मौजूद हैं । केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड में राज्य-नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व भी है और केन्द्र में, विभिन्न राज्यों तथा मंत्रालयों में पूर्ण समायोजन के साथ काम होता है । इसीलिये, कोई एक परियोजना, या किसी एक मन्त्रालय द्वारा आरम्भ किया गया कोई विशेष निर्माण-काय कभी भी किसी दूसरे मंत्रालय द्वारा उठाये गये अन्य कार्य में अड़चन नहीं डालेगा और न उस पर उसका कोई हानिकारक प्रभाव ही पड़ेगा । एक प्रकार से यह आवश्यक भी है; नहीं तो प्रायः यह होता है कि कम संख्या में पुलियां बनवाने से, या सतह की रेखा बनाये रखने के लिये एक खास स्तर पर कोई सड़क बनवाने से, नदी के जल का नीचे को होने वाला बहाव रुक जाता है और लाभ की जगह उससे हानि का अन्देशा हो जाता है । इसीलिये, समायोजन आवश्यक है । इसे ध्यान में रखा गया है । केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड में इन मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

सभापति महोदय : ३ बज कर ३० मिनट हो चुके हैं । यदि माननीय उप मंत्री अपना भाषण कुछ समय तक और जारी रखना चाहते हैं; तो वे कल जारी रखें; अन्यथा

मैं मान लूंगा कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ।

श्री हाथी : मेरा विचार है कि मैं कल और कुछ समय तक बोलूंगा ।

सभापति महोदय : ठीक है : वे कल जारी रख सकते हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह आज ही रात में सदस्यों के पास अपने भाषण की प्रतियां भेज दें ।

श्री नन्दा : यह मेरा काम नहीं है । मेरा भाषण लोक सभा सचिवालय के पास रहेगा ।

सभापति महोदय : अनुरोध बिल्कुल उचित है । मुझे आशा है कि सदस्यों को माननीय मंत्री के भाषण की प्रतियां मिल जायेंगी ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा अनुरोध है कि कल का सारा दिन इसी चर्चा के लिये रखा जाये ।

सभापति महोदय : यह अध्यक्ष-पद के अधिकार से बाहर है । सभा ने इस विषय पर चर्चा के लिये कुल पांच घंटों की अवधि नियत की है ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है । आज तो केवल पांच सदस्य ही बोल पाये हैं । और....

सभापति महोदय : यह तो कार्य मंत्रणा समिति ने निर्धारित किया था । कार्य मंत्रणा समिति ही को यह पहले से सोचना चाहिये था कि इस विषय पर बहुत ही अधिक बोलने वाले होंगे ।

श्री अलगु राय शास्त्री (ज़िला आजम गढ़ पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : मैं भी श्री शिब्बनलाल सक्सेना जी के इस अनुरोध में अपनी आवाज़ मिलाता हूं । कल ग़ैर सरकारी दिन है, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

एक माननीय सदस्य : कल गुरुवार है ।

रेलवे परिवहन की स्थिति

सभापति महोदय : अब सभा रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा शुरु करेगी । इसके लिये दो घंटे दिये गये हैं । मेरे पास कई चिट आये हैं : लगभग दस । सभी सदस्यों को समय देना है । इसलिये, मैं चर्चा का सूत्रपात करने वाले माननीय सदस्य से केवल पन्द्रह मिनटों तक ही बोलने का अनुरोध करूंगा ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना—पश्चिम) : मैं कुछ अधिक समय देने का अनुरोध करूंगा ।

सभापति महोदय : केवल दो घंटों का ही समय है । दस सदस्यों ने चिट भेजे हैं । अन्य सदस्यों के समय को तो मैं सिर्फ पांच से दस मिनट तक ही सीमित कर रहा हूं, आप को तो मैं दस से पन्द्रह मिनट तक का समय दे रहा हूं ।

श्री तुलसीदास : मैं जिन सारी बातों को सभा के सामने रखना चाहता हूं उन सब को पन्द्रह मिनटों में कहना सम्भव नहीं होगा । यदि मुझे कम-से-कम पैंतालीस मिनट ही मिल सकें, तो अच्छा हो । मैं पैंतालीस मिनट चाहता था । यदि आप

[श्री तुलसीदास]

चाहें तो कृपया सारी चर्चा की अवधि को और आधे घण्टे के लिये बढ़ा दें ।

सभापति महोदय : सभा ५ बज कर ३० मिनट के निर्धारित समय के बाद नहीं बैठेगी । यदि सभा राजी हो, तो दूसरी बात है । आरम्भ में बोलने वाले के अतिरिक्त सभी बोलने वाले अन्य सदस्यों के लिये मैं पांच से दस मिनटों तक की अवधि निश्चित करता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : आरम्भ में बोलने वाले माननीय सदस्य को बीस मिनट दे दिये जायें ।

सभापति महोदय : अच्छी बात । उन्हें बीस मिनट दिये जाते हैं ।

श्री टी० बी० बिट्टल राव (खम्मम्) : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह तो सदस्यों के भाषणों पर निर्भर है ।

सभापति महोदय : इसका कुछ अनुमान बता दिया जाये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : बीस से तीस मिनटों तक, आध घन्टा समझ लीजिये ।

श्री तुलसीदास : श्रीमान्, जैसा कि आप को मालूम ही है परिवहन हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । कुछ महीनों से मेरे पास बराबर इस सम्बन्ध में शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय रेलें कृषि और उद्योग क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई समस्त वस्तुओं को ढोने में असमर्थ हैं । इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था दृढ़ नहीं हो पा रही है ।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि रेलवे मंत्रालय ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई ४०० करोड़ रुपये की राशि को योजना अवधि में ही खर्च कर के दिखा दिया है । मैं जानता हूं कि रेलें अपना पूरा सामान नहीं प्राप्त कर सकी हैं । इसका कारण इस्पात की कमी और बाहर से अन्य सामान प्राप्त करने में असुविधायें हैं ।

फिर भी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कि कृषि और उद्योग क्षेत्रों में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है रेलों की यातायात सामर्थ्य केवल ३ या ४ प्रतिशत बढ़ी है । इसका परिणाम यह हुआ है कि माल के लाने ले जाने में कठिनाई बनी रही है । हो सकता है रेलवे मंत्रालय यह कहे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते समय अय मंत्रालयों ने उससे सलाह नहीं ली और इसीलिये जब कि कृषि और उद्योग क्षेत्रों में उन्नति हुई है रेलें कोई उन्नति नहीं कर सकी हैं । मेरा निवेदन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये तथा रेलवे मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों में समचित समन्वय र । योजना आयोग को विशेषकर इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

कुछ भी हो यह तो कहा ही जायेगा कि रेलों ने काफी सामान ढोया है । पहले से तैयार न रहने पर भी उन्होंने कृषि और उद्योग क्षेत्रों को काफी सहायता पहुंचाई है । लेकिन जितनी सहायता हम चाहते थे इतनी नहीं मिली । चीनी का उत्पादन ही ले लीजिये । चीनी का उत्पादन १६ लाख टन तक पहुंच गया है और अधिकतर चीनी लारियों द्वारा लाई ले जाई गई है । रेलों ने चीनी मिलों

तक केवल ३० प्रतिशत गन्ना पहुंचाया है जब कि शेष गाड़ियों आदि में ढोया गया है। इन बातों से पता लगता है कि रेलों से हमें इतनी सहायता नहीं मिली जितनी हम उनसे आशा करते थे।

बड़े बड़े उद्योगों को छोड़ भी दिया जाय तो भी यह बात कुटीर-उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में भी ठीक नहीं बैठती। किसान को अपना अनाज भेजने के लिये डिब्बे नहीं मिलते छोटे उद्योग वाले डिब्बों के लिये अपना नाम पंजीबद्ध ही नहीं करा पाते हैं। महीनों में कहीं एक बार माल का बुकिंग खुलता है इससे व्यापारियों या किसानों आदि सभी को कठिनाई उठानी पड़ती है। डिब्बों की कमी और माल का बुकिंग बन्द कर देने से उत्पादकों, उपभोक्ताओं सभी को परेशान होना पड़ता है।

यह तो प्रश्न का एक पहलू हुआ। छोटे पैमाने के उद्योगों के सिलसिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बढ़ती सोची गई थी वह इस प्रकार है: अनाजों में १५ से २० प्रतिशत, कच्चे लोहे और अन्य उद्योगों में ३०० प्रतिशत। रेलवे में इंजन तथा डिब्बों में किस हद तक बढ़ती की जायेगी इसका विवरण अभी मालूम नहीं है। अनुमान यह है कि द्वितीय योजना में उत्पादन की वृद्धि के कारण रेलों को पहले से ५० प्रतिशत माल और अधिक ढोना पड़ेगा। इसके अलावा, मैं बताना चाहता हूं कि नये उद्योगों के स्थापित होने के दौरान में, रेलों को शुरू में आयात की हुई मशीनों और कच्चा माल भी ढोना पड़ेगा। यदि हमें अपने निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो परिवहन की यह सुविधा पैदा करनी ही होगी। रेलों की क्षमता भी बढ़ानी ही पड़ेगी।

हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही हैं। रेलवे मंत्री अपने विभाग के लिये १५०० करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाने की मांग कर रहे हैं। पर, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उससे भी देश की परिवहन की समस्या नहीं सुलझेगी मैं बता चुका हूं कि जब तक कि परिवहन के सभी साधनों के लिये एक सहयोजित आयोजना नहीं की जाती, और उन सभी के लिये एक एकीकृत योजना नहीं बनाई जाती, तब तक पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिये सड़क परिवहन, अन्दरूनी जल-मार्गों, तटीय नौवहन आदि की क्या हालत है? रेलों पर पहली योजना में ४०० करोड़ और दूसरी योजना में १५०० करोड़ खर्च किये जा रहे हैं। पर परिवहन के इन साधनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दूसरे देशों में क्या होता है? अमेरिका में सिर्फ १५-२० प्रतिशत माल रेलों से ढोया जाता है, बाकी ८०-८५ प्रतिशत दूसरे साधनों से। हम अपने देश में पूरी तौर पर रेलों पर ही निर्भर हैं। विदेशी सरकार ने तो यही चाहा था, और इसी तरह देश की व्यवस्था की थी, परिवहन के अन्य साधनों को प्रोत्साहन ही नहीं दिया था। लेकिन हमने उसे प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया है? मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री परिवहन के प्रश्न को पूरे देश का प्रश्न समझें। सड़क परिवहन के बारे में हर राज्य के अपने अपने अलग-अलग हित हैं। परन्तु पूरे देश की आवश्यकताओं को देख कर ही कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये, कुछ राज्यों के हितों को देख कर नहीं। तमाम राज्यों ने मोटरों के चलने पर टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा, कई राज्य तो २-३ महीनों तक लाइसेंस देने तक के लिये तैयार नहीं हैं। रेलवे मंत्रालय को चाहिये

[श्री तुलसीदास]

कि इन सभी प्रश्नों पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करे ।

रेलों के कर्मचारियों के वेतन इससे निश्चित होने चाहियें कि सफर और माल लाने ले जाने के लिये जनता कितना अदा करती है । दूसरे देशों में अधिक से अधिक दर वही है जो कि जनता बर्दाश्त कर सकती है । दूसरी चीज यह है कि परिवहन को उसके और साधनों में भी फैलाना चाहिये । यदि देश में निकलने वाला पूरा ३६० लाख टन कोयला रेलें ही ढोयें, तो रेलों की उतनी क्षमता ही नहीं है । इसलिये कोयले को जहाज़ी कम्पनियां ढो सकती हैं । खर्च रेलवे बर्दाश्त कर सकती है । एक जगह यदि दरों में बढ़ती भी होती है, तो सरकार दूसरे साधनों में उसकी पूर्ति कर सकती है ।

रेलवे मंत्रालय से मेरा अनुरोध यही है कि देश में परिवहन की उन्नति के लिये रेलवे मंत्रालय को परिवहन के सभी साधनों की सहयोजना का काम हाथ में लेना पड़ेगा पूरे देश की आवश्यकताओं को देखते हुये कार्यक्रम बनाना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय योजना आयोग को भी यह सुझाव देंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : मुझसे पहले बोलने वाले सज्जन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या उठाई है । सभा को उस पर पूरा विचार करना चाहिये ।

उन्होंने योजना में रेलों के लिये कम धनराशि के आवंटन की शिकायत की है । बात सही है । ज्यादा मिलना चाहिये । पर मुझे भय यह है कि जब जब अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तब-तब पैसे वाले और उद्योगपति लोग चिल्लाहट मचाने लगते हैं कि उनका व्यापार गिर रहा है, मंदी है, रुपया नहीं है, आदि आदि । जब-जब आप अपनी योजना को अमली जामा पहिनाने लगते हैं, यही लोग आपत्ति करते हैं । ऐसे बहानों से क्या लाभ होगा ? मैं जानता हूं कि इस सभा के रूढ़िपंथी लोग आधुनिक ढंग के बजट बनाने का विरोध करेंगे । यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था या विकास कार्यों पर अधिक परिमाण में खर्च किया जाये, ज्यादा कर लगाये जायें, मुनाफे कम किये जायें तो उद्योगपति सहयोग करने लगेंगे तब कैसे आगे बढ़ा जाये ? मैं श्री तुलसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे और उनके साथी इसमें प्राणपन से लगेंगे । यदि वे कहते हैं हां, तो ठीक है ।

रेलवे मंत्री की काफ़ी प्रशंसा की गई है । मैं भूतपूर्व रेलवे मंत्री की भी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने भी युद्ध के बाद की कठिन परिस्थिति में रेलवे को पैरों पर खड़ा किया था । इसी प्रकार १९५२-५३ के बाद भी परिस्थिति शोचनीय थी । उसको भी सुधारा गया है । लगभग दो वर्षों में डिब्बों की स्थिति में ७ प्रतिशत सुधार किया गया है और अधिक होना चाहिये । पर उसके लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ेगी । क्या हमारे मित्र उसका समर्थन करेंगे ?

एक और बड़ी गम्भीर चीज़ है । उसका सारा उत्तरदायित्व व्यापार और उद्योग में लगे हुये लोगों पर है । वह है—माल के डिब्बों का काला बाजार । रेलवे की भाषा में उसे "माल के डिब्बों का झूठा व्यादेश" कहा जाता है । लोग बहुत पहले ही डिब्बे संरक्षित करा लेते हैं, और ऐन वक्त पर उस रद्द करवा देते हैं ।

श्री तुलसीदास : यह नहीं होता ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं । मैं एक उदाहरण दूंगा । सौराष्ट्र में ४०० डिब्बे मांगे गये थे, और संरक्षित होने के बाद सभी रद्द कर दिये गये थे । यह कृत्रिम रूप से डिब्बों का अभाव पैदा करना है । सोवियत रूस में ऐसा करने पर गोली से उड़ा दिया जाता है । पर यहां हम कुछ नहीं करते । मैं रेलवे मंत्रालय से पंजीयन की फीस रखन के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध करूंगा । इससे देश को नुकसान होता है । इसे रोकना चाहिये ।

दूसरी चीज़ है——माल को दूर-दूर के स्थानों तक ले जाना, देहली से पेप्सू न भेज कर, उसे देहली में मौजूद होने पर भी कलकत्ते से पेप्सू भेजना । इसके लिये नियम बनाना चाहिये । इसका भार ख़रीदने वाले पर पड़ता है । जब पास के स्थानों से चीज़ मिल सकती है, तो उसे दूर से मंगाने वालों पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, यह ज़रूरी है ।

मैं जिस एक अन्य समिति में हूं, उसमें हम यह जानना चाहते हैं कि किसी माल की क़ीमत किसी ख़ास स्थान पर उस पर ख़र्च हुये रेल के भाड़े से तय होती है या किसी और बात से । यदि डिब्बों के इस प्रकार संरक्षित करा लेने से कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है और माल को एक खास दिशा में जाने से रोक दिया जाता है, तो उस खास स्थान पर उस माल की कीमतें चढ़ और गिर सकती हैं । कीमतों में यह चालबाज़ी आम ख़रीददार और देश को हानि पहुंचा कर की जाती है । इसे दूर करने में सभी को रेलवे मंत्रालय और सरकार को पूरी मदद देनी चाहिये ।

मैं एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । हमारे मित्र ने अभी कहा है कि उत्पादन में ३० से ४० प्रतिशत की बढ़ती हुई है । वह सब गई कहां ? मेरा ख्याल है कि जनसंख्या बढ़ गई है । शायद यही कारण हो । कुछ दिन पहले ही मैं ने सुना था कि देश में मंदी है । सभी कहते थे कि देश में मंदी है । और अब एकाएक कहा जाता है कि ४० प्रतिशत बढ़ती हुई है । मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े कहां से प्राप्त किये गये हैं ।

श्री तुलसीदास : ये आंकड़े किसी और ने नहीं स्वयं सरकार ने दिये हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : उन आंकड़ों का गलत अर्थ निकाला गया है । भारत में विशिष्ट उद्योगों के देशनांक तो हैं परन्तु अपने यहां के सब उद्योगों के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े नहीं हैं ।

श्री तुलसीदास : यह पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह : उसे मैं ने भी देखा है, और मैं समझता हूं कि मैं अधिक जानता हूं । अगर आप यह कहें कि किसी इस उद्योग में १० प्रतिशत, उसमें १५ प्रतिशत, या जो भी आंकड़े हों, वृद्धि हुई है, तो यह बात समझ में आती है । लेकिन यह कहना बहुत ग़लत होगा कि सभी उद्योगों और कुल उत्पादन में आम वृद्धि हुई, और यह अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी के विज्ञान के भी विरुद्ध है ।

इसके साथ मैं यह भी आग्रह करूंगा कि हमें इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । अगर हम रेलों में पूरे रूप में वृद्धि करने का ही निश्चय करें, जैसा कि हममें से कुछ चाहते हैं, तो हमें उसके लिये धन देना चाहिये और साथ ही यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि धांधली न हो सके और धांधली करने वालों को यहाँ तथा बाहर की जनता के समर्थन से कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये ।

श्री नेवटिया (ज़िला शाहजहांपुर--उत्तर तथा खेरी--पूर्व) : पिछले पांच वर्षों में रेलों में विकास का कार्य जिस सुन्दर ढंग से किया है, उसके लिये श्री तुलसीदास के साथ में भी उनकी सराहना करूंगा । युद्ध के बाद रेलों की जो दशा थी, उससे हम सभी परिचित हैं--सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी । जो डिब्बे और इंजन अपनी उम्र पूरी कर चुके थे, उनके फिर से कार्य योग्य बनाये जाने की दिशा में महान कार्य हुआ है । अगर इस काल में कुछ कमियां रहीं भी हैं तो वे उस युद्ध की विरासत के कारण, जिसमें हमारे विदेशी शासकों ने साज-सामान को ठीक ढंग से रखने की चिन्ता नहीं की । अब रेलों की दशा बहुत हद तक सुस्थिर स्थिति तक पहुंच गई है । लेकिन यह भी सच है कि परिवहन व्यवस्था के लिये विभिन्न भागों में कमियां रह गयी हैं । मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमें केवल समूची स्थिति को ही नहीं देखना है, वरन् ऐसे स्थानों को भी देखना है जहां की स्थिति अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक विषम है । उदाहरण के लिये सौराष्ट्र को ही लीजिये । वहां सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता । इसकी शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये । अन्य प्रदेशों में भी, विशेषरूप से छोटी लाइन पर सामान बिल्कुल रुक जाता है । इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे छोटी लाइन पर विशेष ध्यान दें ।

रेलवे के विभिन्न प्रदेशों (ज़ोन) के बीच समन्वय भी आवश्यक है । मैं समझता हूं कि जब तक यह नहीं होगा तब तक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो सकता । अगर समन्वय अधिक हो तो वैगन भी अधिक मिल सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि इससे सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । लेकिन ये कठिनाइयां कम से कम उचित अनुपात में विभिन्न भागों में बंट तो जायेंगी ।

मैं श्री तुलसीदास की इस बात से भी सहमत हूं कि सड़कों द्वारा परिवहन की व्यवस्था को भी बड़ी सीमा तक बढ़ाना होगा क्योंकि रेलें अकेले ही सारा बोझा नहीं ढो सकतीं । मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्री इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ।

सामान लाने ले जाने की व्यवस्था किये बिना औद्योगिक विकास की बात व्यर्थ है । वास्तव में परिवहन की व्यवस्था तो वास्तविक विकास कार्य शुरू होने के पहले ही करनी चाहिये ।

देश में इस समय अनेक पिछड़े हुये क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र इसीलिये पिछड़े हुये हैं कि वहां इस समय रेलें नहीं हैं । परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण वे उद्योगों को भी आकर्षित नहीं कर सकते । लेकिन इन पिछड़े हुये क्षेत्रों को हमेशा पिछड़े हुआ नहीं रहने देना है और मुझे आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देंगे । ताकि वहां उद्योगों की स्थापना के पहले ही रेलों की व्यवस्था हो जाय । मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ किया जायगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : रेलवे मंत्री ने देशवासियों के मन में यह आशा जाग्रित कर दी है कि रेलवे परिवहन समस्या उचित ढंग से सुलझायी जायेगी और इसके लिये अपने पूर्व वक्ताओं के साथ मैं भी उन्हें बधाई देता हूं । यह सभी जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा था । लेकिन उसके बाद से कार्य किये गये हैं और स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

परन्तु मैं उन लोगों के साथ भी सहमत हूं जो यह कहते हैं कि देश में परिवहन की

समस्या के हर पहलू पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया । अगर यह हुआ होता, तो मैं समझता हूं कि सरकार को बाध्य होकर कुछ अन्य क़दम उठाने पड़ते ; उदाहरण के लिये, वे क़दम जिनका श्री तुलसीदास ने सुझाव दिया है ।

मैं श्री तुलसीदास की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि केवल रेलों द्वारा ही देश की परिवहन समस्या कभी नहीं सुलझायी जा सकती । इसके लिये समन्वय के सभी कारकों पर विचार करना पड़ेगा । जल परिवहन इन्हीं में से एक है । हमारे देश में दुर्भाग्यवश जल परिवहन की अवहेलना की गयी है । कुछ विदेशी कम्पनियों ने इस पर एकाधिकार कर रखा है जो जो थोड़ी थोड़ी दूरियों के लिये भी रेलों से कहीं अधिक किराया लेती है ; जबकि विश्व के अन्य भागों में सभी जगह जल–परिवहन का किराया रेलों से कम हुआ करता है । इस अनियमितता के लिये कोई उत्तर नहीं दिया गया । जब मंत्री महोदय आसाम गये, तो उन्होंने रातों रात किराये की दर में कमी की घोषणा कर दी । लेकिन बाद में पता लगा कि मंत्री जी जहां जहां गये केवल वहीं किराया कम किया गया । दूसरे घाटों पर बिल्कुल कमी नहीं हुई ।

श्री जयपाल सिंह : उन्हें फिर वहां ले जाइये ।

श्री एस० एस० मोरे : मंत्री जी को जहां संभव हो ले जाइये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : उस समय यह संभव नहीं था ।

मंत्री महोदय ने भाड़े की दरों की जांच के लिये एक जांच--बोर्ड की स्थापना करने की कृपा की था । लेकिन दुर्भाग्यवश वह बोर्ड भाड़े में कमी करने में कभी सफल नहीं हुआ क्योंकि विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह भाड़े में कमी के लिए सरकारी कम्पनियां अथवा निजी कम्पनियां स्थापित करा कर कोई दूसरी व्यवस्था कर दें ।

मैं इस बात की ओर भी संकेत करना चाहता हूं कि स्टीमर भारत में नहीं बनते । इस समय केवल समुद्रों पर जाने वाले स्टीमर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और देश के भीतर चलने वाले स्टीमरों की दशा में कुछ भी नहीं हुआ है ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जल–परिवहन का विकास करना है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय वैकल्पिक कम्पनियों की स्थापना, भारत में स्टीमरों के निर्माण की व्यवस्था तथा साधारण नाव के यंत्रीकरण की व्यवस्था कर इस दिशा में क़दम उठायेंगे ।

तीसरी बात जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया, सड़क परिवहन के विकास की थी । यहां मैं माननीय सदस्य की राय से सहमत नहीं हूं और मैं नहीं समझता कि सड़क परिवहन जल अथवा रेल परिवहन से सस्ता हो सकता है । हमारा देश निर्धन है और हमें परिवहन के लिए केवल दो व्यवस्थाओं––जल-परिवहन और रेलों पर ही ध्यान केन्द्रित करना है । मैं यह सिद्ध करने के लिए केवल एक उदाहरण ही दूंगा कि हमारे देश में सड़क परिवहन सस्ता नहीं है । मेरे यहां १०० मील जाने के लिए रेल से २॥) या २॥।) देने पड़ते हैं जबकि बस से इतनी ही दूर की यात्रा के लिए लगभग ७॥) रुपये देने पड़ते हैं । स्पष्ट है कि सड़क परिवहन इसी लिए बहुत मंहगा है ।

मैं मानता हूं कि इसके मंहगा होने के कुछ कारण हैं किन्तु हम शीघ्र ही

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

इन कारणों को दूर नहीं करेंगे। इसलिए हमें सड़क परिवहन के विस्तार के साथ रेल परिवहन और जल परिवहन के विकास भी अधिक जोर देना चाहिये।

पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि योजना विधि में आसाम और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे का बिल्कुल विस्तार नहीं हुआ है, जबकि विकसित क्षेत्रों में काफ़ी विस्तार हुआ है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

विभाजन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आसाम की परिवहन की प्रणाली पर पड़ा है क्योंकि यह राज्य शेष भारत से कट गया है और यहां केवल एक ही रेलवे है जो वर्ष में केवल तीन मास काम करती है। एकाधिकारी विदेशियों द्वारा जो परिवहन किया जाता है वह पहले तो स्वयं उनके हित के लिये और उसके बाद देशी हितों के लिये होता है। इस ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया था, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया।

परिवहन सुविधाओं से समस्त देश को समान लाभ प्राप्त होना चाहिये परन्तु चाय बागानों के विदेशी मालिकों को इसका अधिक लाभ प्राप्त होता है और पटसन उगाने वाले देशी व्यापारियों को वह लाभ प्राप्त नहीं होता है। परिणामस्वरूप छः महीने से पटसन संबंधी २--३ करोड़ रूपया आसाम में रुका पड़ा है। जबकि विदेशी समवायों ने, जो लोकमत की भी परवाह नहीं करते हैं, चाय के परिवहन के लिये सुविधायें बढ़ा दी हैं, तो क्या कारण है कि पटसन समवायों को भी वैसी ही सुविधायें क्यों प्रदान नहीं की जाती हैं? यदि यह गैर-सरकारी समवाय सबको समान सुविधायें प्रदान नहीं कर सकते हैं तो सरकार को चाहिये कि उनको समाप्त कर दे, या उनका प्रबन्ध बदल दे, या उनको अपने हाथों में ले ले।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने गोदाम बनाने के लिये एक विदेशी सार्थ को एकाधिकार रखा है। क्योंकि इस फ़र्म को पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए इसने भाड़ बढ़ा दिये हैं। गोदाम में रखने का काम बहुत कठिन और पेचीदा नहीं है और इसे भारतीय भी बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। कुछ भारतीयों ने अपने खर्च पर अधिक अच्छे गोदाम बनाने की अनुमति मांगी थी तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार से हमें ऐसी आशा कदापि नहीं थी। हमारी सरकार को सब से पहले देश और देशवासियों की भलाई का विचार करना चाहिये, और बाद में विदेशियों का और तभी देश उन्नति कर सकता है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : रेलवे परिवहन आज संकटावस्था में है। इससे निकलने के लिये पहले किये गये पुनर्वर्गीकरण पर फिर से विचार करना होगा। ६००० मील लम्बी दक्षिणी रेलवे का मद्रास में बैठ कर नियंत्रण अच्छी तरह नहीं किया जा सकता है। आजकल मालगाड़ी का डिब्बा मिलना पहले की अपेक्षा बहुत कठिन हो गया है। इस पुनर्वर्गीकरण पर बड़ी गम्भीरता के साथ पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

वर्कशापों और लोको शेड में उत्पादन के आंकड़े भले ही अधिक मालूम हों, परन्तु किया गया काम बहुत रद्दी होता है। इसलिये अधिक अच्छा काम करवाने की से इन शेडों और वर्कशापों की उन्नति की जानी चाहिये।

रेल पथों के बारे में मुझे सब से अधिक शिकायत है। इंजीनियर न ठीक हिसाब

किताब रखते हैं और न ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं । शोरनूर—नीलाम्बूर लाइन के फिर से बिछाये जाने में इंजीनियरों के उत्तरदायित्वविहीन कार्यकरण से कई दुर्घटनायें हो गई हैं और बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है । इस प्रकार के और भी उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

रेलवे कर्मचारियों के हार्दिक सहयोग के बिना रेलवे परिवहन में कोई उन्नति होना सम्भव नहीं है । रेलवे मंत्री न केवल रेलवे परिवहन की उन्नति में दिलचस्पी रखते हैं अपितु कार्मिक संघों के आन्तरिक कार्यकरण में भी हस्तक्षेप करते हैं । अभी हाल ही में एक विवाद के सम्बन्ध में उन्होंने नैशनल फैडरेशन आफ़ इण्डियन रेलवेमैन के सभापति श्री बसावडा को बुला कर एक समझौता किया जिस के परिणामस्वरुप श्री बसावडा ने कर्मकरों के हितों की उपेक्षा करके न्यायाधिकरण से सब विवाद वापिस ले लिये । मंत्री या अधिकारी इतनी बड़ी रेलवे प्रणाली को नहीं चलाते हैं बल्कि दस लाख रेलवे कर्मचारी उसे चलाते हैं । किन्तु मंत्री महोदय कार्मिक संघों के मामलों में हस्तक्षेप करके असन्तोष उत्पन्न कर देते हैं । इस के कारण सभी क्षेत्रों में उत्पादन कम हो गया है और रेलवे प्रणाली में संकट उत्पन्न हो जाने का यही मुख्य कारण है । जब तक रेलवे कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता और जब तक मंत्री महोदय कार्मिक संघों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द नहीं करते इस स्थिति में सुधार होने की कोई आशा नहीं है । रेलवे मंत्री और प्रभारी अधिकारियों को राजनैतिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिये । यदि वे ऐसा ही करते रहेंगे तो कर्मकरों का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है और स्थिति अधिक बिगड़ती जायेगी । इसलिये मंत्री महोदय को इन सब बातों और सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और स्थिति में सुधार करना चाहिये ताकि सब कर्मचारी प्रसन्न होकर रेलवे परिवहन प्रणाली में उन्नति करने के लिये भरसक प्रयत्न करें ।

श्री ए० एम० थामस : श्री नम्बियार ने रेलवे में जिस सामान्य संकट का उल्लेख किया है वह उनके अपने कार्मिक संघ के संकट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

रेलवे के संचालन की अड़चनों को दूर करने और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता के महत्व के बारे में सभा की जागरूकता को देख कर प्रसन्नता होती है । औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में अवश्य वृद्धि हुई है, परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि रेलवे की सहायता न मिली होती तो इतना उत्पादन होना सम्भव नहीं था । श्री तुलसीदास जैसे उद्योगपति की उत्सुकता को माना जा सकता है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि समस्त स्थिति में सामान्य सुधार अवश्य हुआ है ।

हमें मांग की अपेक्षा संभरण की कमी होने की अवस्था में माल डिब्बे आवंटन करते समय प्राथमिकता के नियमों का ध्यान रखना चाहिये और दूसरे हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उनकी पूर्ति में कुछ समय अवश्य लगेगा और वह साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होगा । सामान और विशेषकर लोहा और इस्पात की अनुपलब्धि के कारण योजनाओं की कार्यान्विति में विलम्ब हो जाना अवश्यम्भावी है, अतः हमें अनावश्यक रूप से मंत्रालय को दोष देना उचित नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह सभा को उस वास्तविक स्थिति से, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उन की है, परिचित करा दें ।

[श्री ए० एम० थामस]

राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में श्री टी० टी० कृष्णमाचार्य के द्वारा दिये गये इस वक्तव्य का, "कि विकास योजनाओं में रेल और सड़क परिवहन की दो बड़ी समस्यायें हैं और रेलवे के माल ढो सकने की स्थिति में न हो सकने में नवीन फैक्टरियों के चलाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।" **वाणिज्य और उद्योग पत्रिका** के पृष्ठ १४५१ पर उल्लेख किया गया है। मैं आशा करता हूं कि न केवल रेलवे मंत्रालय अपितु सभी मंत्रालय इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखेंगे।

आत्मनिर्भरता लाने के लिये प्रति वर्ष १०० के स्थान पर ४०० इंजन, ७००० के स्थान पर २०००० माल डिब्बे और ८०० के स्थान पर २००० यात्री डिब्बों का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह लक्ष्य किस प्रकार पूरा किया जायेगा। मंत्री महोदय ने गैर-सरकारी क्षेत्र पर माल डिब्बे बनाने का काम छोड़ दिया है, परन्तु केवल गैर-सरकारी क्षेत्र पर इतने अधिक उत्पादन के लिये कैसे निर्भर रहा जा सकता है? यह असम्भव है, राज्य को अवश्य इसमें हाथ बंटाना होगा।

यात्री डिब्बों के निर्माण के बारे में भी लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? पेराम्बूर में केवल २०० डिब्बे बन सकते हैं, फिर शेष ६०० यात्री डिब्बे कहां बनाये जायेंगे! मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उनकी जो योजनायें हैं, अपने उत्तर में उनका पूर्ण विवरण देने की कृपा करेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : रेलवे विभाग सब से अधिक खर्च करने वाला और सब से अधिक कमाने वाला तथा सब से बड़ा विभाग है, तो भी इस में केवल एक ही मंत्री है। उनके साथ चार उपमंत्री या राज्य मंत्री होने चाहियें। इतने विशाल देश और इतने बड़े विभाग का नियंत्रण करने में कुछ और उत्तरदायी व्यक्तियों को उनका सहकारी बनाया जाना चाहिये।

हम प्रतिदिन देखते हैं कि हजारों डिब्बे बेकार पड़े रहते हैं, और हजारों बुरी दशा में हैं और हजारों स्टेशनों पर खड़े हैं। यही तो बड़ी अड़चन है।

अधिक वेतन भोगी और कम काम करने वाले रेलवे कर्मचारी ही इन गतिरोधों को उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी हैं। बड़ी लाइनों के माल डिब्बों की प्रति घण्टा गति प्रति वर्ष कम होती जा रही है, हालांकि बढ़िया प्रकार के इंजन भी चलने लग गये हैं। यही हालत छोटी लाइन की है। हमें देखना चाहिये कि यह सब क्यों हो रहा है। शंटिंग इंजनों का काम अत्यधिक बढ़ गया है। इस मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है। नीमच से अजमेर तक मालगाड़ी जाने में अब पहले की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जब कि वर्तमान इंजिन पहले वाले इंजनों से कहीं बढ़िया हैं।

छोटे माल के यातायात के परिमाण में जो इतनी अधिक कमी हो रही है, इसका क्या कारण है? छोटा माल या तो बुक नहीं किया जाता है या बहुत देर तक वहीं प्लेटफार्म पर पड़ा रहता है। और बहुत देर बाद अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच पाता है। क्या यह उन्नति और कुशलता का द्योतक है कि एक पार्सल को १६७ मील जाने में ४० दिन लगें?

श्री टी० एन० सिंह ने झूठे पंजीयन के बारे में कहा है। परन्तु वास्तव में वह इस स्थिति से अपरिचित मालूम होते हैं।

मुझे मालूम है कि गोला गोकरण नाथ के एक मिल को जून, १९५० में १५० माल डिब्बों के पंजीयन क बावजूद केवल नौ डिब्बे दिये गये थे । इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जब कि बहुत कम डिब्बे दिये गये हैं । यह झूठे पंजीयन का कोई प्रश्न ही नहीं है । माननीय मंत्री को अपने कर्मचारियों की गतिविधियों की सतर्कतापूर्वक जाँच पड़ताल करनी चाहिये । कुछ कर्मचारी ईमानदार भी हो सकते हैं । परन्तु हमारी रेलवे प्रणाली अधिकतर भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है ।

मुझे मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात् किसी ने रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कही थी तो मेरे पिता जी ने यह कह कर इनकार कर दिया था कि सब से अधिक बेईमानी की नौकरी रेलवे की है । रेलवे के सभी बड़े बड़े कर्मचारी बेईमानियां कर कर के इतने ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं इसलिये हमें चाहिये कि प्रत्येक विधि और उपाय से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें, अन्यथा न तो हमारा निर्यात और समुद्र-तटीय व्यापार बढ़ेगा और न ही हमारे उद्योग विकसित होंगे और हमारी राजस्व की आय भी कम हो जायेगी । इसलिये हमें इस भ्रष्टाचार को दूर करन के लिये प्रत्येक कार्रवाई करनी चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने समस्त परिवहन प्रणाली के भविष्य के सम्बन्ध में कहा है और कुछ ने रेलवे प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों और शिकायतें प्रस्तुत की हैं । मैं तो इतना कह सकता हूं कि रेलवे मंत्री से जो भी शिकायतें की गई हैं उनके बार में उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की है और रेलव विभाग जनता की आवश्यकताओं का यथा योग्य ध्यान रखता है । किन्तु एक बात अवश्य है कि जो शिकायतें की जाती हैं उन में से अधिकांश तो बेकार ही होती हैं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना ढोने और छोटे बड़े उद्योगों के विषय में रेलवे विभाग ने पर्याप्त उन्नति की है । बड़ी लाइन पर सात प्रतिशत और छोटी लाइन पर ग्यारह प्रतिशत उन्नति हुई है तथा समस्त रेलवे पर पर्याप्त उन्नति हुई है ।

कोयला के यातायात में जो कठिनाई और रुकावटें उत्पन्न हुई थीं, उन को दूर करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड और कोयला आयुक्त के कार्यालय के बीच विद्वत मण्डल की नियुक्ति की गई थी, जिसने सराहनीय कार्य किया है । मैं मंत्री महोदय को सलाह देता हूं कि यदि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के विद्वत् मण्डलों की स्थापना कर दी जाये, तो बहुत सी कठिनाइयों और शिकायतें दूर हो जायेंगी ।

कुछ सदस्यों ने रेलवे विभाग को सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग बताया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं । परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रेलवे विभाग के प्रशासन में सुधार अवश्य किया जाना चाहिये और इसके लिये रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति के प्रतिवेदन को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

मैं श्री तुलसीदास से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने सहयोगी व्यापारियों को चेतावनी दें कि वे काल्पनिक मांग के आधार पर अधिक डिब्बों की आवश्यकता प्रदर्शित न करें । उज्जी में एक बार ऐसा ही हुआ । रेलवे द्वारा दिये गये ३०० माल डिब्बों में से केवल १४ डिब्बे काम में लाये गये और शेष डिब्बे वापिस देने पड़े । इस प्रकार की बातें समाप्त की जानी चाहियें ।

उद्योगपतियों द्वारा अप्रतिबन्धित अनुज्ञा की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है ।

[श्री डी० सी० शर्मा]

निस्संदेह हमें अपने योजना काल में अपनी परिवहन प्रणाली का विकास, उन्नति और विस्तार करना है, परन्तु यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारा रेलवे विभाग उपलब्ध साधनों का उत्तम उपयोग कर रहा है और बहुत सी शिकायतें जो इस के बारे में की गई हैं, सर्वथा बेकार और व्यर्थ हैं ।

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर उत्तर) : मैं रेलवे तथा परिवहन मंत्री महोदय का ध्यान गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अनुभव की जा रही है परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं । १९५३-५४ और १९५४-५५ में अहमदनगर, कोल्हापुर और कई अन्य स्थानों पर परिवहन सम्बन्धी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिनके परिणामस्वरूप गुड़ और राब का एक भारी स्टाक वहां पर बेकार पड़ा रहा, और इसी कारण से उन क्षेत्रों में इन वस्तुओं के भाव बिल्कुल गिर गये थे और कृषिकारों को अत्यधिक वित्तीय हानि हुई थी । मंत्री महोदय को इस स्थिति से अवगत कराने के लिये हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला और उनकी कृपा से परिवहन सम्बन्धी सुविधायें हमें प्राप्त हुईं और इससे कृषि क्षेत्र में कुछ सीमा तक लाभ हुआ ।

युद्ध-काल की स्थिति की अपेक्षा आज की स्थिति पर्याप्त सीमा तक सुधर गई है । अन्त में मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन की कृपा से अब स्थिति में बहुत सुधार हो गया है ।

श्री कामत : देश हित तथा राष्ट्र-हित को दृष्टि में रखते हुये मैं रेलवे मंत्री की जो कड़ी आलोचना करने वाला हूं उसके विषय में मुझे आशा है कि वह इसका स्वागत करेंगे ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यालयों में काम बड़ी सुस्ती से होता है । इस मंत्रालय के कार्यालयों में पत्र व्यवहार में ही जब इतनी देर लग जाती है तब रेलवे और परिवहन का काम भी ढीला ढाला क्यों न हो ? मैं ने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था जिसका उत्तर २½ मास पश्चात् मुझे प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था कि रेलवे की माल ढोने की वर्तमान क्षमता पर्याप्त है और इसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस क्षमता को बढ़ाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

इस प्रकार स सागर और मध्य प्रदेश में परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण से बीड़ी का एक भारी भंडार व्यर्थ में पड़ा रहा था । इसके परिणामस्वरूप बीड़ी बनाने का काम बन्द हो गया था और लगभग एक लाख श्रमिक बेकार हो गये थे । मंत्री महोदय ने उस दिन सभा के सम्मुख कहा था कि वह इस मामल की जॉच करेंगे । मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस मामले की अवश्य जांच करें और उसके सम्बन्ध में इस सभा में शनिवार से पूर्व एक वक्तव्य देने की कृपा करें ।

उस दिन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने एक वक्तव्य में कहा था कि हमरो देश में लोह अयस्क पर्याप्त परिणाम में है और इसलिय हम ऐसे विदेशों को भेज रहे हैं जिस से कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति सुधर सके । परन्तु मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि देश के पत्तना तक इस की जाने के लिये

हमारे पास इतने माल डिब्बे ही नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है ?

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलों में तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में तो सोने के लिये स्थान होता है, परन्तु द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है और फिर उनके लिये सीट भी सुरक्षित नहीं की जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता है अतः मंत्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इन द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की इन सुविधाओं की ओर ध्यान दें।

श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर) : आज हमारे देश के उद्योग दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, परन्तु जब तक कि हमारी परिवहन प्रणाली भी उतनी ही उन्नति नहीं करती है तब तक हम इन उद्योगों से लाभ नहीं उठा सकेंगे। माल बुक कराते समय होता यह है कि बड़े बड़े व्यापारी तो अपना माल बुक करा लेते हैं बल्कि अपने नाम से डिब्बे बुक करा लेते है और छोटे छोटे व्यापारी बेचारे वंचित रह जाते हैं। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि माल डिब्बों के पंजीयन के लिये उचित नियम बनाये जायें।

इसके अतिरिक्त भावनगर जैसे पत्तनों की ओर अधिक माल डिब्बे भेजे जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हमारे व्यापार की उन्नति होने की सम्भावना है। अतः यदि हम अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अपने पत्तनों को उन्नत करना चाहते हैं तो छोटे छोटे पत्तनों को अधिक संख्या में माल डिब्बे भेजे जाने चाहियें।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : रेलों का कितना अधिक महत्व है इसको प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसलिये यही एक सुन्दर अवसर है जब कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और योजना आयोग को बता सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिये रेलों के विकास की कितनी अधिक आवश्यकता है।

योजना आयोग से मेरा यह निवेदन है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेलों के विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे कम न किया जाये, अपितु और अधिक बढ़ाया जाये, गतिरोधों को हटाया जाये और देश के प्रत्येक भाग में उद्योग स्थापित किये जायें।

सड़क परिवहन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यदि हम सड़क परिवहन द्वारा माल के लाने और ले जाने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उसके लिये हमें लारियों और बसों पर लगे करों को कम करना पड़ेगा। इसलिये परिवहन मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दे कि वे लारियों और बसों पर लगे करों को कम कर दे। ऐसा करने से रेलवे परिवहन का भार कम हो जायेगा।

मुझे इस बात का हर्ष है कि परिवहन के सम्बन्धों में तटवर्ती नौपरिवहन और रेलवे में हो रही अतिछादिता को कम करने के लिये एक समिति बनाई गई है। यदि यह कार्य ठीक प्रकार से किया गया तो वस्तुयें जहाज़ों द्वारा भेजी जा सकती हैं उनको रेल द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नई रेलवे लाइनें बनाते समय हमें उन प्रदेशों को प्राथमिकता देनी चाहिये जहां पर भूमि अधिक ऊंची नीची हैं और लारियों और मोटरों के आने जाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

[श्री अच्युतन]

ये ही कुछ एक बातें हैं जिनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति महोदय, त्रिवेदी जी ने बहुत से आंकड़े सभा के सम्मुख उपस्थित किये हैं और हमें आशा है कि इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जायेगा, क्योंकि अगर ये आंकड़े सत्य हैं तो रेलवे विभाग के ऊपर बड़ा आक्षेप है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी यातायात की समस्या का सम्बन्ध है वह तब तक हल नहीं होगी जब तक कि रेलवे, वाटरवेज़ और रोड्ज़ तीनों साधनों का सहयोग नहीं होगा । आप देखें कि हिन्दुस्तान में वाटरवेज़ के द्वारा केवल २२ प्रतिशत ट्रांसपोर्ट होता है और रेलवेज़ के द्वारा ७८ प्रतिशत । इसके मुक़ाबले में आप देखें कि अमरीकन और इंगलैंड में रेलवेज़ से केवल २२ प्रतिशत ट्रान्स्पोर्ट होता है और बाक़ी वाटरवेज से होता है । हिन्दुस्तान में उलटी गंगा बहती है ।

विचार यह करना चाहिये कि आख़िरकार इस समस्या का हल कैसे होगा ? हमारा उत्पादन ५६ सैकड़ा बढ़ा है जब कि हमारी रेलवे की एफिशियेंसी, ट्रान्स्पोर्ट के सम्बन्ध में ३ सैकड़ा बढ़ी है और हमारी समस्या तभी हल हो सकती है जब कि यह ३ परसेंट कम से कम २५ परसेंट हो जाये ।

सेकेंड फाईव ईयर प्लान में रेल के लिये १५०० करोड़ रुपया रक्खा गया है जब कि शिपिंग के वास्ते सिर्फ ८० करोड़ रुपया रक्खा गया है । जैसा कि हमारे एक भाई ने आपको बतलाया, बात दरअसल यह है कि व्यापारी तो अपना सामन जहां से उसको सस्ता पड़ेगा वहां से ले जायगा और चूंकि रेलवे के फ्रेट चार्जेज़ शिपिंग के फ्रेट चार्जेज़ से कम हैं इसलिये व्यापारी लोग रेलवे द्वारा ही अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं । शिपिंग के फ्रेट चार्जेज़ रेलवे फ्रेट चाजज़ से तीन गुना ज्यादा हैं, अगर रेलवे के चार्जेज़ ३० परसेंट हैं तो जहाज़ों के ९० परसेंट हैं और यही कारण है जो व्यापारी लोग जहाज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, वाटरवेज़ का प्रयोग नहीं करते हैं । फ्रेट स्ट्रक्चर कमेटी और रेल और शिपिंग कोआरडिनेशन कमेटी को इस समस्या को हल करना चाहिये और ज़ाहिर है कि जब तक अपने वाटरवेज़ का उत्थान और विकास नहीं करेंगे तब तक रेलवेज़ पर वैगन्स की कठिनाई बनी रहेगी और भार ज्यादा रहेगा । अभी जैसा कि मेरे एक भाई ने बतलाया कि ३० सैकड़ा शुगरकेन तो रेलवे से आता है और ७० सैकड़ा शुगरकेन रोड से आता है, तो मेरा कहना है कि अगर हम अपने हाईवेज़ और रोडवेज़ की उन्नति करें पर हम रोड के ज़रिये और अधिक शुगरकेन ला सकेंगे और उस हालत में यह जो ३० परसेंट शुगरकेन पहुंचाने का रेलवे के ऊपर बोझा पड़ता है, यह कम हो सकता है और हम वैगन्स की पोज़ीशन को कुछ ईज़ कर सकते हैं इसलिये श्री एल० बी० शास्त्री और रेलवे विभाग से मेरा निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें और अपने देश के हाईवेज और रोडवेज का विकास करें और उन में सुधार कर और ऐसा करने से रेलवे का बोझा कम हो सकता है, अन्यथा नहीं । साथ ही आपको वाटरवेज की ओर भी ध्यान देना है और ऐसा प्रबन्ध करना है ताकि व्यापारी वर्ग जहाज़ों से अपना माल भेजना शुरू करे आज चूंकि रेलवे से भेजने में कम भाड़ा लगता ह इसलिए लोग रेलवे से ही अपना

सामान भेजना चाहते हैं और शिप्स के ज़रिये नहीं भेजते ।

इसके अतिरिक्त आज मुगलसराय और विशाखापटनम में सब से ज्यादा वैगन्स अटकते हैं और उन जगहों पर वैगन्स का बोटलनेक है, उस बोटलनेक को दूर करने का यथाशक्ति उपाय करना चाहिये ।

आपने रेलवेज़ के वास्ते जो १५०० करोड़ रुपये प्रोवाइड किये हैं जब कि वाटरवेज़ के वास्ते केवल ८० करोड़ रुपये ही रक्खे हैं जो कि मेरी समझ में बहुत ही नाकाफ़ी है और आपको कम से कम २०० करोड़ वाटरवेज और वाटर ट्रान्स्पोर्ट के वास्ते रखना चाहिये, तभी वाटरवेज़ की तरक्की हो सकती है और यह समस्या हल हो सकती है, वरना नहीं ।

सरदार इक़बाल सिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा) : इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे विभाग में जो कुछ सुधार पिछले दिनों में देखने में आया है वह श्री एल० बी० शास्त्री के कारण है और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

हमारे पंजाब के इलाके में जहां काफ़ी ग़ल्ला पैदा होता था वह गवर्नमेंट के खाते पर बुक होकर देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था और अनाज पर उस जमाने में कंट्रोल था । यह ठीक है कि अब अनाज पर से कंट्रोल उठ गया है और हमारी फ़सल भी इस साल काफ़ी अच्छी हुई लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे किसानों को अपनी अनाज मंडियों से मद्रास और मद्रास के आगे दूसरी जगहों पर अपना अनाज भेजने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर आपको यह शिकायत सुनने को मिलेगी कि हमें अपना अनाज बाहर भेजने के लिये वेगन्स नहीं मिलते हैं और जिसके कारण मंडियों में उनका अनाज पड़ा रह जाता है और वह उसके वाजिबी दाम नहीं उठा पाते यहां मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हमारे बहुत से भाई वेगन्स गलत तौर पर बुक कर लेते हैं और उसके लिये जो इंडेंट देते हैं वह गलत देते हैं, और इसके लिये कोई चैक होना चाहिये लेकिन पंजाब में हमारा बहुत सा अनाज माल गोदामों और स्टेशनों पर पड़ा रह जाता है क्योंकि उसको बाहर भेजने के लिये वेगन्स नहीं मिल पाते हैं और खास तौर पर चना जो कि पड़ा हुआ है काफी दिनों से उसके खराब होने का अंदेशा है और मैं यहां पर अपने मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पंजाब और पेप्सू जो कि अनाज के सरप्लस एरियाज हैं वहां से अनाज को बाहर भेजने के लिये रेलवेज़ ने जो वेगन्स दिये हैं वह बहुत कम हैं और उनकी तादाद बढ़ायी जानी चाहिये। पंजाब के अनाज के व्यापारी इस कारण काफी परेशान हैं । वे कहते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है, यह बार्डर के इलाके हैं, बैंक हमको पैसा देते नहीं क्योंकि रेलवे हमको वेगन्स नहीं देती और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से अनाज के भाव जो पहले कुछ ऊपर की ओर गये थे फिर नीचे आने लगे हैं और अनाज के भाव गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको अपना अनाज बाहर भेजने के लिये काफी तादाद में वेगन्स नहीं मिलते जिससे कि वह अपना अनाज मद्रास और दूसरी ऐसी जगहों में भेज सकें जहां पर कि अनाज की कमी है । इसलिये मंत्री महोदय और रेलवे के अधिकारियों को इस समस्या की ओर अपना ध्यान देना चाहिये कि जहां पर वेगन्स की जरूरत हो वहां वह मिल सकें और माल की बुकिंग हो सके और यह देखना चाहिये कि मालगुदामों और स्टेशनों पर अनाज पड़ा न रहे क्योंकि वह कुछ दिनों बाद बरबाद हो जाता है और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिये ऐसे स्टेशन जहां पर कि अनाज जमा है और वहां पर पड़े रहने से उसके खराब हो जाने का खतरा

[सरदार इकबाल सिंह]

है, वहां से अनाज बाहर भेजने के लिये स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिये और उसके लिये स्पेशल वेगन्स का प्रबन्ध करना चाहिये और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि अनाज के भाव जो कुछ ऊपर को आये हैं वह अगले साल तक कायम नहीं रह सकेंगे और भाव नीचे की ओर जाने लगेंगे जो कि किसानों के लिये नुकसान देह साबित होगा। आज पंजाब की मंडियों में जो पुराना अनाज भरा पड़ा है जब तक यह बाहर नहीं भेजा जायेगा तब तक नये अनाज के खरीदार बहुत कम होंगे इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि अनाज की बुकिंग का इन्तजाम हो और वह बाहर भेजा जाये और मैं चाहूंगा कि सरप्लस एरियाज़ के लिये जिस वक्त अनाज की फसल आती है उस वक्त उन एरियाज को सरप्लस कैटेगरी में रख कर ज्यादा वैगन्स देने चाहिये और जब तक वहां के लिये आप काफी वैगन्स नहीं देंगे तब तक आप अनाज के भाव को ऊंचा नहीं रख सकते ।

जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं जानता हूं कि बहुत सा रजिस्ट्रेशन बोगस भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या आपके रेलवे विभाग ने पंजाब और पेप्सू की मंडियों में पड़े हुये फालतू अनाज को बाहर भेजने के लिये आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि कितने वैगन्स की जरूरत पड़ेगी । हम देखते हैं कि उस फालतू अनाज को बाहर मद्रास और दूसरी जगहों पर भेजने के लिये दो दिन की बुकिंग खोल देते हैं, बाजरे की चार दिन की बुकिंग खोल देते हैं और चने की छः दिन के वास्ते बुकिंग खोल देते हैं और उसके बाद महीनों तक वह बुकिंग बन्द हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिये और बुकिंग ज्यादा दिन तक खुली रखनी चाहिये । इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे शास्त्री जी जिनको कि किसानों से बहुत हमदर्दी है, वे और उनके विभाग के उच्च अधिकारी इस बुकिंग की कठिनाई को दूर कर के बुकिंग की ज्यादा सूसुविधा देंगे ताकि हमारे किसान लोग खुशहाल रह सकें और अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सकें और मैं यहां पर यह चीज़ साफ कर देना चाहूंगा कि अगर हम किसानों को वेगन्स और बुकिंग की सुविधा नहीं देंगे और उनका सरप्लस अनाज बाहर भेजने के लिये उचित प्रबन्ध नहीं करेंगे तो अनाज के भाव फिर से कम हो जायेंगे और इसका किसानों पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा ।

मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और हमारे किसानों को आज जो यह वेगन्स और बुकिंग न मिलने की कठिनाई हो रही है, उसको दूर करेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : सभापति जी, इसमें शक नहीं है कि रेलवे विभाग में इन चन्द एक वर्षों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि रेलवे विभाग लड़ाई के ज़माने में बहुत पिछड़ गया था और जितने इम्प्रूवमेंट्स हुये हैं, वह आज कल के दृष्टिकोण से बहुत नाकाफी है । ज्यों ज्यों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है त्यों त्यों उनकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं और उसको ध्यान में रखते हुये उन जरूरतों को पूरा करने के लिये रेलवे को स्पेशल एफर्टस करनी होंगी जिसमें उस हद तक, उस सीमा तक, गाड़ियां मिल सकें जिस में कि लोगों की जरूरियात पूरी हो सके ।

रेलवे में सब जगह इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन कुछ ऐसे भू खंड हैं हिन्दुस्तान में जो जहां पर इस इम्प्रूवमेंट का कोई असर नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी ने परसों एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि मैं नार्थ ईस्टर्न रेलवे में गया हूं और मुझे वहां ज्यादा दिक्कत नहीं मालूम हुई । लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि जो नार्थ बिहार का हिस्सा है उस की हालत

क्या है। पैसेन्जरों के चलने के लिये जो दिक्कतें हैं उस का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, उस का जिक्र तो प्रश्नों के ज़रिये भी हाउस में हो चुका है और शास्त्री जी ने कहा भी है कि वह उस को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार वैगन्ज़ के सिलसिले में एक बोटलनेक बना हुआ है वहां सामान दक्षिण बिहार से आता है। मोकामा से गाड़ियां पार होती हैं उस मोकामा की कैपेसिटी २०, २५ या ३० गाड़ियां पार करने की है। जिस में से तीन चौथाई हिस्सा रेलवे के कोयले की गाड़ियां ही पार होती हैं। एक करोड़ से अधिक पापुलेशन के लिये कुल ५, ७ या १० गाड़ियां ही रोज वहां से पार होती हैं। नार्थ बिहार ऐसा है जहां प्रकृति का कोप बहुत होता है, साथ में रेलवे के अफसरों का कोप तो कैसे कहूं लेकिन उपेक्षा ज़रूर है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक करोड़ की पापुलेशन है वहां उन लोगों के जीवन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिये सिर्फ़ १० वैगन को पार करने से कैसे काम चल सकता है। आप देखेंगे कि वहां हर साल बाढ़ आती है, हज़ारों मकान गिर जाते हैं, उन के निर्माण के लिये वहां कोयला नहीं मिलता, सीमेंट नहीं मिलता, चूना नहीं मिलता, लोहा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वह १५ या २० फी सदी अधिक दामों पर, इसीलिये व्यापारी उसे प्रथम तो नाव पर, फिर बैलगाड़ी पर लाकर ट्रान्स्पोर्ट करते हैं इस लिये नतीजा यह होता है कि जहां पटना में कोयला १ रु० ४ आ० मन मिलता है, वहां छपरा या मुजफ्फरपुर में २ रु० मन बिकता है। दोनों जगहों के दामों में इतना फर्क है।

गल्ला जो यू० पी० के बाज़ारों में या पंजाब के बाज़ारों में १० रु० मन बिकता है वह हमारे यहां १६, १७ या १८ रु० मन बिकता है। जिस तरह आप और जगहों पर प्राइस सपोर्ट चला रहे हैं उसी तरह से बिहार में, खास कर छपरा ज़िले में, जहां का मैं बाशिंदा हूं, सब्सिडी की ज़रूरत है। इस तरह से ही किसानों को सब्सिडी दे कर गल्ला बिकवाया जा सकता है।

आज देश में एक जगह तो बहुलता है और दूसरी जगह स्केअर्सिटी चल रही है इसका कारण यह नहीं है कि चीजों की कमी है, बल्कि कारण यह है कि हमारे यहां ट्रांस्पोर्ट बोटलनेक कई जगहों पर है, जिस को दूर करने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कार कम्पनी का जहाज़ चलता था, उस का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, नतीजा यह हुआ कि उस ने जहाज़ चलाना बन्द कर दिया।

आज मोकामा ब्रिज बनने की बात है, लेकिन "का वर्षा जब कृषि सुखानी" जब लोगों की हालत खराब हो जायेगी तो आप के पुल बनाने से क्या फायदा होगा? मोकामा ट्रांशिपमेंट कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं दो बातों का सुझाव दूंगा। एक तो मड़वा डीह यार्ड आप एनलार्ज करें जिस से अधिक संख्या में नार्थ बिहार वैगन दे सकें। दूसरी बात यह है कि एक रोप वे आप गाज़ीपुर में बनायें या डीघा में बनायें, जिस से इस पार से उस पार तक वैगन आ सकें, तभी हम नार्थ बिहार के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और उन के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, अन्यथा वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा और जो वहां के लोगों की तकलीफें हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जायेंगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय स्वयं यह अनुभव करते हैं कि रेलवे प्रणाली के विकास का जब तक यह प्रश्न सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक रेलों के विकास के लिये और अधिक धन प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। वह

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

तो परिवहन सम्बन्धी और अधिक सुविधायें देने के लिये १५०० करोड़ रुपये की मांग करते हैं, परन्तु वित्त मंत्रालय उन्हें ५०० करोड़ रुपये से अधिक नहीं देना चाहता है। जब तक रेलों और परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं होगा तब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित औद्योगिक विकास पास नहीं हो सकेगा। कच्चे माल को लाने और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिये परिवहन प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है। अतः रेलों के विकास की, आज महा आवश्यकता है। इस विभाग में से भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है और इसके लिये छोटे कर्मचारियों में सुधार किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में प्रमुख हाथ इन्हीं का होता है।

मैंने पहले भी कई बार कहा है कि रेलवे मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में समन्वय की कमी है, और जब इन दोनों मंत्रालयों में समन्वय न किया जायेगा, जब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकेगी। गत वर्ष खाद्य मंत्रालय ने लगभग दो लाख टन चावल के निर्यात की मंजूरी दी थी। परन्तु निर्यात के लिये बम्बई और कलकत्ते के केवल दो ही पत्तन खोले गये थे और मद्रास अथवा विशाखापटनम का पतन नहीं खोला गया था। अतः आन्ध्र और मद्रास से बम्बई तक चावल ले जाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त धन और समय का नाश हुआ। इसीलिये तो मैं चाहता हूं कि परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में समन्वय होना चाहिये। द्वितीय योजना का वास्तविक उद्देश्य तो यह है कि सारे देश में उद्योगों का विकास हो तो इसके लिये उद्योग मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय में समन्वय की महान् आवश्यकता है। आज कल उद्योगों को एक स्थान पर नहीं अपितु देश के सभी भागों में स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है। ऐसे अविकसित क्षेत्रों के विकास में रेलवे परिवहन को मुख्य रूप से भाग लेना पड़ेगा। इसलिये माननीय रेलवे मंत्री अपनी परिवहन सुविधाओं का विकास करते समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से अवश्य परामर्श करें।

जल मार्गों के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि नयें जल मार्ग बनाने की अपेक्षा वर्तमान जल मार्ग के सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ यदि बकिंघम नहर पर कुछ धन और लगा कर उसे सुधार दिया जाये तो उससे एक विशाल क्षेत्र को अधिकाधिक लाभ होगा।

परिवहन के सम्बन्ध में लोगों को अनेकों शिकायतें हैं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे और जनता को सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं श्री तुलसी दास तथा अन्य मित्रों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने संतुलित भाषण दिये हैं और सहानुभूतिपूर्ण विचार प्रकट किये हैं।

परिवहन की समस्या एक कठिन समस्या है—मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं। हमारे देश में तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के कारण अधिक से अधिक कच्चा माल तथा तैयार किया हुआ माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। कृषि वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से कोयले तथा अयस्कों की खानों से भी अधिक धातु प्रस्तर निकाला जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप परिवहन सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यह देश की समृद्धि की निशानी है ।

प्रति वर्ष अप्रैल—जून के मासों में रेल को भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ग्रीष्म ऋतु का कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस के परिणामस्वरूप उनमें रोगियों का अनुपात बढ़ जाता है। इंजनों के लिये भी पानी की कमी का भी अनुभव किया जाता है । इस वर्ष खाद्य पदार्थों के परिवहन में भी एक विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा है। भारी वर्षा के कारण, विशेष कर बंगाल और आसाम में आयी भयंकर बाढ़ों के कारण हमें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है । मैं इन सभी बातों का उल्लेख अपनी रक्षा करने के लिये नहीं कर रहा हूं। वास्तव में वर्तमान स्थिति रेलवे मंत्रालय के लिये एक चुनौती है ।

यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे तथा अन्य प्रकार के परिवहन प्रणालियों में अधिक समन्वय की आवश्यकता है और मैंने स्वयं ही इस बात पर विशेष बल दिया है । परिवहन मंत्रालय में हम सड़क परिवहन तथा नौ परिवहन से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मैं सभा के इसी सत्र में संशोधित मोटर गाड़ी विधयक को प्रस्तुत कर सकूंगा। हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई रेल-समुद्र समन्वय समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान सड़क परिवहन की क्षमता को और अधिक विकसित करने के प्रश्न पर हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, किन्तु इस में सन्देह नहीं है कि परिवहन का अधिकांश भार रेलों को ही वहन करना होगा और हम इसके विषय में योजना बना रहे हैं ।

मैं, इस सभा में दिये गये कुछ एक भाषणों द्वारा उत्पन्न की गई कुछ एक भ्रांतियों को स्पष्ट करना चाहता हूं।

जनवरी से अगस्त तक भारतीय रेलों पर लादे जाने वाले माल की स्थिति के बारे में मेरे पास जो आंकड़े हैं वह इस प्रकार हैं— भारतीय रेलों पर १९५४ में बड़ी लाइन पर लादे गये कुल माल डिब्बों की संख्या २४,४९,०८१ थी। १९५५ में यह संख्या ३१,६३,८५९ है, इसमें ७.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छोटी लाइन पर लादे गये माल डिब्बों की संख्या १९५४ में १६,९२,५८२ थी । १९५५ में यह संख्या १८,५३,५४३ है, इसमें ९.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतएव यह आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वर्ष में परिवहन में ठोस वृद्धि हुई है, किन्तु बड़ी और छोटी दोनों लाइनों पर कुछ अवशिष्ट अभी भी है ।

अतीत में परिवहन की वृद्धि की वार्षिक दर ३ प्रतिशत रही है किन्तु चालू वर्ष में परिवहन में असाधारण वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अधिकतर फ़सल अच्छी होने और खाद्यानों पर नियंत्रण हटाये जाने के फलस्वरूप हुई है। अप्रैल—जून में बड़ी लाइन पर खाद्यान्नों का आवागमन पिछले वर्ष की अपेक्षा ८.८ प्रतिशत और छोटी लाइन पर ६.६ प्रतिशत बढ़ा है । अवशिष्टों का अधिकांश भाग खाद्यान्नों के परिवहन से संबन्ध रखता है। यह सच है कि अधिक माल लादे जाने के बावजूद भी, पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष माल डिब्बों के लिये कराये गये पंजीयन अधिक हैं। बड़ी लाइन पर, ३१ जुलाई को अदत्त मांगें १,४२,००० माल डिब्बों की थीं जब कि पिछले वर्ष इनकी मांग केवल ३५,००० माल डिब्बों की थी। छोटी लाइन पर १,५०,००० माल डिब्बों की मांग की गई थी जबकि गत वर्ष यह मांग ५,५०,०००

[श्री एल बी० शास्त्री]

माल डिब्बों की थी। मुझे यह कहने में हर्ष होता है इन अदत्त मांगों के परिमाण में पर्याप्त कमी की गई है।

मैं अब कतिपय मुख्य वस्तुओं, जैसे चीनी, कपास आदि, की परिवहन स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा, इनका श्री तुलसीदास ने उल्लेख किया है। जहां तक चीनी का सवाल है मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि देश में चीनी का उत्पादन दस लाख टन बढ़कर १६ लाख टन हो गया। इसका मतलब यह है कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ गन्ने तथा अन्य कच्चे माल के यातायात में भी वृद्धि हुई है। चूंकि एक टन चीनी के उत्पादन के लिये १०–११ टन गन्ने की आवश्यकता होती है, इससे परिवहन के परिमाण में हुई वृद्धि को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

देश में उत्पादित चीनी के परिवहन का सम्बन्ध बड़े पैमाने पर आयातित चीनी से है जिसका परिमाण जनवरी से जुलाई तक लगभग २,६७,००० टन था। इस में से लगभग ३५,००० टन चीनी भावनगर में उतारी गई यह चीनी रेल द्वारा, सौराष्ट्र क्षेत्र में वितरित की गई, और इससे इस क्षेत्र में देश में उत्पादित चीनी के प्रदान की कमी का कारण स्पष्ट हो जाता है।

इसी तरह इस बीच आयातित चीनी का पर्याप्त लदान बम्बई से अन्य स्थानों को जैसे अहमदाबाद, पूना, उज्जैन, रतलाम, नागपुर, जयपुर को, कलकत्ता से गौहाटी, टाटानगर आदि को तथा मद्रास तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर को दिया गया। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में देश में बनी चीनी की मांग कम रही। किन्तु बड़ी लाइन पर चीनी का लदान जैसा कि श्री तुलसीदास जानते हैं, बहुत सन्तोषजनक रहा है। जनवरी से ले कर १० सितम्बर, १९५५ तक २९,५२० माल डिब्बों को काम में लाया गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा इसमें २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किन्तु मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि छोटी लाइन पर स्थिति इतनी सन्तोषजनक नहीं थी।

छोटी लाइन पर चीनी का अधिकांश लदान पूर्वोत्तर रेलवे पर होता है। यहां पर लदान अप्रैल तक गन्ने के भारी यातायात पर तथा डिब्रूगढ़ और उत्तरी बंगाल के बाढ़ नियंत्रणात्मक कार्यों के लिये ले जाई जाने वाली सामग्री के यातायात पर निर्भर रहा था। मैं विश्वास करता हूं कि सदन इस बात की सराहना करेगा कि मुख्यतः रेलवे के कारण ही डिब्रूगढ़ में पत्थरों की दीवार बनाई जा सकी है तथा इस वर्ष डिब्रूगढ़ को विनाश से बचाया जा सका है। अतएव जिस समय हम डिब्रूगढ़ के लिये पत्थरों का लदान कर रहे थे उस समय अन्य वस्तुओं के लदान का रुक जाना स्वाभाविक ही था।

पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी लाइन पर, इस वर्ष १ मई से २० सितम्बर तक १८,१७६ माल डिब्बों में चीनी लादी गई जब कि पिछले वर्ष ११,००० माल डिब्बे लादे गये थे। १ जनवरी से २० सितम्बर, १९५५ तक २८,००० से अधिक माल डिब्बों में गन्ना लादा गया जब कि पिछले वर्ष यही संख्या २७,००० थी।

कपास के लदान की स्थिति अधिक अच्छी है। इस वर्ष जनवरी से २० जुलाई तक, पश्चिम रेलवे की बड़ी और संकरी लाइन पर, पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा, क्रमशः ११०० और १६०० माल डिब्बे अधिक लादे गये, बड़ी और संकरी लाइन पर क्रमशः ४२ और ५८ प्रतिशत

की वृद्धि हुई है। इस तरह संकरी लाइन पर भी इस कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हुई है, जब कि उसमें रेलमार्ग, इंजन व डिब्बों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। २० जुलाई, १९५५ को अदत्त पंजीयन का परिमाण बड़ी लाइन पर केवल १२८ माल डिब्बों तथा संकरी लाइन पर १० माल डिब्बे था। इसी अवधि में उत्तरी रेलवे पर १००० बड़ी लाइन के माल डिब्बे अधिक लादे गये जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में गत वर्ष के पूर्वार्द्ध की अपेक्षा, बम्बई के कपास क्षेत्र को ९०० माल डिब्बे अधिक भेजे गये हैं। इस प्रकार माल डिब्बों की संख्या में ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं यह भी बता दूं कि जनवरी से जून, १९५५ तक भारत से, २४,७०० टन कपास निर्यात की गई जब कि गत वर्ष १३,२०० टन निर्यात की गई, थी। अर्थात् १३,००० टन के बजाय हमने २४,००० टन कपास निर्यात की है। और रेलवे परिवहन की क्षमता में वृद्धि न किये जाने पर ऐसा करना निश्चय ही सम्भव नहीं था।

मैं सदन को तिलहन, जिनमें मूंगफली भी शामिल है, सम्बन्धी परिवहन स्थिति के बारे में बता दूं। इस वर्ष जनवरी से जून तक, बड़ी लाइन के २०,५१५ माल डिब्बे लादे गये जब कि गत वर्ष इसी अवधि में १६,४५८ माल डिब्बे लादे गये थे। यह वृद्धि २४.७ प्रतिशत है। इसी तरह छोटी लाइन पर ३१,५६८ माल डिब्बे लादे गये जब कि गत वर्ष २५,०७१ माल डिब्बे लादे गये थे। यह वृद्धि २५.७ प्रतिशत है।

कोयले के लदान के सम्बन्ध में १ जनवरी से अगस्त, १९५५ तक बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन बड़ी लाइन के ३,२२१ माल डिब्बे लादे गये जब कि गत वर्ष इसी अवधि में लादे गये माल डिब्बों की संख्या ३,१२९ थी। इस तरह प्रतिदिन ९२ माल डिब्बों की वृद्धि हुई है। यदि भारत के सभी कोयला क्षेत्रों को लिया जाय तो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रतिदिन १४० माल डिब्बे अधिक लादे गये हैं। मुगलसराय से आगे के स्थानों को जाने वाले कोयले के माल डिब्बों की प्रतिदिन औसत संख्या १२१७ थी। यह संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ८१ अधिक है।

इस तरह माननीय सदस्य यह देखेंगे कि किसी प्रकार की कमी होने के बजाय प्रायः सर्वांगीण सुधार ही हुआ है। किसी प्रकार की हानि हुई इस आशय का सुझाव वस्तुतः गलत है और इस तरह की निराशा प्रकट करना भी गलत है।

मैं अब श्री नेवटिया, श्री के० पी० त्रिपाठी तथा श्री नम्बियार द्वारा कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगा यद्यपि श्री नम्बियार का कथन वाद-विवाद के विषय से विशेष रूप से संगत नहीं था।

श्री नेवटिया ने कहा कि रेलों के विभिन्न क्षेत्रों (जोनों) में हमें अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रबन्ध करना चाहिये। मैं उन्हें और सभा को बताना चाहूंगा कि माल डिब्बे कहां जाते हैं और वे अपनी यात्रा निर्दिष्ट समय में पूरी करते हैं अथवा नहीं इन बातों की जाँच करने के लिये विशेष कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति करने का प्रस्ताव हमारे समक्ष है। यह कार्य एक स्वतन्त्र कार्य होगा तथा उसे विशेष कर्मचारियों को सौंपा जायेगा जो माल डिब्बों के परिवहन में हुई देर के सम्बन्ध में इस बात की जाँच करेंगे कि वे यार्ड में अधिक देर तक खड़े रहे या चलने में विलम्ब हुआ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम विशेष कर्मचारी नियुक्त करना चाहते हैं तथा मैं आशा करता हूं कि वे अपना कार्य सुचारु रूप से करेंगे और भविष्य में माल डिब्बों की यात्रा को सुगम बनावेंगे।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

श्री के० पी० त्रिपाठी यहां नहीं हैं। उन्होंने सरकार द्वारा वाष्पयान कम्पनियों की स्थापना और उनके माध्यम से इस कार्य के किये जाने के बारे में कुछ कहा। हम ऐसा अभी नहीं करना चाहते हैं। अभी हाल में श्री लोकूर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और सम्भवतः निकट भविष्य में उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है इस पर उसी समय विचार किया जाना तभी उपयुक्त होगा। मैं सदन को यह बता दूं कि दो बातों पर हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। एक तो विशेष प्रकार की यंत्रचालित नौकाओं का निर्माण देश में हो रहा है तथा आशा है कि वे दो-तीन माह की अवधि में बन जायेंगी। हमारा उद्देश्य, इन नौकाओं की, वर्ष भर गंगा और ब्रह्मपुत्र में चलाना सम्भव हो। दूसरी बात, जो हम करना चाहते हैं वह है सभी साधारण नौकाओं के यंत्रीकरण का प्रस्ताव। ये दो बातें, मैं आशा करता हूं, कि कुछ भागों में किसी सीमा तक माल के लाने ले जाने में हमें सहायक होंगी।

इस सदन में पुनः लौट आने के लिये मैं श्री नम्बियार का स्वागत करता हूं किन्तु मेरा विचार था कि वह कुछ ठंडे हो गये होंगे। उनमें अभी वही पुराना तेज मौजूद है और मैं केवल यह चाहता हूं कि यदि ग़लत कथन के द्वारा उन्होंने अतिशयोक्ति ने की होती तो ठीक होता। मैं उन्हें बता दूं कि इस समय केवल एक ही संघ है। दो संघ नहीं हैं और अध्यक्ष केवल एक श्री बसावड़ा हैं। मैं नहीं समझता कि रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री बसावड़ा से वार्ता कर बोर्ड ने किसी प्रकार की ग़लती की है। वास्तव में, मेरे ख्याल में, कुछ पुरानी मांगें स्वीकार किये जाने पर उन्हें बोर्ड की सराहना करनी चाहिये थी। श्री नम्बियार, ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे कर्मचारियों की मांगें स्वीकृत किये जाने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी कि उन कर्मचारियों के आपस में लड़ते रहने में। मैंने उभय पक्षों में समझौता कराने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। मैं ने श्री वसावड़ा से और श्री गुरुपादस्वामी से भी भेंट की है और उन में समझौता करा देना ही मेरे प्रयत्न का उद्देश्य था। किन्तु मैं उन्हें केवल सलाह दे सकता था। किसी बात को तय करना उन सज्जनों पर ही, जिनके आन्तरिक मतभेद हों, निर्भर करता है।

मैं थोड़े शब्दों में यह कहूंगा कि परिवहन के प्रश्न का सीमित और व्यापक दृष्टिकोणों से परीक्षण किया जा चुका है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस वर्ष नवम्बर के अन्त तक हम अपनी वहन क्षमता में २० प्रतिशत वृद्धि करने की प्रस्थापना करते हैं। गतिरोध वाले कुछ स्थानों पर परिवहन स्थिति मे सुधार कर के हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्थान हैं जैसे आसाम रेल कड़ी, फिर मोकामा घाट के मार्ग की यातायात, बैजवाड़ा रायचूर और पूना के पर्ण से दक्षिण का यातायात तथा अन्त में साबरमती, विरमगांव और मेहसाना के मार्ग से सौराष्ट्र क्षेत्र का यातायात गत वर्ष भारी वर्षा होने के फलस्वरूप आसाम रेल कड़ी कई स्थानों पर टूट गई थी जिसके कारण इस वर्ष कई बड़े इंजीनियरिंग कार्य करने पड़े। इन बातों के कारण जो सीमित क्षमता थी वह भी कम हो गई। विगत वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान सरकार से, उनके रेल के द्वारा, यातायात की व्यवस्था की गई थी जिससे काफी सहायता मिली। किन्तु दुर्भाग्य से जुलाई और अगस्त में आसाम रेल कड़ी और पूर्वी बंगाल रेलवे दोनों में जुलाई और अगस्व में कई स्थानों पर,

लाइन टूट गई। इनमें से अन्तिम, छपरकट और बिजली के बीच के टूटे हुये भाग को कल सुबह ही ठीक किया गया है और मैं आशा करता हूं कि इससे स्थिति सुधरेगी।

मोकामा घाट तथा गंगा के आर पार अन्य नावान्तरण स्थानों के सम्बन्ध में, नदी के पार माल ले जाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिये कई तदर्थ उपाय काम में लाये गये हैं। दुर्भाग्य से घाट की कठिनाइयां, विशेष कर संकरी और भागलपुर में, इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक रही हैं जिनके कारण क्षमता में पर्याप्त कमी हुई है। किन्तु मंडुआडीह में यातायात क्षमता को बराबर बढ़ा कर स्थिति को सम्हाल लिया गया है। मंडुआडीह में हमने बड़ी लाइन के ३० माल डिब्बों से बढ़ा कर क्षमता १५५ माल डिब्बे कर दिया है तथा शीघ्र ही संख्या १८० माल डिब्बे प्रतिदिन हो जावेगी। मोकामा पुल के बन जाने पर, जिसका निर्माण अभी चल रहा है, निःसंदेह पूर्ण सहायता की जा सकेगी। मुझे बिहार से अभी हाल में पुरानी स्टीमर सेवाओं के बारे में, जो पहले कार्य किया करती थीं, एक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। यह मुझे दो तीन दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ है। मैं मामले की जांच पड़ताल कर रहा हूं। अभी उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिये कठिन होगा।

दक्षिण में यातायात को ले कर यद्यपि अभी हाल के महीनों में यातायात क्षमता में कुछ वृद्धि हुई है तथापि अगले नवम्बर तक, जब कि इस समय चल रहे कार्य, जैसे बैजवाड़ा यार्ड का पुनर्निर्माण तथा बैजवाड़ा मद्रास मार्ग के स्टशनों पर लूप लाइनों का विस्तार जिससे कि ८० माल डिब्बों की ट्रेन खड़ी हो सके, पूर्ण हो जाने पर पर्याप्त सुधार हो जाने की आशा है। यहां भी पूर्वी तट के बार बार टूट जाने से काफी बाधायें उत्पन्न हुई हैं।

सौराष्ट्र में यातायात का प्रगतिपूर्ण सुधार, जैसे जैसे क्षमता कार्य पूरे होते हैं वैसे वैसे होना अपेक्षित है। कुछ छोटी लाइन के मार्गों के बड़ी लाइन में बदले जाने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है। सौराष्ट्र में अभी हाल ही में अत्याधिक वर्षा हुई है और अन्तिम स्थानों पर माल के लादने व उतारने के काम शिथिल हो जाने के अतिरिक्त कई यार्डों में नवमिर्मित रेल पथ धंस गये हैं। हमने इन सभी बाधाओं का मुकाबिला किया है और माल लादने की क्षमता को बढ़ा कर अदत्त मार्गों के परिणाम को घटाने में सफल हुये हैं। मेरे ख्याल में, हमने जो क़दम उठाये हैं उनसे वर्तमान स्थिति के सुधरने में काफी सहायता मिलेगी।

अन्त में एक व्यापक दृष्टिकोण से मैं सदन को इस बात का संकेत कर दूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में हम क्या करने का प्रस्ताव करते हैं। इसमें (क) इस्पात, कोयला और सीमेंट इनसे जिन वस्तुओं के उत्पादन की आशा है उन्हें लाने ले जाने से सम्बन्धित मार्गों की क्षमता बढ़ाने प्रावधान तथा साधारणतः अन्य मार्गों की क्षमता को ५० प्रतिशत तक बढ़ाना सम्मिलित है। अतः श्री तुलसीदास को इस्पात संयंत्रों अथवा अन्य बड़े संयंत्रों के लिये इस्पात, कोयले आदि के लदाने के सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। रेलवे लाइनों की बढ़ी हुई क्षमता सम्बन्धी योजना बनाने में हमने इस पर विचार रखा है। (ख) कार्य संचालन को सुचारु रूप से करने और क्षमता में बचतपूर्ण ढंग से विकास करने के लिये कुछ विभागों का विद्युतीकरण (ग) मुख्य लाइन की पटरी को जो पहले ही बन जानी चाहिये थी तेज़ी से बदलना जिस

[श्री एल० बी० शास्त्री]

से कि नई लाइनें बनाने के लिये रेलपथ बनाने का सामान अधिकतम मात्रा में दिया जा सके। (घ) सम्पूर्ण योजना काल में ३,००० मील लम्बी लाइनों का बनाना, जो निस्सन्देह लाइनों को दूहरा करने के कार्य के अलावा होगा; और आगामी योजना काल में लाइनों को दूहरा करने का लक्ष्य हमने २,५०० मील निश्चित किया है। इसके अलावा, केवल इंजनों और डिब्बों आदि को प्राप्त करने में हम ४५० करोड़ रुपये व्यय करने का विचार करते हैं। लाइन के क्षमता सम्बन्धी कार्यों और पटरियों के कार्यक्रम पर हम ३०० करोड़ रुपये और नई लाइनों पर लगभग २०० करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। अतः आप देखेंगे कि देश की बढ़ी हुई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हम काफ़ी बड़े पैमाने पर योजना बना रहे हैं। किन्तु हमारे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में समय लगेगा। यह काफी बड़े और कठिन कार्य हैं, और हो सकता है कि इनको करने और पूरे होने में दो तीन वर्ष लग जायेंगे। अतः जनता को कुछ समय तक कठिनाइयाँ उठानी होंगी। मैं आशा करता हूं कि जनता जिस समस्या का सामना करना है उसकी गहनता को समझती है। यातायात में हमें कुछ वैज्ञानिकन और विनियमन करना पड़ेगा। अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकारों से भी पत्र व्यवहार करने का विचार करता हूं। मालगाड़ी के डिब्बों और इंजनों के अनावश्यक उपयोग को तत्काल समाप्त करना है।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी बड़ी है, यद्यपि व्यक्तिगत रूप को मैं अनुभव करता हूं कि यह और भी बड़ी होनी चाहिये थी, किन्तु हमने हर चीज़ को भली भांति समझ लिया है और यथासम्भव उपयुक्तता का ध्यान रखा है। मैं नहीं कह सकता कि योजना आयोग से किये जा रहे परामर्श और चर्चा का अन्तिम परिणाम क्या होगा किन्तु हम चाहते हैं कि हमारे प्रस्ताव स्वीकार किये जाने चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में रेलों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हमें यह आशा करनी चाहिये कि रेलवे इस अतिरिक्त भार को सहन कर सकेगी और उससे किसी अन्य क्षेत्र को हानि नहीं पहुंचने पायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।
